उत्तराखण्ड राज्य सहकारी बैंक लि0 हल्द्वानी जिला नैनीताल

ऋण पॉलिसी एवं मैनवल

उत्तराखण्ड राज्य सहकारी बैंक लि0 हलद्वानी द्वारा बैंक प्रबन्ध समिति, निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड,भारतीय रिजर्व बैंक एवं नाबार्ड द्वारा निर्गत परिपत्रों एवं निर्देशों के आलोक में यह लोन मैनुअल तैयार किया गया है। जिसमें बैंक द्वारा वितरित किये जाने वाले प्रायः समस्त ऋणो के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण अंकित है। जिसमें भवन ऋण, निजी वाहन एवं व्यवसायिक वाहन क्रय हेतु ऋण, व्यवसायिक फर्मो को बन्धक एवं दृष्टिबन्धक ऋण सीमा, तकनीकी /प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों की शिक्षा हेतु ऋण, मध्यम आय वर्गीय वेतनभोगी व्यक्तिगत सदस्यों को कन्ज्यूमर डयूरेबल वस्तुओं को क्रय करने हेतु ऋण, बैंक के अधिकारियों/कर्मचारियों तथा अन्य विभागों के कर्मचारियों हेतु बेजमानती ऋण सीमा,सम्पत्ति के विरूद्ध ऋण, बैंक के नियमित अधिकारियों/ कर्मचारियों के लिए पुत्री विवाह ऋण, बेरोजगारों को छोटे स्तर पर रोजगार प्रारम्भ करने हेतु स्वरोजगार केडिट कार्ड ऋण, फर्मो को प्रोजैक्ट पर आधारित टर्म लोन, प्रदेश की चीनी मिलों को चीनी स्टाक बन्धक कर उसके विरूद्ध बन्धक ऋण सीमा, इन्वैन्ट्री के आधार पर दृष्टि बन्धक ऋण सीमा, टर्म लोन,बैंक की दीर्घकालीन ऋण शाखाओं के माध्यम से कृषि कार्यो एवं कृषि से सम्बन्धित अन्य कार्यो,ट्रैक्टर इत्यादि क्रय हेतु टर्म लोन इत्यादि दिये जाने का उल्लेख है। उक्त में सम्पत्ति के विरूद्ध ऋण तथा पुत्री विवाह ऋण शीर्ष बैक की प्रबन्ध समिति के निर्णयानुसार वितरित किया जाता है।

प्रदेश के जिला सहकारी बैंक भी यदि चाहें तो निबन्धक, सहकारी समितियां द्वारा निर्गत परिपत्रों के क्रम में अपने बैंक की प्रबन्ध समिति की सहमति से इस मैनुएल में उल्लिखित ऋणों के वितरण हेतु निर्देश अपनी शाखाओं को निर्गत कर उपयोग कर सकते हैं।

प्रबन्ध समिति का प्रस्ताव सं0 9(4) दिनांक 23.08.2013 को प्रतिलिपि मुख्य प्रबन्धकों को व शाखा कमेटी व अन्य अधिकारियों से सम्बन्धित का उल्लेख किया जाना है। ये अधिकार शीर्ष सहकारी बैंक लि0 पर ही लागू होगें।

1. ऋण प्रभारी एवं मुख्य प्रबन्धक (संयुक्त रूप से) 7.00 लाख रू0
2. उप महाप्रबन्धक 10.00 लाख रू0
3. उपमहाप्रबन्धक दो संयुक्त रूप से 15.00 लाख रू0
4. प्रबन्ध निदेशक 20.00 लाख रू0 तक
5. शाखा ऋण उप समिति 25.00 लाख़ रू0 तक

उपरोक्त सभी ऋण संबंधित शाखा की संस्तुति के पश्चात ही स्वीकृत किये जायेगें

यह भी तय किया गया कि ऋणों की स्वीकृति हेतु निम्नानुसार शाखा ऋण उपसमिति का गठन किया जाता है।

1. **ऋण उपसमिति मुख्य शाखा हल्द्वानी**

1. बैंक अध्यक्ष द्वारा एक नामित संचालक
2. कोई भी एक उप महाप्रबन्धक
3. मुख्य प्रबन्धक हल्द्वानी
4. ऋण सहायक/प्रभारी ऋण पटल

2. ऋण उपसमिति कारपोरेट शाखा देहरादून

1. बैंक अध्यक्ष द्वारा एक नामित संचालक
2. मुख्य प्रबन्धक देहरादून
3. ऋण सहायक/प्रभारी ऋण पटल

शाखा ऋण समिति की बैठक मुख्य प्रबन्धक द्वारा आयोजित की जायेगी। समिति द्वारा उक्त निर्धारित सीमा के तहत ऋणों की स्वीकृति तथा शाखा द्वारा वितरित समस्त ऋणों का अनुमोदन किया जायेगा।

उक्त के अतिरिक्त मुख्यालय स्तर पर गठित ऋण उपसमिति का भी पुर्नगठन किये जाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। ऋण उपसमिति को मु0 25.00 लाख रू0 से 1.00 करोड़ रू0 तक के ऋणों की स्वीकृति हेतु अधिकृत किया जाता है।

1. बैंक के अध्यक्ष /उपाध्यक्ष अध्यक्ष
2. प्रबन्ध निदेशक सदस्य
3. उपमहाप्रबन्धक सदस्य
4. मुख्यप्रबन्धक सदस्य

यह भी तय किया गया कि अधिकृत अधिकारियों, शाखा ऋण उप समिति तथा ऋण उप समिति द्वारा स्वीकृत ऋणों का विवरण अनुमोदन हेतु ऋण कमेटी/प्रबन्ध समिति की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जायेगा।

वर्ष 2014–15 की ऋण नीति

ऋण वितरण का विवरण (राशि करोड़ में)

क0	विवरण	धनराशि	कुल ऋण का मदवार प्रतिशत
1	कृषि ऋण (फसली)	625.00	62.50
2	कृषि मध्यकालीन/दीर्घकालीन	10.00	1.00
3	चीनी मिलों को वित्तपोषण	200.00	20.00
4	सेवा क्षेत्र में	100.00	10.00
5	हाउसिंग ऋण	16.00	1.60
6	सम्पत्ति के विरूद्ध ऋण	20.00	1.20

7	वाहन ऋण	5.00	0.50
8	शिक्षा ऋण	5.00	0.20
9	व्यक्तिगत सी0 सी0	15.00	1.50
10	अन्य ऋण	15.00	1.50
	योग	**1000.00**	**100.00**

(1)–सहकारी बैंक भवन निर्माण ऋण प्रकिया (भवन ऋण)

1. पात्रताः–

निबन्धक सहकारी समितियां उत्तराखण्ड के पत्रांक 1157/गृह निर्माण योजना/विकास/2007–08 दिनांक 28.05.2007 के अनुसार हाऊसिंग ऋण की अधिकतम सीमा नगरीय क्षेत्रों में मु0 20.00 लाख रू0, ग्रामीण क्षेत्रों में मु0 8.00 लाख रू0 तक तथा मरम्मत की अधिकतम सीमा नगरीय क्षेत्रों में मु0 5.00 लाख रू0 तथा ग्रामीण क्षेत्रों में मु0 3.00 लाख रू0 तक निर्धारित की गयी है। राज्य/केन्द्र सरकार के स्थायी व नियमित कर्मचारी तथा निगम व अर्धशासकीय विभागों के स्थायी व नियमित कर्मचारी एवं शीर्ष/केन्द्रीय सहकारी समितियों/जिला सहकारी बैंकों के स्थायी व नियमित कर्मचारी जिनकी सेवानिवृत्ति में कम से कम 3 वर्ष शेष हो, इस ऋण सुविधा को प्राप्त करने हेतु पात्र हैं।

निबन्धक सहकारी समितियां उत्तराखण्ड के पत्रांक सी–1/अधि–स0का0/निर्माण/2009–10 दिनांक 12.04.2010 के अनुसार हाऊसिंग ऋण की अधिकतम सीमा नगरीय क्षेत्रों में मु0 20.00 लाख रू0, ग्रामीण क्षेत्रों में मु0 12.00 लाख रू0 तक तथा मरम्मत की अधिकतम सीमा नगरीय क्षेत्रों में मु0 5.00 लाख रू0 तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 3 लाख रू निर्धारित करते हुए ऐसे आयकरदाता जिनकी वार्षिक आय, आयकर रिर्टन/एसेसमेन्ट आर्डर के आधार पर विगत 3 वर्षो से कम से कम 1 लाख रूपया हो इसमें डॉक्टर, चार्टड एकाउन्टेन्ट, वकीलएवं प्रतिष्ठित व्यवसायी शामिल होंगे, तीन वर्षो की आयकर विवरणी के जोड़ के औसत के आधार पर चार गुना राशि तक ऋण लेने के पात्र होंगे। यदि किसी कारणवश 3 वर्ष की आई0टी0आर0 न हो तो कम से कम एक वर्ष की आय का प्रमाण पत्र होना आवश्यक है।

- ऋणी की आयु 57 वर्ष या उससे कम हो।
- बैंक की शाखाओं द्वारा ऐसे भूखण्ड/प्लाट पर भवन निर्माण हेतु ऋण दिया जायेगा जोकि बैंक शाखा के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत स्थित हो। बैंक स्टाफ को छोडकर।
- बैंक की शाखाओं द्वारा ऐसे निर्मित भवन/फ्लैट के क्रय/मरम्मत/विस्तारीकरण हेतु ऋण दिया जायेगा जोकि बैंक के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत स्थित हो। बैंक स्टाफ को छोडकर

2. ऋण का उद्देश्य एवं सीमाः–

- विशेष परिस्थितियों में निबन्धक की पूर्व अनुमति से कार्यक्षेत्र के बाहर भी ऋण दिया जा सकता है।
- ऋण केवल भवन निर्माण, विस्तारीकरण, बना हुआ भवन या फ्लैट खरीदने के लिए शहरी अर्धशहरी, छावनी, टाउन एरिया क्षेत्र में दिया जायेगा जिसका मानचित्र नगरपालिका/टाउन एरिया/छावनी /प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत होगा। जिस विशेष क्षेत्र को स्वीकृत मानचित्र से सरकार द्वारा मुक्त रखा गया है, वहां मानचित्र अनिवार्य नहीं हैं।
- बने बनाये मकान का मूल्यांकन बैंक द्वारा नियुक्त वैल्युअर(Valuer) द्वारा कराया जायेगा।
- निबन्धक सहकारी समितियां उत्तराखण्ड के पत्रांक सी–577/2002–03/हाउसिंग ऋण दिनांक 05/10/2002 एवं पत्रांक 826/अधि0/हाउसिंग ऋण/2002–03/दिनांक 22/03/ 2003 के अनुसार पुराने भवन की मरम्मत हेतु एस्टीमेट के आधार पर एस्टीमेट

का 80% अथवा 5 लाख रूपये की अधिकतम सीमा तक मरम्मत हेतु ऋण दिया जा सकेगा।

- निबन्धक सहकारी समितियां उत्तराखण्ड के पत्रांक सी–577/2002–03/हाउसिंग ऋण दिनांक 05/10/2002 एवं पत्रांक 826/अधि0/हाउसिंग ऋण/2002–03/दिनांक 22/03/2003 के अनुसार भवन ऋण की अधिकतम सीमा 20 लाख रूपये तक होगी।
- निबन्धक सहकारी समितियां उत्तराखण्ड के पत्रांक सी–260/अधि0सं0का0/भवन ऋण/2010–11 दिनांक 09.03.2011 के अनुसार हाऊसिंग ऋण की अधिकतम सीमा नगरीय क्षेत्रों में मु0 20.00 लाख रू0, ग्रामीण क्षेत्रों में मु0 15.00 लाख रू0 तक अथवा कुल वार्षिक आय का 4 गुना (चार गुना) अथवा भवन की लागत का 80 प्रतिशत जो भी कम हो तक होगी। आर0बी0आई0/निबन्धक द्वारा समय–समय पर ऋण सीमायें वृद्धि मान्य होगी।

अ– स्थायी व नियमित वेतनभोगी कर्मचारियों की दशा में 60 माह के मूल वेतन या भवन निर्माण लागत मूल्य/बने बनाये भवन अथवा फ्लैट के क्रय मूल्य का 80%जो भी कम हो।

ब– आयकरदाता की स्थिति में आयकर रिर्टन/एसेसमेन्ट आर्डर के अनुसार दर्शित आय का चार गुना या भवन निर्माण लागत मूल्य/बने बनाये मकान अथवा फ्लैट के क्रय मूल्य का 80% जो भी कम हो।

स– पुराने भवन की मरम्मत हेतु स्टिमेट का 80%या स्थायी व वेतनभोगी कर्मचारी के 60 माह का मूल वेतन या अधिकतम सीमा 5 लाख जो भी कम हो।

द– आयकरदाता की स्थिति में मरम्मत हेतु एस्टीमेट का 80%या आयकर रिर्टन/एसैसमैन्ट आर्डर के अनुसार वर्णित आय का चार गुना या अधिकतम सीमा 5 लाख जो भी कम हो।

- निबन्धक सहकारी समितियां उत्तराखण्ड के पत्रांक सी–260/अधि0सं0का0/भवन ऋण/2010–11 दिनांक 09.03.2011 के अनुसार प्लाट क्रय एवं प्लिन्थ लेविल निर्माण कार्य हेतु अवमुक्त की गई प्रथम किश्त से प्लाट क्रय किये जाने का प्रस्ताव ऋणी द्वारा दिये जाने की स्थिति में अवमुक्त धनराशि के बराबर धनराशि कोलेटरल सिक्योरिटी यथा एफ0डी0, एफ0डी0आर0आई0, एन0एस0सी0 अथवा के0वी0पी0 के रूप में प्राप्त की जायेगी।

3. **ऋण वितरणः**–निबन्धक सहकारी समितियां उत्तराखण्ड के पत्रांक सी–577/ 2002–03/ हाउसिंग ऋण दिनांक 05/10/2002 एवं पत्रांक 826/अधि0/हाउसिंग ऋण/2002–03/ दिनांक 22/03/2003 के अनुसार–

अ– भवन निर्माण हेतु स्वीकृत किये जाने वाले ऋण का वितरण चार किस्तों में निम्न प्रकार किया जायेगाः–

- प्लाट क्रय एवं प्लैन्थ लेबिल निर्माण कार्य हेतु स्वीकृत ऋण के 30% की प्रथम किस्त अवमुक्त की जायेगी।
- प्रत्येक किस्त देते समय बैंक कर्मचारी/अधिकारी द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया जायेगा। पूर्व किस्त के उपयोग पश्चात अगली किस्त दी जायेगी।
- अवमुक्त की गयी प्रथम किस्त से प्लाट क्रय किये जाने का प्रस्ताव ऋणी द्वारा दिये जाने की स्थिति में अवमुक्त धनराशि के बराबर धनराशि की कोलेटरल सिक्युरिटी यथा एफ0डी0, एफ0डी0आर0आई0 एन0एस0सी0 अथवा के0वी0पी0 के रूप में प्राप्त की जायेगी।

- प्लाट क्रय हो जाने पर मूल विक्रय विलेख व खतौनी बैंक शाखा में प्रस्तुत कर इक्वीटेबुल मार्गेज किये जाने के पश्चात् प्लिन्थ लेबिल निर्माण कार्य के पूर्ण होने की सूचना बैंक को प्राप्त होने पर बैंक शाखा अधिकारी द्वारा निर्माण कार्य का निरीक्षण किया जायेगा तथा निर्माण कार्य सन्तोषजनक होने की स्थिति में ऋणी की मांग पर स्वीकृत ऋण राशि के 30%की द्वितीय किस्त डोर लेबिल तक के निर्माण कार्य हेतु अवमुक्त की जायेगी।
- डोर लेबिल तक के भवन निर्माण कार्य के पूर्ण होने की सूचना प्राप्त होने पर बैंक अधिकारी द्वारा निर्माण कार्य का निरीक्षण किया जायेगा तथा निर्माण कार्य सन्तोषजनक होने की स्थिति में ऋणी की मांग पर स्वीकृत ऋण राशि के 30% की तृतीय किस्त भवन की समस्त छतों के पड़ने तक के निर्माण कार्य के लिए अवमुक्त की जायेगी।
- भवन की समस्त छतों के पड़ने की सूचना प्राप्त होने पर बैंक अधिकारी द्वारा निर्माण कार्य का निरीक्षण किया जायेगा तथा निर्माण कार्य सन्तोषजनक होने की स्थिति में भवन की समस्त छतें पड़ जाने के पश्चात् ऋणी की मॉग पर स्वीकृत ऋण राशि के 10% की चतुर्थ व अन्तिम किस्त अवमुक्त की जायेगी। साथ ही 10 रूपये के नान जूडिसियल स्टाम्प पेपर पर भवन निर्माण कार्य पूर्ण होने का प्रमाण पत्र बैंक को जमा करना होगा।

  ब– यदि ऋणी द्वारा बैंक से अवमुक्त किसी किस्त का सन्तोषजनक रूप से उपयोग नहीं किया गया हो तो बैंक द्वारा अगली किस्त का भुगतान रोक दिया जायेगा तथा भुगतान की गयी समस्त धनराशि की ब्याज सहित एवं 2% तवानी सूद सहित एकमुश्त वसूली की जायेगी।

  स– बने बनाये मकान/फ्लैट के क्रय हेतु ऋण दिये जाने की स्थिति में मकान/फ्लैट के क्रय मूल्य का 80% (जोकि वेतनभोगी कर्मचारी की दशा में 60 माह के मूल वेतन एवं आयकरदाता की स्थिति में दर्शित आय के चार गुना तथा योजनागत मद में दी जाने वाली अधिकतम ऋण सीमा 20 लाख तक जो भी कम हो तक सीमित होगा) का भुगतान एकाउण्ट पेयी पे–आर्डर/बैकर्स चैक द्वारा किया जायेगा। पे–आर्डर/बैकर्स चैक ऋणी के पक्ष में देय होगा। ऋणी द्वारा विक्रेता से किये गये अनुबन्ध पत्र के अनुसार विक्रेता के नाम पर जारी किया जायेगा जो कि बैंक द्वारा नियुक्त पैनल के वकील के माध्यम से रजिस्ट्री के समय विक्रेता को सुर्पुद किया जायेगा तथा क्रय किये गये भवन की मूल रजिस्ट्री बैंक को उपलब्ध करवानी होगी।

4. बीमाः–

ऋणी के व्यय पर ऋण की धनराशि एवं भवन का बीमा समस्त जोखिमों को सम्मलित करते हुए बैंकर्स क्लाज के अन्तर्गत कराया जायेगा। (बैंक तथा ऋणी के नाम पर संयुक्त बीमा कराया जायेगा जिसमें प्रथम प्रभार बैंक का होगा)

5. ब्याज दरः–

हाउसिंग ऋण पर वर्तमान में प्रचलित ब्याज दरें 1.4.2014 से निम्न प्रकार है जिसको बैंक के निम्नानुसार ब्याज चार्ज किया जायेगा। जिसको बैंक प्रबन्ध का संशोधित करने का अधिकार होगा

सामान्य भवन ऋण पर–

1.	5 लाख रूपये तक–	10.00
2.	5 लाख रूपये से अधिक व 10 लाख रू0 तक	10.50

3.	10 लाख रूपये से अधिक व 20 लाख रू0 तक	12.00
4.	20 लाख रूपये से अधिक	12.50

व्यवसायिक भवन ऋण पर–

जिस भवन का उपयोग व्यवसायिक हो उस पर उक्त ऋण दिया जायेगा जैसे दुकान, शोरूम, हास्टल, नर्सिंग होम, रेस्टोरेन्ट इत्यादि

1.	10 लाख रूपये तक–	12.00
2.	10 लाख रूपये से 20 लाख रू0 तक	12.50
3.	20 लाख रूपये से अधिक	13.00

ब्याज दरों में निबन्धक के निर्देशों तथा बैंक प्रबन्ध के अनुरूप समय–समय पर परिवर्तन किया जा सकेगा। ब्याज की गणना अवशेष ऋण पर मासिक आधार पर की जायेगी। समय से पूर्व ऋण की अदायगी की दशा में अतिरिक्त ब्याज चार्ज नहीं किया जायेगा। परन्तु बकाये की दशा में 2% तवानी शुल्क वसूल किया जायेगा।

6. ऋण की अवधि एवं पुर्नभुगतानः–

- निबन्धक सहकारी समितियां उत्तराखण्ड के पत्रांक सी–577/2002–03/हाउसिंग ऋण दिनांक 05/10/2002 एवं पत्रांक 826/अधि0/हाउसिंग ऋण/2002–03/दिनांक 22/03/2003 के अनुसार ऋण की अधिकतम अवधि 15 वर्ष होगी, जिसकी वसूली 180 मासिक किस्तों में मय ब्याज की जायेगी। ऋणी से मासिक ब्याज चार्ज किया जायेगा, जो उसके खाते में तत्काल डेविट कर दिया जायेगा तथा तद्नुसार ऋण की वसूली के लिये मासिक किस्तों का निर्धारण किया जायेगा।
- ऋण चार किस्तों में दिया जायेगा। ऋण की रिपेमेंट ऋण स्वीकृति की दिनांक से 1 वर्ष पश्चात् अथवा निर्माण कार्य पूर्ण होने की दिनांक से 2 माह पश्चात जो भी पहले हो, प्रारम्भ होगी। एकमुश्त ऋण देने की स्थिति में ऋण देने के 2 माह पश्चात् ऋण की रिपेंमेंट प्रारम्भ होगी।

7. ऋण की सुरक्षाः–

निबन्धक सहकारी समितियां उत्तराखण्ड के पत्रांक सी–577/2002–03/हाउसिंग ऋण दिनांक 05/10/2002 एवं पत्रांक 826/अधि0/हाउसिंग ऋण/2002–03/दिनांक 22/03/2003 के अनुसार–

- जिस भू–खण्ड/प्लाट/भवन/फलैट पर ऋण दिया गया है उसको बैंक के पक्ष में इक्वीटेबल बन्धक कराना होगा तथा उसके मूल अभिलेख स्वीकृत मानचित्र सहित बैंक शाखा अपनी कस्टडी में रखेगा। साथ ही स्वीकृत ऋण के0.50 प्रतिशत मूल्य के राजस्व पत्र (नान जूडिसियल स्टाम्प पेपर) अधिकतम सीमा 10000.00 तक बैंक को हस्ताक्षर कर के जमा करने होगें।
- जिस प्लाट/भू–खण्ड/भवन/फलैट पर ऋण दिया जाना हो उसके स्वामित्व एवं मौके पर कब्जे के सम्बन्ध में आवश्यक जॉच–पड़ताल के बाद ही बैंक शाखा ऋण वितरण करेगी।

- सेवारत कर्मचारी की स्थिति में विभागाध्यक्ष से यह प्रमाण पत्र लेना होगा कि ऋण की वसूली न होने की स्थिति में सम्बन्धित ऋणी/जमानती के अन्य देय भुगतान से वसूली का अधिकार बैंक को होगा।
- ऋणी तथा जमानती के संबंध में संबंधित विभाग जहॉ वह कार्यरत है विभागाध्यक्ष के माध्यम से ही ऋण तथा जमानत प्रार्थना पत्र भरे जायेगे।
- ऋण ऐसे दो व्यक्तियों की जमानत पर दिया जायेगा जो या तो स्थायी व नियमित वेतनभोगी कर्मचारी हो या फिर आयकरदाता हो तथा शाखा में बचत खाते का संतोषजनक परिचालन कर रहे हो व बैंक सेवा क्षेत्र के अन्तर्गत स्थायी रूप से निवास करते हो।
- ऋण दिये जाने का उल्लेख ऋणी के बचत खाते में किया जायेगा तथा ऋण की मय ब्याज संपूर्ण अदायगी से पूर्व बचत खाता बन्द नहीं किया जायेगा।
- ज्मानत दिये जाने का उल्लेख जमानती के बचत खाते में किया जायेगा तथा मय ब्याज संपूर्ण वसूली से पूर्व बचत खाता बन्द नहीं किया जायेगा। एक व्यक्ति केवल एक ही ऋण की जमानत ले सकेगा।
- ऋण के जमानतदारों को प्रारूप 5 तथा प्रारूप 12 पर जमानतनामा 100 रूपये के नान ज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर पर भरना होगा।
- भारमुक्त प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से लेना होगा।
- ऋणी व जमानतदारों को बैंक की नाममात्रिक सदस्यता ग्रहण करनी होगी।
- ऋण आवेदनकर्ता के वेतनभोगी होने की स्थिति में ऋण की मासिक किस्त को वेतन से अन्य कटौतियां में सम्मिलित करने पर कुल कटौती की धनराशि मासिक वेतन(मूल वेतन+मंहगाई) के आधे (½) से अधिक न हो।
- अवमुक्त की गयी प्रथम किस्त से प्लाट क्रय किये जाने का प्रस्ताव ऋणी द्वारा दिये जाने की स्थिति में यह आवश्यक होगा कि किस्त अवमुक्त होने की तिथि के तीन माह के भीतर ऋणी द्वारा मूल विक्रय प्रलेख व खतौनी बैंक शाखा में प्रस्तुत कर इक्यूटेबल मार्गेज करा लिया जाये। यदि ऋणी ऐसा करने में असमर्थ रहता है तो प्रथम किस्त की अवमुक्त के दिनांक से तीन माह पश्चात् बैंक शाखा किस्त की राशि को एकमुश्त वसूली हेतु ऋणी को नोटिस देगी।
- निबन्धक सहकारी समितियां उत्तराखण्ड के पत्रांक सी–260/अधि0सं0का0/भवन ऋण/2010–11 दिनांक 09.03.2011 के अनुसार आवेदक के पास भूखण्ड, जिसमें भवन का निर्माण किया जायेगा, मय निर्मित भवन के बैंक के पक्ष में इक्वीटेबुल मार्गेज/मार्गेज किया जायेगा। निर्मित भवन की दशा में सम्पूर्ण भूमि भवन बैंक के पक्ष में इक्वीटेबुल मार्गेज/मार्गेज किया जाना आवश्यक होगा। ऋण वितरण से पूर्व भूमि का भारमुक्त प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा तथा यह सुनिश्चित किया जाय कि भूमि–भवन आवेदक के स्पष्ट नाम एवं कब्जे में है। भवन का मूल्यांकन नियत आर्कीटेक्ट/वैल्यूवर से करा लिया जाय। बन्धक की जानी वाली परिसम्पत्ति बैंक शाखा के कार्यक्षेत्र में स्थित होनी चाहिए ताकि सम्पत्ति के स्वामित्व एवं मौके पर कब्जे के सम्बन्ध में शाखा प्रबन्धक सुगमता से जॉच कर सकें। उक्त के अतिरिक्त

दो स्थायी परिसम्पत्ति धारी व्यक्तियों जो कि शाखा के कार्यक्षेत्र में निवास करते हो, की जमानत प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

8. ऋण की स्वीकृतिः–

आवेदक द्वारा बैंक शाखा से आवेदन पत्र निर्धारित शुल्क के साथ प्राप्त किया जायेगा। आवेदन पत्र में दिये गये निर्देशों के अनुसार आवेदन पत्र विधिक रूप से पूर्ण कराने के पश्चात् समस्त वांछित संलग्नकों के साथ आवेदन पत्र शाखा स्वीकृत/सक्ष्म अधिकारी को प्रेषित किये जायेगे। सक्षम अधिकारी/कमेटी स्वीकृति के उपरान्त ऋण का शाखा स्तर से वितरण किया जायेगा। मुख्यालय स्वीकृति के दिनांक से 6 माह के भीतर समस्त औपचारिकतायें पूर्ण कराकर यदि आवेदनकर्त्ता द्वारा ऋण नहीं लिया जाता है तो ऐसी स्थिति में यह स्वीकृति, स्वीकृत दिनांक से 6 माह पश्चात् स्वतः ही समाप्त हो जायेगी। ऋण स्वीकृत होने पर ऋण स्वीकृति पत्र शाखा द्वारा जारी किया जायेगा।

9. भवन निर्माण योजना के अन्तर्गत ऋण हेतु निर्धारित रूप पत्रः–

योजना के अन्तर्गत निर्धारित रूप पत्र निम्न प्रकार है–

1.	ऋण आवेदन पत्र	प्रारूप 1 ए
2.	एम्पलायर सार्टिफिकेट	प्रारूप 1 बी
3.	पर्टिकुलर सप्लाईड बाय द गारन्टर	प्रारूप 1 सी
4.	ऋण स्वीकृति हेतु नियोजक की संस्तुति	प्रारूप 2
5.	मसिक किस्त की कटौती वेतन से किये जाने का सहमति पत्र	प्रारूप 3
6.	मैमोरेन्डम ऑफ अन्डरटेकिंग फ्राम दि एम्पलायर	प्रारूप 4
7.	डिमान्ड प्रनोट जमानत प्रमाण पत्र सहित	प्रारूप 5
8.	प्राप्ति रसीद	प्रारूप 6
9.	लैटर ऑफ कन्टीन्यूटी	प्रारूप 7
10.	लैटर ऑफ वेवर	प्रारूप 8
11.	ब्याज परिवर्तन सहमति पत्र	प्रारूप 9
12.	नाममात्र सदस्यता फार्म	प्रारूप 10
13.	मैमोरेन्डम ऑफ अन्डरटेकिंग बाय द वोरोवर	प्रारूप 11
14.	गारन्टी करार	प्रारूप 12
15.	ऐफीडेविट (रिर्जव बैंक द्वारा जारी फार्म पर)	प्रारूप 13
16.	डाक्यूमेंट डिपोजिट विवरण	प्रारूप 14
17.	इक्वीटेबल मार्गेज फार्म	प्रारूप 15
18.	शेड्यूल ऑफ प्रापर्टी	प्रारूप 16
19.	लैटर ऑफ अर्जेमेंट	प्रारूप 17

10. एकाउण्ट प्रणालीः–

इस ऋण का बैंक स्तर पर सदस्यतावार पृथक–पृथक खाता रखा जायेगा, जिसमें ऋणी सदस्य से हुए लेन–देन के अतिरिक्त निम्नलिखित का विवरण भी ऋणी के खाते में अंकित किया जाएगाः–

(क) ऋणी का नाम तथा ऋणी के घर व कार्यालय का पता (ख) पिता का नाम (ग) ऋण का प्रयोजन

(घ) ऋण की मासिक किस्त

- बैंक में नाम मात्रिक सदस्यता रजिस्टर रखा जाएगा, जिसमें निम्नानुसार विवरण होगाः–

क्रंमाक	नाम सदस्य	पिता का नाम	कार्यालय का पता	प्रार्थना पत्र की तिथि	सदस्य को नाम मात्रिक सदस्य बनाने की तिथि

- इस योजना के अन्तर्गत दिये गये ऋणों से सम्बन्धित एक पृथक रजिस्टर भी रखा जाएगा, जिसमें ऋणीवार वितरित ऋण एवं मासिक डिमान्ड एवं उसके विरूद्ध वसूली का विवरण अंकित किया जाएगा, ताकि यह ज्ञात हो सके कि मासिक डिमान्ड के विरूद्ध कितनी वसूली हुयी ?
- शाखा प्रबन्धक द्वारा इस योजना के अन्तर्गत वितरित ऋणों के वितरण एवं वसूली का विवरण मुख्यालय को नियमित रूप से प्रेषित किया जाएगा।

11. ऋण की वसूली का दायित्वः–

ऋण वसूली का मुख्य दायित्व शाखा का होगा। जिन मामलों में मासिक किस्तों का भुगतान निर्धारित तिथि को प्राप्त नहीं होता है, उसके सम्बन्ध में शाखा द्वारा यथा समय ऋणी सदस्य, जमानतदारों एंव उसके नियोजक से वसूली हेतु समुचित कार्यवाही की जाएगी। सभी औपचारिकताए पूर्ण कराने का दायित्व शाखा प्रबन्धक का होगा इसके अभाव में यदि ऋण बकाया होता है तो इसकी जिम्मेदारी शाखा की होगी।

बैंक मुख्यालय स्तर पर योजना के अन्तर्गत वितरित ऋणों के वितरण एवं उनकी मासिक वसूली की समीक्षा प्रतिमाह की जाएगी।

यदि किसी बकायादार से देय तिथि पर किस्त की वसूली नहीं होती है, तो सम्बन्धित शाखा प्रबन्धक द्वारा इस सम्बन्ध में प्रभावी कार्यवाही की जायेगी। यदि फिर भी वसूली नहीं होती है, तो ऋणी सदस्य, जमानतदारों एवं उसके नियोजक के विरूद्ध धारा 95(क) अथवा आर्बीटेशन की कार्यवाही करने हेतु नोटिस तत्काल निर्गत करते हुए वसूली के लिये प्रयास किया जाएगा, फिर भी वसूली न होने पर नोटिस की अवधि समाप्त होते ही ऋणी सदस्य, ऋण के जमानतकर्ता एवं नियोजक के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

उपर्युक्त निर्देशानुसार भवन निर्माण योजना के अन्तर्गत वित्त पोषण किया जायेगा तथा वसूली सुनिश्चित की जायेगी।

(2)–वाहन ऋण प्रकिया (1)निजी वाहन ,दो पहिया वाहन हेतु ऋण

पात्रता

क– राज्य/केन्द्र सरकार के स्थायी व नियमित कर्मचारी तथा निगम व अर्धशासकीय विभागों के स्थायी व नियमित कर्मचारी तथा निजी क्षेत्र की सुदृढ़ संस्थाओं के स्थायी व नियमित कर्मचारी जो कि पांच वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण कर चूके हों अथवा जिनकी सेवानिवृत्ति में कम से कम 3 वर्ष शेष हों तथा जिनका कुल वेतन रू0 10000.00 या उससे अधिक हैं ऋण लेने के लिए पात्र होंगे।

ख– निजी क्षेत्र की सुदृढ़ संस्थाओं के संबंध में उनकी वित्तीय स्थिति पर बैंक द्वारा नियुक्त चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट की सकारात्मक राय के पश्चात् ही इन सस्थाओं के स्थायी व नियमित कर्मचारियों को वित्त पोषण सुविधा प्रदान किये जाने पर विचार किया जायेगा।

ग– ऐसे आयकरदाता जिनकी वार्षिक आय आयकर रिर्टन/एसेसमेन्ट आर्डर के आधार पर विगत 3 वर्षो में कम से कम 3 लाख रूपया हो इसमें डॉक्टर, चार्टर एकाउन्टेन्ट, वकील एवं प्रतिष्ठित व्यवसायी शामिल होंगे तथा अन्य प्रतिष्ठित नागरिक जिनसे बैंक शाखा प्रबन्धक संतुष्ट हों को भी योजना के अन्तर्गत कार ऋण दिया जा सकेगा।

- स्कूटर/ मोटर साइकिल हेतु ऋण की अधिकतम सीमा 50000/–(पचास हजार) रूपये होगी, क्रय मूल्य का 90प्रतिशत अथवा 15 माह का वेतन अथवा जो भी कम हों,ऋण के रूप में स्वीकृत किया जायेगा।
- चार पहिया वाहन/कार हेतु ऋण ऐंसे कर्मचारियों/अधिकारियों को स्वीकृत किया जायेगा जिसकी मासिक आय रू 10000/– (दस हजार रू) से अधिक हो तथा जिनकी नियमित सेवा हो। इस हेतु अधिकतम ऋण सीमा 5.00 लाख रू (पांच लाख रू) होगी। 24 माह का वेतन, कार के क्रय मूल्य का 90 प्रतिशत अथवा अधिकतम 5.00 लाख रू जो भी कम हो, तक ऋण स्वीकृत किया जायेगा।
- स्कूटर/मोटर साइकिल के ऋण मूलधन एंव ब्याज की वसूली अधिकारियों /कर्मचारियों के मासिक वेतन से ऋण प्राप्त करने के अगले माह से 60 मासिक किश्तों में की जायेंगी।
- कार/चार पहिया वाहन को ऋण मूलधन एंव ब्याज की वसूली अधिकारियों/कर्मचारियों के मासिक वेतन से ऋण प्राप्त करने के अगले माह से 120 मासिक किश्तों में की जायेगी।
- ऋण की मासिक किश्तों की समय से अदायगी/कटौती करने का दायित्व संबंधित कर्मचारी/अधिकारी का होगा।
- कर्मचारी /अधिकारी द्वारा ऋण प्राप्त करने हेंतु बैंक के पक्ष में प्रोनोट, हाईपोथिकेशन डीड एंव वांछित प्रपत्र हस्ताक्षर करके बैंक को उपलब्ध कराने होगें साथ ही क्रय किये गये वाहन से संबंधित मूल प्रपत्र (कागजात) जैसे वाहन क्रय की रसीद, रजिस्ट्रेशन पेपर, इन्श्योरैन्स पालिसी/कवर नोट आदि ऋण प्राप्त करने के एक माह के अंदर बैंक में जमा करने होगें।
- कर्मचारी/अधिकारी/कैडर सेवा के सदस्यों द्वारा ऋण का उपयोग स्कूटर /मोटर साइकिल /कार /चार पहिया वाहन क्रय करने हेंतु न करने अथवा ऋण लेने की तिथि से दो माह के अंदर समस्त वांछित प्रपत्र /कागजात बैक में जमा न करने अथवा लिये गयें ऋण को किसी अन्य प्रयोजन में प्रयोग करने की स्थिति में संबंधित अधिकारी / कर्मचारी को समस्त ऋण की अदायगी एकमुश्त 13 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित करनी होगी और ऋण का दुरूपयोग करने के लिये संबंधित अधिकारी/कर्मचारी नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही के अंतर्गत सेवा समाप्ति किये जाने की सीमा तक दण्ड के लिए भागीदार होगें साथ ही ऐसे अधिकारी /कर्मचारी को पुनः इस प्रकार का ऋण भविष्य में नही दिया जायेंगा।
- स्कूटर/मोटर साइकिल /कार/चार पहिया वाहन क्रय किये जाने हेतु स्वीकृत ऋण का भुगतान सीधें संबंधित फर्म को बैंक स्तर से किया जायेगा।

- किसी भी कर्मचारी/अधिकारी को ऋण की अधिकतम धनराशि का आकंलन करते समय यह सुनिश्चित किया जाये कि सभी प्रकार के ऋण एंव समिति द्वारा दिये गये ऋणों की कटौती के संबंध में की जा रही कुल कटौतियों की धनराशि कर्मचारी /अधिकारी /कैडर सेवा के सदस्य को प्राप्त वेतन (मूल वेतन+महंगाई भत्ता+गृह भत्ता एंव अन्य भत्ते) के 2/3 से अधिक नहीं होगी।
- ऋण किश्तों की कटौती का आंकलन करते समय यह सुनिश्चित किया जाये कि ऋणोंकी पूर्ण वसूली कर्मचारी/अधिकारी की सेवा निवृत्ति के 6 माह पूर्व हो जाये।
- कैडर सेवा के सदस्यों को उक्त ऋण की स्वीकृति से पूर्व प्राधिकारी कार्यालय से संस्तुति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
- सेवा निवृत्ति के तीन वर्ष या कम अवधि शेष रहने पर उक्त ऋण की सुविधा किसी भी कर्मचारी /अधिकारी को प्रदान नहीं की जायेगी।
- क्रय किये गये स्कूटर /मोटर साइकिल/कार /चार पहिया वाहन बैंक को तब तक बन्धक रहेगा जब तक उस पर लिये गये ऋण की ब्याज सहित पूर्ण वसूली न हो जाए।
- स्कूटर/मोटर साइकिल ऋण की पुनः सुंविधा 5 वर्ष पश्चात पूर्ण वसूली/समायोजन होने पर तथा कार/ चार पहिया वाहन ऋण की पुनः सुविधा 7 वर्ष पश्चात पूर्ण ऋण वसूली/समायोजन होने पर ही देय होगी। पूरे सेवाकाल में 3 बार से अधिक उक्त ऋण की सुविधा देंय नहीं होगी।

1. निजी प्रयोग हेतु वाहन ऋण सुविधा नये वाहन क्रय करने हेतु ही उपलब्ध करायी जायेगी। 3 वर्ष से अधिक पुराने (सेकेण्ड हैण्ड) वाहनों के लिए ऋण उपलब्ध नहीं कराया जायेगा।

   अधिकतम सीमा एवं पात्रता के अधीन किसी लाभार्थी को एक से अधिक वाहनों के लिए वित्त पोषण नहीं किया जायेगा परन्तु 5 वर्ष पश्चात् पूर्व ऋण की समस्त अदायगी होने पर पुनः ऋण दिया जा सकेगा। वाहन हेतु ऋण नये कम्पलीट वाहन के लिए अनुमन्य होगा। वाहन की कीमत में पंजीकरण व बीमा शुल्क भी सम्मिलित होगे।

2. **ऋण की अधिकतम सीमा एवं मार्जिन मनीः–**

   - वेतनभोगी व्यक्ति को 20 माह के वेतन (मूल वेतन+मंहगाई भत्ता) अथवा वाहन के क्रय मूल्य का 85 प्रतिशत अथवा अधिकतम 6 लाख रूपया जो भी कम हो तक ऋण किया जायेगा।

     प्रतिबन्ध यह होगा कि वेतनभोगी कर्मचारी को निजी प्रयोग हेतु वाहन ऋण स्वीकृत किये जाने की स्थिति में स्वीकृत किये जाने वाली ऋण की राशि का निर्धारण इस प्रकार किया जाए कि ऋण की मासिक किस्त की वसूली हेतु वेतन से की जाने वाली कटौती अन्य कटौतियों को सम्मलित करते हुए आधे वेतन (मूल वेतन+मंहगाई भत्ता) से अधिक न हो।
   - आयकरदाता की स्थिति में आयकर रिटर्न/एसेसमेन्ट आर्डर के अनुसार वार्षिक आय का तीन गुना अथवा वाहन के क्रय मुल्य का 85 प्रतिशत अथवा अधिकतम 6 लाख रूपया जो भी कम हो तक ऋण स्वीकृत किया जायेगा। लाभार्थी को वाहन के कुल मूल्य का 15 प्रतिशत मार्जिन मनी के रूप में स्वयं लगाना होगा। लाभार्थी द्वारा यह मार्जिन मनी बैंक में अपने ऋण खाते में ऋण स्वीकृत होने के पश्चात् जमा करनी होगी। वाहन का मूल्य मार्जिन मनी से अधिक होने पर अवशेष धनराशि भी खाते में जमा करने पर ऋण का भुगतान किया जायेगा।

3 **प्रत्याभूतिः–** वाहन ऋण लाभार्थी या जमानती की व्यवसायिक और रिहायशी भूमि, भवन, अथवा बैंक सावधि जमा रसीदें/राष्ट्रीय बचत पत्र/किसान विकास पत्र बैंक के पक्ष में बन्धक कराकर प्रदान किये जायेगें। प्रस्तावित ऋण की राशि के 25 प्रतिशत मूल्य की सम्पत्ति भूमि/भवन/सावधि जमा रसीदें/राष्ट्रीय बचत पत्र/किसान विकास पत्र बैंक के पक्ष में बन्धक कराया जायेगा। बन्धक की जाने वाली भूमि/भवन बैंक शाखा कार्यक्षेत्र में स्थित होनी चाहिए ताकि सम्पत्ति के स्वामित्व एवं मौके पर कब्जे के सम्बन्ध में शाखा प्रबन्धक सुगमता से आवश्यक जांच कर सके।

भूमि/भवन का मूल्याकंन बैंक द्वारा इस प्रयोजन हेतु अनुबन्धित अथवा आयकर विभाग द्वारा अनुमोदित वैल्यूवर से कराया जायेगा और बैंक स्तर पर भी ऐसी सम्पत्ति का बैंक के शाखा प्रबन्धक द्वारा मौका मुआयना कराकर परीक्षण किया जायेगा। यदि ऋणी द्वारा प्रतिभूति के रूप में भूमि/भवन दिया जाता है तो बैंक द्वारा ऋण की सुरक्षा हेतु ऐसी सम्पत्ति का ''इक्यूटेबल मोरगेज'' कराया जायेगा।

उपरोक्त प्रत्याभूति के अतिरिक्त ऋणी द्वारा दो व्यक्तिगत जमानतें भी देनी होगी। व्यक्तिगत जमानत ऐसे व्यक्तियों की स्वीकार होगी जो बैंक कार्यक्षेत्र में निवास करते हों तथा उनकी पर्याप्त अचल सम्पत्ति हो एवं बैंक के सम्मानित खातेदार हो।

ऋण से क्रय किये जाने वाले वाहन बैंक के पक्ष में विवरण देते हुए दृष्टि बन्धक रखें जायेगें तथा बैंक ऋण से क्रय किये जाने वाले वाहन ''उ0प्र0 वेहेकिल अधिनियम 1938'' सहपठित स्वयं पुर्नगठन अधिनियम 200 (संशोधित उत्तरांचल वेहेकिल अधिनियम) के अन्तर्गत लाभार्थी द्वारा पंजीकृत करायें जायेंगे और पंजीयन प्रमाण पत्र पर सम्भागीय परिवहन अधिकारी द्वारा बैंक का प्रथम प्रभार अंकित कराया जायेगा।

कार्यालय निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड के परिपत्र संख्या–सी–11/अधि0स0का0/निजी प्रयोग हेतु वाहन/09–10 दि0 01.02.2010के अनुसार–वाहन ऋण लाभार्थी या जमानती की व्यवसायिक और रिहायशी भूमि भवन अथवा बैंक सावधि जमा रसीदें/राष्ट्रीय बचत पत्र/किसान विकास पत्र बैंक के पक्ष में बन्धक कराकर प्रदान किये जायेगें। प्रस्तावित ऋण की राशि 75 प्रतिशत मूल्य की सम्पत्ति भूमि/भवन/सावधि जमा रसीदें/राष्ट्रीय बचत पत्र/किसान विकास पत्र बैंक के पक्ष में बन्धक कराया जाएगा। बन्धक की जाने वाली भूमि/भवन बैंक शाखा कार्यक्षेत्र में स्थित होनी चाहिए ताकि सम्पत्ति के स्वामित्व एंव मौके पर कब्जे के सम्बन्ध में शाखा प्रबन्धक सुगमता से आवश्यक जांच कर सके।

उक्त सुविधा निजी प्रयोग हेतु वाहन ऋण सुविधा केवल नये वाहन क्रय करने हेतु ही उपलब्ध करायी जायेगी। पुराने (सैकेण्डहैण्ड) वाहनों के लिए ऋण उपलब्ध नहीं कराया जायेगा। पूर्व परिपत्र की अन्य शर्ते यथावत् रहेगी।

कार्यालय निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड के परिपत्र संख्या–सी–227 अधि0–सं0का0/निजी प्रयोग हेतु वाहन/10–11/दिनांक 13 फरवरी 2011 के अनुसार–वित्त पोषित वाहन के पंजीकरण प्रमाण–पत्र में बैंक का लियन दर्ज कराते हुए तथा वित्तपोषित वाहन के बीमा में बैंक का लियन दर्ज कराकर वित्त पोषित वाहन के मूल्य की 30 प्रतिशत धनराशि की प्रतिभूति मानते हुए शेष 35 प्रतिशत प्रतिभूति, स्थायी परिसम्पत्ति इक्वीटेबिल मोर्गेज/बन्धक के रूप में अथवा तरल प्रतिभूति प्राप्त की जाये। वाहन की लागत का न्यूनतम 15 प्रतिशत राशि आवेदक द्वारा मार्जिन के रूप में जमा किया जाना आवश्यक है। वेतनभोगी

सदस्यों को उनके वेतन के आधार पर मार्जिन की राशि जमा करने के उपरान्त ऋण दिया जा सकता है।

कार्यालय निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड पत्रांक सी–157/अधि0–सं0का0/वाहन ऋण वृद्धि/2012–13 दिनांक 28 सितम्बर 2012 के अनुसार–

(ii)व्यवसायिक वाहन/टैक्सी के रूप में प्रयोग किये जाने वाले वाहनों हेतु वित्तपोषणः–

(क) प्रतिभूति :–चूकि क्रय किये गये वाहन के पंजीकरण प्रमाण पत्र में बैंक का नाम अंकित किया जाना अनिवार्य है,जिससे वाहन बैंक के पक्ष में दृष्टिबन्धित हो सके, साथ ही वाहन का बीमा, ऋणी एंव बैंक के संयुक्त नाम से किया जाना अनिवार्य है। इस स्थिति में क्रय किये गये वाहन के मूल्य की 60 प्रतिशत धनराशि बैंक के पक्ष में प्रतिभूति मानी जाये। 15 प्रतिशत धनराशि ऋणी द्वारा मार्जिन के रूप में विनियोजित की जायेगी। इस प्रकार ऋण राशि की 25 प्रतिशत धनराशि के समकक्ष स्थायी परिसम्पत्ति भूमि/भवन अथवा सावधि जमा रसीदें/राष्ट्रीय बचत पत्र/किसान विकास पत्र आदि प्रतिभूति के रूप में बन्धक कराया जाना अनिवार्य होगा। बन्धक की जाने वाली परिसम्पत्ति बैंक शाखा के कार्यक्षेत्र में स्थित होनी चाहिए ताकि सम्पत्ति के स्वामित्व एंव मौके पर कब्जे के संबंध में शाखा प्रबन्धक सुगमता से जांच कर सके। उक्त के अतिरिक्त दो स्थायी परिसम्पत्ति धारी व्यक्तियों जो कि शाखा के कार्यक्षेत्र में निवास करते हो की जमानत किया जाना अनिवार्य होगा।

स्थायी परिसम्पत्ति यथा भूमि–भवन को प्रतिभूति के रूप में स्वीकार किये जाने पर नियमानुसार परिसम्पत्ति का मूल्यांकन बैंक द्वारा अनुमोदित वैल्यूवर से कराया जायेगा तथा 12 वर्षीय भारमुक्त प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुए राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित दर पर स्टाम्प पर नियमानुसार इक्यूटेबल मार्गेज करवाया जाना आवश्यक होगा। शाखा प्रबन्धक के द्वारा ऐसी परिसम्पत्ति का स्थलीय निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रस्तावित परिसम्पत्ति शाखा के कार्यक्षेत्र में तथा धारक के नाम एंव कब्जे में हैं।

(ख) अधिकतम सीमाः– ऋण की अधिकतम सीमा मु0 15.00 लाख रूपये अथवा वाहन की लागत का 85 प्रतिशत, जो भी कम हो, तक होगी। वाहन से अर्जित आय के आधार पर अथवा निजी स्रोतों से अर्जित ऋणी की प्रतिदान क्षमता के अनुरूप उक्त अधिकतम सीमा में कमी की जा सकती है।

(ग) ऋण की अधिकतम अवधि :– ऋण की अधिकतम अवधि 7 वर्ष होगी, ऋण की वसूली ऋण वितरित करने की तिथि से एक माह बाद से प्रतिमाह मासिक किश्तों में की जाएगी। उक्त सम्बन्ध में समय–समय पर निर्गत पूर्व परिपत्रों के द्वारा निर्धारित अन्य नियम एंव शर्ते यथावत रहेगें।

वाहन ऋण iii

निजी प्रयोग हेतु कार/जीप वाहनों हेतु वित्त पोषण :–

कार्यालय निबन्धक, सहकारी समितियां उत्तराखण्ड के परिपत्र संख्या–सी–126/अधि0/वाहन ऋण,दिनांक 04.06.2003 एंव परिपत्र संख्या–सी–11/अधि0/सं0का0/निजी

प्रयोग हेतु वाहन/2009–10, दिनांक 01.02.2010 के द्वारा उत्तराखण्ड के सहकारी बैंकों को निजी प्रयोग हेतु वाहन ऋण वितरण सुविधा उपलब्ध कराये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। बैंकों से प्राप्त सुझाव एंव मांगानुसार उक्त परिपत्रों में आंशिक संशोधन निम्न प्रकार किया जाता है :–

(क) प्रतिभूतिः– चूंकि क्रय किये गये वाहन के पंजीकरण प्रमाण पत्र में बैंक का नाम अंकित किया जाना अनिवार्य है, जिससे वाहन के पक्ष में दृष्टिबंधित हो सके,साथ ही वाहन का बीमा, ऋणी एंव बैंक के संयुक्त नाम से किया जाना अनिवार्य है। इस स्थिति में क्रय किये गये वाहन के मूल्य का 60 प्रतिशत धनराशि बैंक के पक्ष में प्रतिभूति मानी जाये। 15 प्रतिशत धनराशि ऋणी द्वारा मार्जिन के रूप मे विनियोजित की जायेगी। इस प्रकार ऋण राशि की 25 प्रतिशत धनराशि के समकक्ष स्थायी परिसमपत्ति भूमि/भवन अथवा सावधि जमा रसीदें/राष्ट्रीय बचत पत्र/किसान बचत पत्र आदि प्रतिभूति के रूप में बन्धक कराया जाना अनिवार्य होगा। बन्धक की जाने वाली परिसम्पत्ति बैंक शाखा के कार्यक्षेत्र में स्थिति होनी चाहिए ताकि सम्पत्ति के स्वामित्व एंव मौके पर कब्जे के संबंध में शाखा प्रबन्धक सुगमता से जांच कर सकें। उक्त के अतिरिक्त दो स्थायी परिसम्पत्ति धारी व्यक्तियों जो कि शाखा के कार्यक्षेत्र में निवास करते हो, की जमानत प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

(ख) वेतन भोगी सदस्यों की स्थिति मेंः–वेतनभोगी सदस्यों को वेतन आहरण–वितरण अधिकारी के अंडर टेकिंग पर ऋणी एंव दो जमानतियों पर ऋण दिया जा सकेगा।

(ग) अधिकतम सीमाः– ऋण की अधिकतम सीमा मु010.00 लाख रूपये अथवा कुल वार्षिक आय का 03 गुना (तीन गुना) अथवा वाहन की लागत का 85 प्रतिशत जो भी कम हो तक होगी।

(घ) ऋण की अधिकतम अवधिः– ऋण की अधिकतम अवधि 05 वर्ष होगी। ऋण की वसूली,ऋण वितरित करने की तिथि से 01 माह के बाद से प्रतिमाह मासिक किश्तों में की जाएगी।

उक्त के सम्बन्ध मे समय–समय पर निर्गत पूर्व परिपत्रों के द्वारा निर्धारित अन्य नियम एंव शर्ते यथावत रहेंगी।

व्यवसायिक वाहनों अथवा निजी प्रयोग हेतु वाहनों के वित्त पोषण के क्षेत्र में कुल ऋण वितरण हेतु प्रत्येक बैंक द्वारा अपने अल्पकालीन व दीर्घकालीन आस्ति एंव देयता प्रबन्धन (ALM) को दृष्टिगत रखते हुए सीमा का निर्धारण किया जायेगा, जिससे देयता (liabilities) के निपटाने में अवरोध उत्पन्न न हो।

4 **ऋण स्वीकृति की प्रकियाः–** बैंक शाखा से आवेदन पत्र निर्धारित प्रशाकीय शुल्क के साथ प्राप्त किया जायेगा। शाखा द्वारा प्राप्त प्रशासनिक शुल्क की रसीद उधारकर्ता को उपलब्ध करायी जायेगी। प्राप्त ऋण आवेदन पत्र का इन्द्राज निर्धारित रजिस्टर में किया जायेगा तथा उसी क्रम में आवेदन पत्रों का निस्तारण किया जायेगा।

सम्बन्धित आवेदन पत्र के बारे में बैंक मुख्यालय स्तर पर गठित कमेटी द्वारा परिक्षणोपरान्त संस्तुति की जायेगी।

5 **ऋण की सुरक्षाः–**

- बैंक की शाखाए उन्ही व्यक्तियों, को वाहन ऋण स्वीकृत अथवा स्वीकृति हेतु मुख्यालय को अग्रसारित कर सकेंगी जोकि शाखा के नियमित ग्राहक हो तथा शाखा में बचत खाते का संतोषजनक परिचालन कर रहे हो। ऋण वितरण का उल्लेख ऋणी के बचत खाते में किया जायेगा। इसके अतिरिक्त बैंक शाखा द्वारा जिस व्यक्ति को ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी वह व्यक्ति बैंक सेवा क्षेत्र के अन्तर्गत स्थायी रूप से निवास करता हो।
- ऋणके गारण्टीकर्त्ता भी बैंक शाखा में बचत खाते का संतोषजनक परिचालन कर रहे हो। बचत खाते में गारण्टी का उल्लेख किया जायेगा तथा सम्पूर्ण ऋण की अदायगी से पूर्व बचत खाता बन्द नहीं किया जायेगा।
- एक व्यक्ति एक से अधिक व्याक्तियों के लिऐ गारण्टी नहीं दे सकेगा। इसके अतिरिक्त गारण्टीकर्त्ता बैंक कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत स्थायी रूप से निवास करता हो।
- बैंक की शाखाऐं उस डीलर के नाम पर एकाउन्ट पेयी ड्राफ्ट/पे–आर्डर द्वारा ऋण का भुगतान करेंगी जिससे कि आवेदनकर्त्ता ने वाहन क्रय करने हेतु कोटेशन दिया हो तथा जिस पर आवेदक की सहमति हो।
- ऋण केवल नये वाहन क्रय करने हेतु दिया जायेगा। पुरानी (सेकेण्ड हैण्ड) वाहन के लिये ऋण उपलब्ध नहीं करया जायेगा।
- इक्वीटेबुल मारगेज के लिऐ प्राप्त अचल सम्पत्ति बैंक शाखा सेवा क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित होनी चाहिए ताकि बैंक शाखा आधिकारी/कर्मचारी सम्पत्ति के स्वामित्व एवं मौके पर कब्जे के सम्बन्ध में आवश्यक जॉच पड़ताल सुगमता से कर सकें।

6 **क्रय किये जाने वाले वाहन का बीमाः**–बैंक ऋण से क्रय किये जाने वाले वाहन का ''कम्प्रेहेन्सिव बीमा'' समस्त जोखिमों को सम्मिलित करते हुए बैंकर्स क्लाज के अन्तर्गत प्रथम बैंक तथा द्वितीय उधारकर्ता के संयुक्त नाम से होगा। बीमा पर होने वाले समस्त व्यय ऋणी द्वारा वहन किये जायेंगे। निर्धारित तिथि से पूर्व बीमा का नवीनीकरण ऋण द्वारा कराया जायेगा। यदि ऋणी द्वारा निर्धारित तिथि से बीमा नवीनीकरण कराकर बैंक को सूचित नहीं किया जाता है तो बैंक द्वारा वाहन का बीमा कराया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में बैंक द्वारा व्यय की गयी समस्त धनराशि ऋण के ऋण खाते से डेविट करके समायोजित की जायेगी।

7 **ऋण की अवधि एवं ऋण की वापसीः**–ऋण की अधिकतम अवधि पांच वर्ष होगी, ऋण की वसूली ऋण वितरित करने की तिथि से एक माह के बाद से प्रति माह मासिक किस्तों में की जायेगी।

ऋण वसूली से समय यह भी ध्यान रखा जायेगा कि क्रय किये गये वाहन या प्रतिभूति में दी हुई सम्पत्ति की क्षति तो नहीं हुई है। यदि क्षति का मामला प्रकाश में आता है तो बैंक सम्पूर्ण अवशेष धनराशि की वसूली या ऋण की उस सीमा तक जितनी प्रतिभूति क्षतिग्रस्त हुई हैं की वसूली प्रारम्भ कर लेगा।

पुनः स्पष्ट करना है कि वाहन ऋण वसूली एवं सुरक्षा का पूर्ण उत्तदायित्व बैंक शाखा प्रबन्धक का होगा इसके लिए बैंक शाखा स्तर पर सतत जागरूकता बरतनी चाहिए।

8 **ब्याज दरः**—वाहन ऋणों पर ब्याज दर नाबार्ड/निबन्धक/शीर्ष बैंक/बैंक मुख्यालय के नियमों के आधीन परिवर्तनीय होगी, जो वर्तमान में निम्नानुसार होगीः—

- रू05 लाख तक 12.00
- रू0 5 लाख से अधिक 12.50

9 **बैंक के प्रभार का पंजीकरणः**—बैंक द्वारा वाहन पर प्रभार स्थापित करने के उद्देश्य से परिवहन कार्यालय में पंजीयन प्रमाण पत्र पर प्रथम प्रभार अंकित कराना आवश्यक होगा। सामान्यतः परिवहन अधिकारी द्वारा वाहन का पंजीकरण एक से अधिक व्यक्तियों के नाम में नहीं किया जाता हैं। अतः यदि एक से अधिक व्यक्ति को संयुक्त रूप से ऋण दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में उन व्यक्तियों में सें किसी एक व्यक्ति के नाम परिवहन कार्यालय में पंजीकरण होना चाहिए तथा पंजीकरण प्रमाण—पत्र में अन्य व्यक्तियों के नाम का उल्लेख कर दिया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त उन सदस्यों से इस आशय की घोषणा पत्र प्राप्त करना होगा कि वाहन जो बैंक को दृष्टिबन्धक है उनके द्वारा संयुक्त रूप से प्राप्त कर क्रय किया गया है।

10 **ऋणी से आवेदन पत्र तथा उसके साथ निम्न प्रमाण—पत्र एवं अभिलेख प्राप्त किये जायेगेंः—**

1. ऋण आवेदन पत्र प्रारूप 1 ए
2. जमानती द्वारा भरे जाने वाला विवरण पत्र प्रारूप 1 बी
3. ऋणी तथा जमानती के वेतनभोगी कर्मचारी होने की स्थिति में एम्पलायर्स सार्टिफिकेट प्रारूप 1 सी
4. वाहन क्रय करने हेतु कोटेशन (पंजीकृत फर्म)
5. क्रय किये जाने वाले वाहन का विवरण प्रारूप 2
6. ऋणी/वाहन चालक के ड्राइविंग लाइसेंस की प्रमाणित प्रति (स्वप्रमाणित)

11 **ऋण वितरण के पूर्व ऋणी द्वारा बैंक को दिये जाने वाले प्रलेख, प्रतिभूति एवं प्रमाण पत्रों का विवरणः**—बैंक द्वारा ऋणी को वाहन क्रय करने हेतु ऋण स्वीकृत करने के उपरान्त तथा ऋण वितरण के पूर्व ऋणी से निम्न अभिलेख एवं प्रतिभूति प्राप्त किया जायेगा जिसको विधिक रूप से पूर्ण कराने के उपरान्त ही ऋण का वितरण किया जायेगा।

- ऋणी के नियमित वेतनभोगी कर्मचारी होने की स्थिति में नियोजक की संस्तुति प्रारूप—3
- ऋणी के नियमित वेतनभोगी कर्मचारी होने की स्थिति में नियोजक से प्राप्त मासिक कटौती पत्र प्रारूप—4
- ऋणी के नियमित वेतनभोगी कर्मचारी होने की स्थिति में नियोजक द्वारा दी जाने वाली अडरटेकिंग प्रारूप—5
- डिमाण्ड प्रोमिजरी नोट प्रारूप—6
- हाइपोथिकेशन आफ वेहिकिल प्रारूप—7
- गारंटी एग्रीमेंट प्रारूप—8
- लेटर आफ नान इनकम्बरेंस प्रमाण पत्र (भूमि अथवा भवन प्रतिभूति के रूप में रखने की दशा में) प्रारूप—9
- ऋणी एवं जमानती द्वारा भरा जाने वाला नामांत्रिक सदस्यता फार्म प्रारूप—10A से 10C तक
- दी जाने वाली प्रतिभूति की मूल प्रति

- सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त वैल्यूवर का भूमि/भवन के मालियत का प्रमाण पत्र।
- ऋण का भुगतान वाहन विक्रेता फर्म को करने का अनुरोध पत्र
- एफिडेविड प्रारूप–11
- डिटेल ऑफ डाक्यूमैंट्स डिपोजिटेड प्रारूप–12
- इक्यूटेबिल मार्गेज डीड प्रारूप–13
- शिड्युल ऑफ पापर्टी प्रारूप–14
- उपरोक्त अभिलेख प्राप्त करने एव ऋण वितरण के उपरान्त उधारकर्ता द्वारा क्रय किये गये वाहन पर बैंक का प्रथम प्रभार अंकित कराने हेतु प्रारूप–15 पर सड़क परिवहन अधिकारी (आर0टी0ओ0) को आवेदन करेगा जिसकी प्रति बैंक को उपलब्ध करायी जायेगी। ऋण वितरण के उपरान्त निम्नलिखित डाकूमेन्टस भी देकर पत्रावली में सुरक्षित रखे जायेगें।
    1. वाहन डीलर का फाइनल बिल
    2. वाहन रजिस्ट्रेशन की प्रमाणित प्रतिलिपि
    3. बीमा कवर नोट पालिसी

12 ऋण वितरण की प्रकियाः–

- बैंक के शाखा प्रबन्धक द्वारा प्राप्त ऋण आवेदन पत्र एवं उसके साथ संलग्न अभिलेखों/प्रमाण पत्रों की पूर्ण रूप से जांच की जायेगी। तथा सुनिश्चित किया जायेगा कि उधारकर्ता द्वारा आवेदन पत्र के साथ समस्त वांछित प्रमाण पत्र संलग्न किये गये है एवं ठीक है तथा यदि कोई प्रमाण पत्र अथवा अभिलेख प्राप्त करना शेष है तो उसको उधारकर्ता से प्राप्त किया जायेगा तथा उनका परीक्षण कर समस्त कार्यवाही पूर्ण होने की दशा में ऋण वितरण किया जायेगा।

13 वाहन ऋण रजिस्टरः– बैंक द्वारा वितरित वाहन ऋण का समस्त विवरण बैंक स्तर पर अलग रजिस्टर खोलकर रखा जायेगा, जिसमें ऋणी अथवा ऋणियों का नाम, फर्म का प्रकार, पता, ऋण की धनराशि, ऋणी द्वारा दी गयी मार्जिनमनी क्रय किये गये वाहन का प्रकार, माडल नं0, चेसिस नं0, इंजन नं0, दी गयी समस्त प्रतिभूति का विवरण, आर.टी.ओ. का पंजीयन प्रमाण पत्र, बीमा पालिसी व ड्राइविंग लाइसेंस का नम्बर आदि विवरण अंकित किया जायेगा।

14 ऋण की वसूलीः–

- ऋण की वसूली मासिक समीकृत किश्तों में की जानी है। ऋणी को ऋण भुगतान करने के साथ ही मासिक किश्तों की धनराशि से सूचित कर दिया जायेगा।
- सम्बन्धित शाखा प्रबन्धक का यह दायित्व होगा कि ऋणी के खाते में देय समीकृत मासिक किश्त का विवरण अंकित कर दिया जाय।
- यदि ऋणी द्वारा अगले माह की 5 तारीख तक किश्त जमा नहीं की जाती है तो यह व्यक्तिगत दायित्व शाखा प्रबन्धक का होगा कि नोटिस सम्बन्धित ऋणी को तत्काल तामील करायें तथा टेलीफोन अथवा अन्य माध्यम से ऋणी एवं उसके जमानती से सम्पर्क करें।
- ऋणी से शाखा प्रबन्धक को लगातार सम्पर्क करना होगा, इसके लिए सम्पर्क सूत्र तथा–टेलीफोन, पता आदि शाखा प्रबन्धक के पास उपलब्ध रखा जायेगा। उक्त माध्यम से सम्पर्क पहली नोटिस तामिल कराने से पूर्व यथा सम्भव किया जायेगा। पहली नोटिस तामिल

के उपरान्त भी वसूली नहीं होती है तो शाखा प्रबन्धक द्वारा ऋणी तथा उसके जमानती से तत्काल सम्पर्क किया जायेगा। इसके उपरान्त भी दिये गये निर्धारित समय जो एक माह से अधिक नहीं है, की अवधि में वसूली नहीं होती है तो नोटिस सम्बन्धित ऋणी तथा जमानती को तामील कराई जायेगी।

- उक्त कार्यवाही के बावजूद भी यदि समस्त बकाया किश्तों की वसूली नहीं होती है तो वसूली हेतु उत्पीड़क कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।
- शाखा प्रबन्धक का यह व्यक्तिगत दायित्व होगा कि इस प्रकार के सभी विविध ऋणों की वसूली की मासिक आधार पर शाखा स्तर पर समीक्षा की जाये तथा किश्तों के बकाया होने पर वसूली हेतु प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

निर्देशित किया जाता है कि उपर्युक्त निर्देशानुसार योजना के अन्तर्गत वित पोषण किया जाये।

(3)–व्यवसायिक/फर्मो को बन्धक/दृष्टिबन्धक ऋण सीमा प्रकिया

कार्यालय निबन्धक सहकारी समितियां उत्तराखण्ड के पत्रांक 236/व्यवसायिक ऋण/2003–04 दिनांक 07.01.2004 के अनुसार–

1. **अतिरिक्त संसाधनों के विनियोजन की सीमाः**–बैंक कुल निक्षेप में से तरल आवरण, कैश रिजर्व एवं कृषि ऋण में न्यूनतम विनियोजन की शर्त पूर्ण करने के पश्चात शेष निक्षेप का 20 प्रतिशत या कुल निक्षेप का 10 प्रतिशत या 5 करोड़ के अधिक सीमा तक उपरोक्त उद्देश्य हेतु ऋण वितरण में विनियोजन कर सकता है। इस मद में इससे अधिक ऋण वितरण हेतु बैंक को मदवार विनियोजन एवं वसूली की सम्पूर्ण स्थिति एवं औचित्य दर्शाते हुऐ निबन्धक की पूर्वानुमति प्राप्त करनी होगी।
2. **ऋण सीमा स्वीकृति का उद्देश्यः**–व्यक्तिगत व्यवसायी/ट्रेडर्स/प्रोपराइटरों एवं पार्टनरशिप फर्मो को आवश्यकतानुसार ऋण सीमा केवल कार्यशील पूंजी मद हेतु स्वीकृत की जायेगी।
3. **पात्रताः**–योजनान्तर्गत व्यक्तिगत व्यवसायी/दुकानदार(ट्रेडर)/प्रोपराइटर एवं पार्टनरशिप फर्म/निबन्धित ठेकेदार/नर्सिग होम/कम्प्यूटर व्यवसायी (प्रशिक्षण एवं हार्डवेयर)/अन्य कोई प्रतिष्ठित व्यवसाय जिनका कार्य वस्तुओं को क्रय करना तथा बेचना हो, वित्त पोषण के लिए पात्र होंगे। ऋण उन्ही पात्र लाभार्थियों को स्वीकृत किया जायेगा जो प्रस्तावित व्यवसाय में पर्याप्त अनुभव रखते हों अर्थात जिनका प्रस्तावित व्यवसाय में कम से कम तीन वर्षो का अनुभव हो, उनके द्वारा प्रस्तावित व्यवसाय हेतु सक्षम अधिकारी से लाइसेन्स/निबन्धन प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया हो तथा उनकी सामान्य ख्याति अच्छी हो अर्थात इकाई विगत तीन वर्षो से लाभ में कार्य कर रही हो (बिक्रीकर कार्यालय को दिये गये लाभ–हानि खाते के आधार पर)। ऋणी किसी बैंक/संस्था का बकायेदार न हो, समाज में प्रतिष्ठा अच्छी हो, अपराधिक कार्यो में लिप्त न हो, प्रस्तावित व्यवसाय आर्थिक रूप से वाईबिल हो, आदि। आवेदनकर्ता अथवा कर्ताओं को बैंक का नाममात्रिक सदस्य बनना अनिवार्य होगा। साझेदारी फर्म की दशा में प्रत्येक साझेदार को बैंक का नाममात्रिक सदस्य बनाया जायेगा।
4. **ऋण सीमा की धनराशिः**–ऋण सीमा की अधिकतम धनराशि 20 लाख रूपये होगी लेकिन किसी फर्म या व्यवसायी के ऋण का सन्तोषजनक परिचालन होने पर वृद्धि कर 40 लाख रूपये तक की जा सकेगी। प्रतिबन्ध यह है कि बैंक अधिकतम ऋण नाबार्ड सी0एम0ए0 एक्प्रोजर के अनुरूप ही ऋण देगा
5. **मार्जिनः**–मार्जिन 25 प्रतिशत होगा। ठेकेदारों की लिमिट के आवंटन के लिए कार्य आवंटन राशि ऋण सीमा के निर्धारण का आधार होगा तथा ठेकेदार को 25 प्रतिशत धनराशि अपने संसाधनों से लगानी होगी। ऋण सीमा की अवधि एक वर्ष होगी।
6. **ब्याज दरेंः**–उधारकर्ता से ब्याज राष्ट्रीय बैंक/आर0बी0आई0 द्वारा समय–समय पर निर्धारित ब्याज दरों के अनुसार चार्ज किया जायेगा। वर्तमान में प्रभावी ब्याज दरें निम्न्वत होगी–

क्र0स0	ऋण सीमा	ब्याज
1.	1 लाख रू0 से 10 लाख रू0 तक	12.00
2.	10 लाख रू0 से अधिक	13.00

ब्याज की मांग प्रोडक्ट के आधार पर मासिक लगाई जायेगी। देय तिथि से ब्याज की मांग 6 माह के अन्दर भुगतान न करने पर बकाया समझा जायेगा तथा 6 महीने तक खाते में कोई लेन–देन न किये जाने तथा ब्याज की मांग न भुगतान किये जाने पर बकाया अवधि के लिए 2 प्रतिशत का पैनल ब्याज भी चार्ज किया जायेगा।

7. **ऋण सीमा की अवधिः**–ऋण सीमा की अवधि अधिकतम 1 वर्ष होगी।
8. **ऋण सीमा का नवीनीकरणः**–ऋण सीमा का नवीनीकरण निम्नलिखित शर्तो की पूर्ति की दशा में किया जायेगाः–

- ब्याज बकाया न हो।
- ऋण सीमा खाता अनियमित न हो। ऋण सीमा खाते में ब्याज सहित लगा ऋण यदि स्वीकृत ऋण सीमा से अधिक हो जाता है तो ऋण सीमा खाते को अनियमित समझा जायेगा।
- उपलब्ध स्टॉक का क्रय दर अथवा बाजार दर जो भी कम हो, के आधार पर मूल्य बैंक के लगे ऋण तथा उस पर वांछित मार्जिन मनी से अधिक हो।
- व्यवसायी/फर्म द्वारा ऋण खाते में निरन्तर वर्ष दौरान लेन–देन किया गया हो।

ऋण सीमा के नवीनीकरण हेतु व्यवसायी/फर्म द्वारा ऋण सीमा की अवधि समाप्त होने की तिथि से एक माह पूर्व सलग्न प्रारूप–1 पर वांछित प्रपत्रों के साथ बैंक शाखा प्रबन्धक को आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा।

नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र प्राप्त होते ही शाखा प्रबन्धक द्वारा आवश्यक जॉच एवं भौतिक सत्यापन किया जायेगा और उपरोक्त वर्णित शर्तो की पूर्ति होने की दशा में ऋण सीमा नवीनीकरण हेतु एक सप्ताह के अन्दर अपनी संस्तुति सहित आवेदन पत्र बैंक मुख्यालय को प्रेषित किया जायेगा। बैंक मुख्यालय से नवीनीकरण के सम्बन्ध में ऋण सीमा की अन्तिम तिथि समाप्त होने से पूर्व निर्णय लेना अनिवार्य होगा।

9. **प्रतिभूतिः**–बन्धक/दृष्टिबन्धक ऋण सीमाए स्वीकृति हेतु ऋण से क्रय किये गये माल को बन्धक/दृष्टिबन्धक रखे जाने के साथ–साथ ऋण सीमा की धनराशि के डेढ गुना कोलेटरल सिक्योरिटी यथा भूमि, भवन, सावधि निक्षेप, अन्य कोई जमा निधि, बाण्ड, बीमा पॉलिसी (जमा प्रीमियम राशि तक) सम्बन्धित विभाग से लियन मार्क कराकर प्राप्त की जायेगी।
10. **स्टाक बीमाः**–ऋणी व्यवसायी/फर्म को स्वीकृत ऋण सीमा के स्टाक का तथा कोलेटरल सिक्युरिटी का बीमा भी करना होगा अर्थात ऋण सीमा की धनराशि तथा स्टाक का बीमा ऋणी द्वारा कराया जायेगा। बीमा समस्त जोखिमों को सम्मिलित करते हुए बैंकर्स क्लाज के अन्तर्गत बैंक तथा उधारकर्ता के संयुक्त नाम से कराया जायेगा। बीमा में होने वाले समस्त व्यय ऋणी द्वारा वहन किये जायेगे। निर्धारित तिथि से पूर्व बीमा का नवीनीकरण ऋण द्वारा कराया जायेगा। यदि ऋणी द्वारा निर्धारित तिथि से पूर्व बीमा कराकर बैंक को सूचित नहीं किया जाता है तो बैंक द्वारा ऋण सीमा में लेन–देन बन्द कर दिया जायेगा और बैंक द्वारा ऋण सीमा का नवीनीकरण भी बीमा कराये जाने के अधीन ही किया जायेगा। बैंक ऋण की सुरक्षा हेतु उचित होगा कि ऋणी द्वारा बीमा का नवीनीकरण न कराने पर बैंक द्वारा ऋणी के खाते को डेविट करते हुए बीमा का नवीनीकरण करा लिया जाये। बीमा पालिसी की मूल प्रति बैंक में ऋणी की सम्बन्धित पत्रावली में रखी जायेगी और उसकी रसीद बैंक अधिकारी द्वारा प्रदान की जायेगी।
11. **ऋण आवेदन एवं स्वीकृतिः**–बैंक शाखा से ऋण आवेदन पत्र निर्धारित प्रशासकीय शुल्क के साथ प्राप्त किया जाएगा। प्रत्येक आवेदन पत्र के साथ ऋणी द्वारा निम्नलिखित प्रमाण–पत्र प्राप्त किये जायेगेंः–

- व्यवसाय करने सम्बन्धी व्यवसायी का स्वंय का अनुभव प्रमाण पत्र और इसकी पुष्टि में बिक्रीकर विभाग में निबन्धन सम्बन्धी प्रमाण पत्र (बिक्री कर विभाग में निबन्धन की तिथि से ही प्रस्तावित व्यवसाय में अनुभव की अवधि की गणना की जायेगी) ऐसी फर्म/व्यवसायी जिन्हें बिक्री कर विभाग के अतिरिक्त अन्य किसी विभाग में पंजीकरण कराना होता है, उनके सम्बन्ध में सम्बन्धित विभाग द्वारा पंजीयन प्रमाण पत्र की तिथि से व्यवसाय के अनुभव की अवधि की गणना की जायेगी।
- फर्म इकाई के पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति।
- इकाई की विगत तीन वर्षो की बेलेन्सशीट।
- इकाई का तीन वर्षो का लाभ–हानि एवं व्यापार खाता।
- उधारकर्ता का आयकर एवं बिक्रीकर निर्धारण प्रमाण–पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि।
- भवन/दुकान जिसमें व्यवसाय किया जा रहा है, का पूर्ण विवरण एवं पता। साथ ही यदि भवन/दुकान किराये पर है तो मकान/दुकान मालिक से किये गये किरायानामा के अनुबन्ध की प्रमाणित छाया प्रति, यदि ऋणी/फर्म के द्वारास्वयं के भवन में व्यवसाय किया जा रहा है तो ततसम्बन्धी प्रपत्रों की छाया प्रति।
- बिक्रीकर भुगतान से सम्बन्धित अन्तिम रसीद की छाया प्रति।
- प्रस्तावित कोलेटरल सिक्योरिटी की छाया प्रति।
- नाममात्रिक सदस्यता आवेदन पत्र।
- पार्टनशिप डीड यदि फर्म साझेदारी में है।
- स्टाक स्टेटमेन्ट, गत वर्ष का वास्तविक एवं चालू वर्ष का प्रोजेक्टड स्टेटमैन्ट।
- व्यवसायी/फर्म के मालिकान एवं गारण्टीकर्ता एवं उनके परिवार, व्यवसाय, उनकी निजी सम्पत्ति एवं दायित्व के सम्बन्ध में विवरण।

  ऋण आवेदन प्राप्त होने के उपरान्त शाखा, प्रबन्धक द्वारा आवेदन पत्र की जांच निम्नानुसार की जायेगी तथा अन्य स्थानीय जानकारी करने के उपरान्त आवेदन पत्र के साथ प्रारूप–3 पर अपनी रिपोर्ट अकिंत की जायेगी।
- ऋणी/फर्म/गारण्टीकर्ता के मालिकान स्थाई निवासी है या नहीं।
- व्यवसायी/फर्म द्वारा कम से कम विगत 3 वर्षो से व्यवसाय किया जा रहा हो।
- व्यवसायी/फर्म द्वारा विगत 3 वर्षो में व्यवसाय से लाभ अर्जित किया जा रहा हो। हानि में कार्यरत व्यवसायी/फर्म को ऋण स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- आयकर एवं बिक्रीकर का कोई बकाया न हो।
- ऋणीयों द्वारा अथवा ऋणी के पक्ष में गारण्टीकर्ता द्वारा दी गयी प्रतिभूति भार मुक्त है, सुनिश्चित करने हेतु बैंक द्वारा अपने श्रोत से भारमुक्त प्रमाण–पत्र (एन0ई0सी0) प्राप्त कर पुष्टि की जायेगी। इस पर होने वाले व्यय की पूर्ति ऋणी से करायी जायेगी।
- सिक्योरिटी का मूल्यांकन प्रस्तावित ऋण सीमा के डेढ गुना या उससे अधिक हो तथा सभी प्रकार से भारमुक्त हो।
- अन्य बिन्दु जो आवश्यक हो।

12. ऋण सीमा का आंकलन एवं संस्तुतिः–ऋण सीमा का आंकलन ऋणी द्वारा बिक्रीकर विभाग को विगत तीन वर्षो में दी गयी प्रमाणित संतुलन पत्र में गत तीन वर्षो की बिक्री के औसत का 1/12 से 1/6 तक अधिकतम ऋण सीमा निर्धारित की जायेगी। इस हेतु यह भी ध्यान रखा जायेगा की ऋणी द्वारा उपलब्ध कराया गया संतुलन पत्र 6 माह से अधिक पुराना न हो। यदि ऐसा है तो ऋणी द्वारा शेष अवधि का प्रमाणित संतुलन पत्र भी बैंक को उपलब्ध कराया

जायेगा। जिसके आधार पर औसत बिक्री का आंकलन उपरोक्त अनुसार किया जायेगा। उपरोक्तानुसार निर्धारित औसत बिक्री में से मार्जिन मनी की धनराशि घटाने के उपरान्त तथा ऋण की भुगतान क्षमता को दृष्टिगत रखते हुए ऋण सीमा की धनराशि का आंकलन किया जायेगा।

शाखा प्रबन्धक एवं शाखा पर नियुक्त कनिष्ठ शाखा प्रबन्धक द्वारा संयुक्त रूप से प्रोजेक्ट का मुल्यांकन एवं आवेदन पत्र की जांच करने के उपरान्त अपनी संस्तुति के साथ, आवेदन पत्र बैंक मुख्यालय को एक सप्ताह के अन्दर प्रेषित किया जायेगा।

बैंक मुख्यालय स्तर पर प्राप्त प्रस्ताव के सम्बन्ध में यदि अन्य कोई जांच की जानी वांछित है, तो उसे पूर्ण कराये जाने के उपरान्त गुण/अवगुण के आधार पर ऋण स्वीकृत करने के सम्बन्ध में निर्णय गठिम ऋण समिति द्वारा किया जायेगा।

उपरोक्त समिति को नान फार्म सेक्टर एवं विविधीकरण योजना से सम्बन्धित ऋण सीमायें स्वीकृत करने सम्बन्धी अधिकार बैंक के संचालक मण्डल से प्रस्ताव पारित कराकर प्रदान कराया जाना आवश्यक होगा।

13. **ऋण सीमा आहरणः**—ऋणी को ऋण सीमा के आपरेशन की अनुमति कोलेटरल सिक्योरिटी बैंक के पक्ष में इक्वीटेबिल मोर्गेज कराने तथा निम्नलिखित प्रपत्रों को निष्पादित कराने के उपरान्त प्रदान की जायेगीः—

- डिमाण्ड प्रोमेजरी नोट — प्रारूप—4
- लेटर ऑफ कान्टीन्यूटी — प्रारूप—5
- कैश क्रेडिट एग्रीमेन्ट — प्रारूप—6
- एग्रीमेन्ट आफ हाईपोथिकेशन आफ स्टाक — प्रारूप—7(अ)

  अथवा

  एग्रीमेन्ट आफ प्लेज आफ स्टाक — प्रारूप—7(ब)
- गारण्टीकर्ता के द्वारा बैंक के पक्ष में निष्पादित एग्रीमेन्ट आफ गारण्टी — प्रारूप—8
- मसिक ब्याज की मांग की धनराशि ऋण सीमा खाते में समायोजित करने सम्बन्धी ऋणो से सहमति पत्र — प्रारूप—9
- दुकान/फर्म/गोदाम का बैंक अधिकारियों द्वारा किसी भी समय निरीक्षण करने तथा बैंक द्वारा वांछित प्रपत्र एवं स्टाक स्टेटमेन्ट उपलब्ध कराने विषयक सहमति पत्र।
- नाममात्रिक सदस्यता का आवेदन पत्र — प्रारूप—10

उपरोक्त सभी प्रपत्र तथा इक्वीटेबिल मोर्गेज शाखा प्रबन्धक द्वारा विधिक रूप से पूर्ण कराये जायेंगे। ऋणी से प्राप्त आवेदन पत्र तथा प्रस्तर—9, 10 तथा 11 में वर्णित अन्य सभी प्रपत्र, मोर्गेज डीड आदि ऋणी की पृथक पत्रावली खोलकर शाखा स्तर पर रखी जायेगी।

उपरोक्तानुसार ऋण सीमा स्वीकृत सम्बन्धी समस्त औपचारिकताए विधिक रूप से पूर्ण कराये जाने के उपरान्त ऋणी को ऋण सीमा खाते के आपरेशन हेतु चेक बुक निर्गत की जायेगी। बैंक द्वारा ऋणी को ऋण सीमा का आहरण इस शर्त पर दिया जायेगा कि उनके द्वारा बैंक को प्रत्येक माह स्टाक स्टेटमेन्ट उपलब्ध कराया जायेगा तथा ऋण से क्रय किये गये माल की बिक्री की धनराशि ऋण सीमा खाते में अनिवार्य रूप से जमा करायी जायेगी।

14. **दुकान/व्यवसाय स्थल पर ऋणी द्वारा बैंक के नाम का बोर्ड लगाया जानाः**—ऋणी द्वारा दुकान/व्यवसाय स्थल/गोदाम पर/दृष्टिबन्धक होने की दशा में निम्नानुसार बोर्ड लगाया जायेगाः—

Stock hypothicated to bank	Stock pledged to bank

15. **निरीक्षण एवं स्टाक स्टेटमेन्ट आदि प्रस्तुत करनाः**—ऋणी/व्यवसायी/फर्म द्वारा प्रतिमाह बैंक को अनिवार्य रूप से स्टाक स्टेटमेन्ट उसका क्रय अथवा बाजार मूल्य जो भी कम हो के साथ प्रस्तुत किया जायेगा साथ ही वार्षिक संतुलन—पत्र, व्यापार खाता एवं लाभ—हानि खाता भी बैंक को व्यवसायी/ऋणी द्वारा वर्ष समाप्त होने के एक माह के अन्दर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

शाखा को स्टाक स्टेटमेन्ट प्राप्त होने के पश्चात शाखा प्रबन्धक द्वारा ऋणी की दुकान/गोदाम/फर्म का प्रति माह भ्रमण कर स्टाक का 'रेन्डम बेसिस' पर सत्यापन किया जायेगा तथा स्टाक की दरों एवं मूल्यांकन की भी जांच की जायेगी। जांच में यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि ऋणी द्वारा ऋण का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया गया है जिसके लिए ऋण स्वीकृत किया गया था। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि जांच की तिथि को स्टाक का क्रय अथवा बाजार मूल्य जो भी कम हो बैंक के लगे ऋण से कम है अथवा नहीं है।

ऋणी/व्यवसायी/फर्म द्वारा प्रत्येक माह स्टाक स्टेटमेन्ट तथा बैंक द्वारा वांछित अन्य प्रपत्र बैंक को उपलब्ध नहीं कराये जाते है तो ऋण सीमा के उपयोग की अनुमति नहीं दी जायेगी।

ऋणी व्यवसायी/फर्म को ऋण से क्रय किये गये माल की बिक्री से प्राप्त की गयी धनराशि को ऋण सीमा खाते में जमा करना होगा और ऋण सीमा खाते के आहरण करने हेतु स्पष्ट रूप से अवगत करा दिया जायेगा। व्यवसायी/फर्म को शाखा से वितरित ऋण के सम्बन्ध में बैंक मुख्यालय पर एक पृथक रजिस्टर में विवरण रखा जायेगा जिसका प्रारूप परिशिष्ट—2 पर है। बैंक के शाखा प्रबन्धक द्वारा माह में एक बार तथा मुख्यालय के वरिष्ठ प्रबन्धक द्वारा प्रत्येक 3 माह में एक बार सम्बन्धित इकाई/फर्म का निरीक्षण अनिवार्य रूप से कराया जायेगा तथा ऋण के उपयोग एवं उसके भुगतान आदि के सम्बन्ध में बैंक शाखा एवं मुख्यालय स्तर से भी समुचित कार्यवाही की जायेगी।

16. **बकाया ऋण की वसूलीः**—यदि किसी व्यवसायी अथवा फर्म द्वारा लगातार 6 माह तक ऋण सीमा खाते में कोई लेन—देन नहीं किया जाता है तथा ब्याज की मांग पर भुगतान नहीं किया जाता है अथवा ऋण सीमा का नवीनीकरण नहीं कराया जाता है तो ऋण सीमा खाते में लगी धनराशि बकाया समझी जायेगी। ऐसे मामले में शाखा प्रबन्धक द्वारा तत्काल ऋणी को नोटिस देकर वसूली की कार्यवाही करायी जायेगी। यदि फिर भी ऋणी द्वारा धनराशि जमा नहीं की जाती है तो कोलेटरल सिक्योरिटी से धनराशि वसूल करने हेतु सहकारी समिति अधिनियम 1965 की 70 अथवा 91 अथवा 95 (क) के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही तत्काल प्रारम्भ कर दी जायेगी। बकाया ऋण की वसूली कराने का पूरा दायित्व शाखा का होगा। यदि किन्ही मामलो में बकाया ऋण की वसूली की कार्यवाही के दौरान यह पाया जाता है कि बैंक के पक्ष में बन्धक की गयी सम्पत्ति का टाइटिल ठीक नहीं है और उसके निष्पादन और बकाया धन की वसूली करना सम्भव नहीं है, तो ऐसे मामले में सम्बन्धित अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा।

17. **विवाद का निपटाराः**—ऋणी एवं बैंक के मध्य ऋण से सम्बन्धित किसी भी वाद का निपटारा सहकारी समिति अधिनियम 1965 की धारा 70 के अधीन किया जायेगा।

(4)–तकनीकी/प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों की शिक्षा हेतु ऋण प्रकिया–

1. **ऋण का उद्देश्यः**–बैंक ऋण की सुविधा तकनीकी/प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों जैसे इंजीनियरिंग, मेडिकल/डेण्टल, बी0बी0ए, एम0बी0ए0, बी0सी0ए0, एम0सी0ए0, होटल मैनेजमेंण्ट एवं उच्च प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आदि हेतु प्रदेश सरकार अथवा भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों से शिक्षा प्राप्त करने पर प्रदान की जायेगी।
2. **ऋण हेतु पात्रता**–जिन छात्र/छात्राओं ने उक्त वर्णित तकनीकी/व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो और उन्हें प्रवेश हेतु पात्र माना गया हो तथा संबधित शिक्षण संस्थान द्वारा उन्हें प्रवेश हेतु अनुमति पत्र निर्गत करा दिया हो, वे उक्त ऋण प्राप्त करने हेतु पात्र होगें। आवेदन करने वाले छात्र/छात्रा को ऋणी तथा उसके अभिभावक/संरक्षक को सह ऋणी बनाया जायेगा तथा अभिभावक/संरक्षक की ऋण प्रतिदान क्षमता के आधार पर ऋण की स्वीकृति प्रदान की जायेगी। बैंक के कार्य क्षेत्रान्तर्गत निवास करने वाले छात्र/छात्राओं को ऋण का पात्र माना जायेगा।

   ऋणी/सह ऋणी एवं जामिनों को नियमानुसार बैंक का नाम मात्रिक सदस्य बनाना आवश्यक होगा।

3. **ऋण की सीमा–कार्यालय निबन्धक सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड के पत्रांक सी 216 दिनांक 30.08.2013 के अनुसार ऋण की सीमा में निम्न संशोधन किया गया है–** ''पात्र छात्र/छात्रा की अधिकतम ऋण सीमा उसके अभिभावक/संरक्षक की वार्षिक आय की 3 गुना अथवा कॉस्ट ऑफ स्टडी का 80 प्रतिशत या भारत में शिक्षा ग्रहण करने हेतु मु0 10,00000.00 रूपये (दस लाख रूपये) तथा विदेश में शिक्षा ग्रहण करने हेतु मु0 20,00000.00 रूपये (बीस लाख रूपये) में से जो भी कम हो के आधार पर निर्धारित की जायेगी''।
4. **ब्याज की दर**–उक्त ऋण पर बैंक द्वारा समय–समय पर निर्धारित ब्याज दर पर ब्याज की गणना की जायेगी। वर्तमान में 3.00 लाख रू0 तक 11.00 प्रतिशत तथा 3.00 लाख रू0 से अधिक की राशि तक 12.00 प्रतिशत की दर से ब्याज लिया जायेगा। ब्याज की गणना मासिक आधार पर की जायेगी तथा गणना के उपरांत ब्याज वसूली ऋणी के बचत खातें से नाम कर की जायेगी। बैंक में ऋणी एवं अभिभावक के नाम से एक संयुक्त बचत खाता खोला जायेगा एवं ब्याज के सामयिक समायोजन हेतु उसमें पर्याप्त धनराशि रखी जायेगी।
5. **ऋण की अवधि व वसूली प्रकिया–**
   - उक्त योजनान्तर्गत ऋण अधिकतम 9 वर्ष की अवधि के लिए दिया जायेगा। आवश्यकतानुसार चार वर्षो के मोरेटोरियम के पश्चात ऋण की वसूली अधिकतम 60 (साठ) मासिक किस्तों में की जायेगी। आवश्यकतानुसार ऋण की अवधि घटायी जा सकेगी।
   - ऋण की मासिक किस्त छात्र के पाठ्यक्रम पूर्ण होने के छः माह पश्चात अथवा छात्र के नियोजन पाने की दशा में अगले माह से, में से जो भी पहले हो से प्रारंभ होगी। ऋण पर देय ब्याज अभिभावक द्वारा निरन्तर जमा किया जायेगा।
   - ऋण भुगतान में चूक की दशा में ऋणी को निर्धारित ब्याज दर से 2ः (दो प्रतिशत) अधिक की वार्षिक दर से दण्डनीय ब्याज देना होगा। दण्ड ब्याज की वसूली कालातीत ऋण की किस्त के भुगतान की अवधि पर की जायेगी।

- ऋणी/अभिभावक (सहऋणी) से ऋण की वसूली न होने की दशा में ऋणी के जमानती से ऋण की वसूली की जायेगी।
- ऋणी/अभिभावक द्वारा ऋण जमा करने की चूक की दशा में ऋण की ब्याज सहित वसूली ऋण प्राप्त करते समय जमा करायी गयी प्रतिभूति/जमानती से की जायेगी।
- ऋण की समयान्तर्गत वसूली का दायित्व शाखा प्रबन्धक का होगा।

6. प्रतिभूति–

- व्यवसायी अभिभावकों के मामले में अभिभावकों को अथवा जमानती को जमानत के रूप में ऋण की राशि के समतुल्य अचल सम्पत्ति को इक्यूटेबल बंधक कराना होगा। जमानत के रूप में अचल सम्पत्ति न होने की स्थिति में अभिभावक अथवा जमानती को अपनी सावधि जमा राशि की रसीद, राष्ट्रीय बचत पत्र, किसान विकास पत्र जो कि बैंक के पक्ष में पृष्ठांकित किये गये हो प्रतिभूति के रूप में प्रस्तुत कर सकेंगे। उक्त प्रतिभूति ऋण भुगतान की अवधि तक बैंक के पक्ष में बन्धक रहेगी। वैतनिक अभिभावकों द्वारा नियोक्ता की ओर से ऋण की किस्तों की वसूली सहऋणी/अभिभावक के वेतन से कटौती करने बावत अण्डर टेकिंग प्रस्तुत करनी होगी। वांछित अण्डर टेकिंग प्रस्तुत न कर सकने की स्थिति में जमानत के रूप में अचल सम्पत्ति की प्रतिभूति अथवा वांछित ऋण राशि के बराबर तरल प्रतिभूति बैंक जमा रसीद, राष्ट्रीय बचत पत्र, किसान विकास पत्र जो कि बैंक के पक्ष में पृष्ठांकित हो को जमानत के रूप में प्रस्तुत करने पर ऋण प्राप्त कर सकेंगे।
- ऋणी द्वारा कम से कम दो हैसियतदार व्यक्तियों को जो कि बैंक को मान्य हो की गारन्टी निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत की जायेगी।
- वैतनिक अभिभावक की स्थिति में वैतनिक अभिभावक को अपने नियोक्ता से ऋण राशि के विरूद्ध ऋण अदायगी हेतु निर्धारित किस्त नियमित रूप से वेतन से कटौती करने एवं बैंक को निर्धारित समयावधि में प्रेषण के संबध में अधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर सहित प्रमाण–पत्र संलग्न करना होगा।

7. प्रतिदान क्षमताः–अभिभावक की प्रतिदान क्षमता का आंकलन निम्नानुसार किया जायेगा–

(अ) वैतनिक अभिभावकः–

(क) अभिभावक को प्राप्त वार्षिक वेतन (मूल वेतन एवं मंहगाई भत्ता) के 50 प्रतिशत होगी। अतः स्वीकृति ऋण की मासिक किस्त को सम्मिलत करते हुए कटौतियां कुल मासिक वेतन के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(ब)व्यवसायिक अभिभावकः– (व्यवसाय, कृषि एवं अन्य कार्यो में संलग्न व्यक्ति)

व्यवसायी अभिभावकों को व्यवसाय से प्राप्त हो रही आय का तथ्यात्मक विवरण, आयकर रिटर्न अथवा विक्रय कर भुगतान का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। प्रतिदान क्षमता का आंकलन निम्न प्रकार किया जायेगाः–

(क) आयकर एसेसमेण्ट की स्थिति में आयकर रिटर्न में दर्शित आय तथा आयकर एसेसमेंण्ट आर्डर के अतिरिक्त अन्य प्रमाणक प्रस्तुत करने की स्थिति में प्रमाण पत्र में दर्शित वार्षिक आय के 50 प्रतिशत तक ऋणी की प्रतिदान क्षमता आंकलित होगी।

उक्तानुसार आंकलित प्रतिदान क्षमता के आधार पर वसूली हेतु किस्तें निर्धारित की जाय।

8. **योजना को लागू किया जाना** :–उक्त योजना शीर्ष बैंक की प्रबन्ध समिति/प्रशासकीय बैंठक में पारित निर्णय के आधार पर लागू होगी।

9. **ऋण स्वीकृत की प्रक्रिया** :–ऋण प्राप्त करने हेतु बैंक द्वारा निर्धारित शुल्क भुगतान कर आवेदक द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र बैक की शाखा से प्राप्त किया जा सकता है। योजनान्तर्गत ऋण प्रबंध समिति द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अधीन शाखा प्रबंधक /ऋण उपसमिति/ कार्यकारिणी समिति द्वारा स्वीकृत किया जायेगा।

10. **आवेदनकर्ता से प्राप्त किये जाने वाले अभिलेखों का विवरणः–**

- आवेदन पत्र — प्रारूप संख्या–1
- गारंटीकर्ताओं के संबध में सूचना सीट — प्रारूप संख्या–2
- ऋणी के अभिभावक के वेतन एवं नियोक्ता की बैंक की मासिक किस्त तथा ब्याज भुगतान बैंक को करने हेतु सहमति — प्रारूप संख्या–3
- वैयक्तिक अधिकार एवं घोषणा पत्र — प्रारूप सख्या–4
- नियोक्ता को ऋणी के अभिभावक की ओर से दिये जाने वाला अधिकार पत्र — प्रारूप संख्या–5
- ऋणी के जन्म तिथि एवं शैक्षिक योग्यता संबधी/अंकतालिका की सत्यापित प्रति।
- महाविद्यालय/तकनीकी/व्यवसायिक संस्थान से उच्च शिक्षा के लिये दाखिले हेतु प्रमाण पत्र।
- संबधित संस्थान से अनुमानित व्यय के आंकलन सम्बन्धी पत्र।
- ऋणी छात्र, अभिभावक, जमानती के पास पोर्ट साइज के 2 फोटो।
- ऋण वितरण के पूर्व ऋणी की ओर से बैंक को दिये जाने वाले अभिलेख प्रतिभूति एवं प्रमाण पत्रों का विवरण।
- क्षेत्रान्तर्गत कार्यरत बैंक से अदेय प्रमाण पत्र अथवा नोटरी से प्रमाणित इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- बैक शाखा द्वारा ऋणी को योजनान्तर्गत ऋण स्वीकृत करने के उपरांत तथा ऋण वितरण के पूर्व ऋणी से निम्न अभिलेख एवं प्रतिभूति प्राप्त किया जायेगाः–

  1– सावधि प्रनोट — प्रारूप संख्या– 6

  2– लेटर आफ कन्टीन्यूटी — प्रारूप संख्या – 7

  3– ऋण अनुबंध पत्र — प्रारूप संख्या– 8

  4– गारंटी अनुबंध पत्र — प्रारूप संख्या– 9

  5–ऋण के नियम एवं शर्तो को स्वीकार करने बावत पत्र (Letter of Acceptance) — प्रारूप संख्या – 10

  6–आवेदक एवं सह आवेदक तथा दोनों जमानतकर्ताओं का नाममात्रिक सदस्यता का आवेदन पत्र।

11. **ऋण वितरण की प्रक्रिया–**

- शाखा में प्राप्त ऋण आवेदन पत्र एवं उसके साथ संलग्न समस्त अभिलेखों/प्रमाण पत्रों की जांच पूर्ण रूप से बैंक के शाखा प्रबंधक द्वारा की जायेगी तथा सुनिश्चित किया जायेगा कि

आवेदनकर्ता द्वारा आवेदन पत्र के साथ समस्त वांछित प्रमाण पत्र संलग्न किये गये हैं एवं ठीक हैं।

- आवश्यकतानुसार अचल सम्पत्ति को यदि इक्वीटेबुल बन्धक किया जाना है तो प्रस्तावित सम्पत्ति का नियमानुसार संलग्न प्रारूप पर इक्वीटेबुल मौरगेज बैंक प्रशासन द्वारा नियुक्त (अधिकृत) किये गये वकील से 100 रूपये मूल्य के नान ज्यूडिसियल फार्म पर बैंक के पक्ष में नोटरी करवाकर करना होगा।
- ऋण अनुबंध पत्र (प्रारूप 8) गारंटी अनुबंध (प्रारूप 9) पूर्ण रूप से भरवाते हुए प्रत्येक मु0 100 रू0 मूल्य के स्टाम्प पेपर में स्टाम्पित करवाया जायेगा।
- वांछित ऋण राशि के मूल्य के 0.50 प्रतिशत के नान ज्यूडिसियल फार्म अचल सम्पत्ति बन्धक करने हेतु बैंक में जमा करने होगे।
- ऋण आवेदन पत्र का परीक्षण एवं मूल्यांकन के पश्चात सक्षम स्तर पर ऋण की स्वीकृति प्रदान की जायेगी एवं प्रस्तर संख्या 11 पर वर्णित डाक्यूमेन्टस प्राप्त करने के उपरांत एवं समस्त आवश्यक कार्यवाही पूर्ण कराकर ऋण वितरण किया जायेगा। स्वीकृत ऋण का भुगतान 2 या 2 से अधिक किस्तों मे (जैसी आवश्यक हो) संबधित शिक्षण/प्रशिक्षण संस्था की मांगानुसार एकाउन्ट पेई डी0 डी0/चैक द्वारा किया जायेगा।
- उक्त ऋण पर ऋणी से ऋण राशि का 0.25 प्रतिशत प्रोसेसिंग चार्ज लिया जायेगा। आगणित राशि ऋणी के ऋण खाता/बचत खाता को डेविट कर वसूला जायेगा एवं लाभ–हानि अन्तर्गत में प्रोसेसिंग चार्ज मद में लिया जायेगा।
- ऋण बकाया होने की दशा में नियमानुसार ऋणी एवं उनके जमानतियों को नोटिस निर्गत करते हुए समयान्तर्गत वसूली का दायित्व शाखा प्रबंधक का होगा। उक्त योजना के तहत वितरित ऋण की वसूली नियमित मासिक किस्तों में की जाय तथा शाखा स्तर पर डिमाण्ड कलेक्शन व बैलेन्स रजिस्टर में मासिक विवरण तैयार किया जाय।

(5)–मध्यम आय वर्गीय वेतनभोगी व्यक्तिगत सदस्यों को कन्ज्यूमर ड्यूरेबुल वस्तुओं को क्रय करने के लिए ऋण प्रक्रिया–

1. **पात्रताः–**
   - ऋण केवल उन्हीं वेतनभोगी व्यक्तियों को दिया जाएगा जोकि अपने विभागीय आदेशों पर शाखा के माध्यम से मासिक वेतन प्राप्त करते हो।
     - वेतनभोगी सदस्य जो स्थानीय निकाय, शिक्षण संस्थायें, राज्य/केन्द्र सरकार तथा निजी क्षेत्र की सुदृढ़ संस्थाओं के स्थायी कर्मचारी हो।
     - निजी क्षेत्र के सुदृढ़ संस्थाओं के संबंध में उनकी वित्तीय स्थिति पर बैंक प्रबन्धक की सकारात्मक राय के पश्चात् ही इन संस्थाओं के स्थायी कर्मचारियों को वित्त पोषण सुविधा प्रदान किये जाने पर विचार किया जायेगा।
     - बैंक की शाखाएं उन्हीं संस्थाओं के स्थायी कर्मचारियों को ऋण वितरित करेगी जोकि बैंक शाखा के सेवा क्षेत्र के अन्तर्गत कार्यरत/स्थित हो।
2. **प्रतिव्यक्ति ऋण सीमाः–**
   - वेतनभोगी व्यक्ति को 12 माह के वेतन (मूल वेतन + मंहगाई भत्ता) अथवा एक लाख रूपये जो भी कम हो तक वित्त पोषण किया जायेगा।
   - ऋण की राशि वस्तु के वास्तविक मूल्य का 75 प्रतिशत की अधिकतम सीमा अंकन 1,00,000.00 रूपया (एक लाख रूपया) तक जो भी कम हो तक होगी।
     प्रतिबन्ध यह होगा कि स्वीकृत किये जाने वाले ऋण की राशि का निर्धारण इस प्रकार किया जाए कि ऋण की मासिक किस्त की वसूली हेतु वेतन से की जाने वाली कटौती अन्य कटौतियों को सम्मिलित करते हुए आधे वेतन (मूल वेतन + मंहगाई भत्ता) से अधिक न हो। अब ऋण की अधिकतम सीमा 5 लाख रूपयें निर्धारित है।
     कार्यालय निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड के परिपत्र संख्या–सी0 सी–6363–98/अधि0 –स0का0/विविधीकरण/2009–10, दिनांक 30 नवम्बर 2009 के अनुसार–
   - प्रति व्यक्ति ऋण सीमा पूर्व परिपत्र के अनुसार ऋण की राशि वस्तु के वास्तविक मूल्य का 75 प्रतिशत की अधिकतम सीमा रू0 100000.00 (एक लाख) तक होगी। उक्त–वित्त पोषण की सीमा को रू0 100000.00 (एक लाख) रूपये से बढ़कर रू0 300000.00 (तीन लाख) किया जाता है। इस हेतु यह भी निर्धारित किया जाता है कि वित्त पोषण वेतनभोगी व्यक्ति को 12 माह के वेतन/मूल वेतन + महंगाई भत्ते अथवा तीन लाख रूपये जो भी कम हो तक वित्त पोषण किया जायेगा।
     कार्यालय– निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड के परिपत्र संख्या–सी0 सी–137/अधि0 –स0का0 /आंशिक संशो0/सी0डी0एल0/2012–13, दिनांक 11 सितंबर 2012 के अनुसार–
   - उक्त वित्त पोषण की सीमा को रू0 300000.00 रूपये (तीन लाख रू) से बढ़कर रू0 500000.00 (पांच लाख रूपये) किया जाता है। इस हेतु यह भी निर्धारित किया जाता है

कि वित्त पोषण वेतनभोगी व्यक्ति को 24 माह के वेतन (मूल वेतन + महंगाई भत्ता+ ग्रेड वेतन) अथवा पांच लाख रूपये जो भी कम हो तक वित्त पोषण किया जाएगा।

3. **ऋण की अवधिः**—ऋण की अवधि 3 से 5 वर्ष होगी, तद्नुसार ही मासिक किस्तों का निर्धारण किया जाये।
4. **ब्याज दरः—**

टिकाऊ उपभोक्ता ऋण (सी0डी0एल0) 12.50 प्रतिशत

- ब्याज की गणना मासिक आधार पर की जाएगी जो ऋणी के खाते में नामे (डेबिट) कर दी जाएगी।
- मसिक किस्तों की समय पर अदायगी न होने की स्थिति में ऋणी से 2 प्रतिशत दण्डनीय ब्याज लिया जाएगा।

5. **ऋण की सुरक्षाः—**
   - ऋण प्राप्त करने वाले कर्मचारी से नियोजक के पक्ष में वेतन से ऋण की किस्तों की कटौती करने हेतु सहमति पत्र (प्रारूप 3 पर) प्राप्त किया जाये तथा साथ ही ऋण प्राप्तकर्ता अपने नियोजक से उत्तराखण्ड सहकारी समिति अधिनियम 2003 के अन्तर्गत बैंक के पक्ष में ऋण की वसूली मासिक किस्तों में वेतन से कटौती करके बैंक को भुगतान करने के सम्बन्ध में मैनोरेन्डम ऑफ अन्डरटेकिंग संलग्न प्रारूप 6 प्रस्तुत करेगा।
   - ऋण प्राप्त करने वाला कर्मचारी कम से कम एक वर्ष से शाखा में बचत खाते का संतोषजनक संचालन कर रहा हो। ऋण दिय जाने का उल्लेख उसके बचत खाते में किया जायेगा तथा सम्पूर्ण ऋण की अदायगी से पूर्व बचत खाता बन्द नहीं किया जयेगा।
   - ऋण प्राप्त करने वाले व्यक्ति से तथा ऋण के जमानतदारों से पार्टिकुलर टू बी सप्लाईड बाय द बारोअर/गारन्टर फार एडवान्सेस भरवाया जायेगा। (प्रारूप 1 बी)
   - ऋण प्राप्त करने वाले व्यक्ति तथा उसके जमानतदारों से ऋण प्रार्थना पत्र (प्रारूप ए) के साथ वेतन काटौती विवरण, जन्मतिथि आदि का विवरण हेतु संलग्न प्रारूप 1 सी एम्पलायर सर्टिफिकेट प्राप्त किया जायेगा।
   - ऋण ऐसे दो व्यक्तियों की प्रत्याभूति पर दिया जायेगा जोकि अपने विभागीय आदेशों पर शाखा के माध्यम से मासिक वेतन प्राप्त करते हो तथा कम से कम एक वर्ष से शाखा में बचत खाते का संतोषजनक परिचालन कर रहे हो। साथ ही ऋण के जमानदार बैंक सेवा क्षेत्र के अन्तर्गत स्थायी रूप से निवास करते हो।
   - प्रत्याभूति दिये जाने का उल्लेख बचत खाते में अंकित किया जायेगा तथा संपूर्ण ऋण राशि की अदायगी से पूर्व बचत खाता बन्द नहीं किया जायेगा। एक व्यक्ति केवल एक ही ऋणी की प्रत्याभूति ले सकता है। जमानदार को संलग्न प्रारूप 5 पर जामनतनामा भराना होगा।
   - ऋण दिए जाने से पूर्व ऋण लेने वाले व्यक्ति एवं जमानतदारों को बैंक का नाममात्रिक सदस्य बनना होगा।

- ऋण द्वारा खरीदी गयी वस्तुओं को बैंक के पक्ष में दृष्टिबन्धक कराया जायेगा तथा ऐसी वस्तुओं पर बैंक का प्रथम प्रभार होगा जिसके लिए बैंक एवं ऋणी के मध्य संलग्न प्रारूप 4 के अनुसार हाइपोथिकेशन डीड भरवाया जायेगा।
- ऋण केवल नयी उपभोक्ता वस्तुओं के क्रय हेतु दिया जायेगा। इसके अन्तर्गत कन्ज्यूमर ड्यूरेबुल वस्तुओं जैसे– टेलीविजन, रेडियो, रेफ्रिजरेटर, स्कूटर, मोटर साइकिल, मोपेड, फर्नीचर, कुकिंग गैस, कम्प्यूटर, यू0पी0एस0, प्रिन्टर, एयर कन्डीशनर इन्यादि हेतु ऋण सुविधा उपलब्ध करायी जा सकती है।
- ऋण लेने वाले व्यक्ति से वस्तु का मूल्य विवरण (कोटेशन) उस फर्म का लिया जाएगा जिस फर्म से वह वस्तु क्रय करना चाहता है। ऋणी के बारे में सामान्य जानकारी के आधार पर विशेष परिस्थितियों में सम्मानजनक ग्राहकों को कोटेशन एवं बिल प्राप्त करने की बाध्यता से शाखा प्रबन्धक छूट दे सकते हैं। ऐसी स्थिति में ऋणी से इस आशय का प्रमाण–पत्र प्राप्त किया जायेगा कि ऋण राशि से उपभोक्ता टिकाऊ वस्तु क्रय की जायेगी। इसके अतिरिक्त प्रमाण–पत्र में वस्तु का विवरण भी दिया जायेगा।
- सम्मानजनक ग्राहकों से तात्पर्य ऐसे पात्र वेतनभोगी आयकरदाताओं से होगा जो कि विगत तीन वर्षो से आयकर रिटर्न दाखिल कर रहे हों। (शाखा प्रबन्धक आयकर रिटर्न/एसेसमैन्ट आर्डर की प्रमाणित प्रति पत्रावली में रखेगें। बैंक में कार्यरत स्टाफ को ऋण प्रदान करते समय आयकर रिटर्न/एसेसमैन्ट आर्डर की प्रति प्राप्त करना अनिवार्य न होगा)।
- यदि क्रय की जाने वाली वस्तु का क्रय मूल्य स्वीकृत सीमा से अधिक है तो क्रय की जाने वाली वस्तु के मूल्य में से स्वीकृत ऋण की धनराशि घटाकर अवशेष धनराशि को ऋणी से पहले बैंक में जमा करवा लिया जायेगा। तदुपरान्त चैक/पे–आर्डर द्वारा उस फर्म/व्यक्ति को वस्तु के मूल्य का चैक ऋणी के नाम काटकर ऋणी से विक्रेता के नाम पृष्ठांकित कराया जायगा और भुगतान किया जायेगा। प्रमाण–पत्र के आधार पर ऋण स्वीकृत किये जाने की स्थिति में ऋण का चैक ऋणी के आधार पर ऋण स्वीकृत किये जाने की स्थिति में ऋण का चैक ऋणी के पक्ष में निर्गत कर उपलब्ध करयेगें। ऐसी परिस्थिति में शाखा प्रबन्धक का विशेष दायित्व बनता है कि ऋण की सुरक्षा के सम्बन्ध में पूणरूप से संतुष्ट हो जाये तथा ऐसे ऋण खाते की वसूली के प्रति विशेष रूप से सचेत रहें।
- वस्तु क्रय कर लिये जाने के उपरान्त ऋणी से बिल की छायाप्रति भी प्राप्त की जायेगी तथा उपभोग प्रमाण–पत्र संलग्न प्रारूप 7 पर प्राप्त किया जायेगा।
- क्रय की गयी वस्तु के मूल्य के बराबर का बीमा करवाना हो जो बैंक एव ऋणी के संयुक्त नाम से बैंकर्स क्लॉज के अन्तर्गत होगा। यह बीमा चोरी, सैंधवार चोरी, अग्नि आदि जोखिम के विरूद्ध कराया जायेगा तथा बीमा संबंधी मूल कागज बैंक में सुरक्षित रखे जायेगें।

  यदि ऋणी द्वारा क्रय की गयी वस्तु का बीमा ऋण आहरण से एक सप्ताह के अन्तर्गत नहीं कराया जाता है तो ऐसी स्थिति में बैंक शाखा को उसके ऋण खाते को डेविट करते हुए वांछित धनराशि का बीमा कराना होगा।

6. **कन्ज्यूमर डयूरेबल ऋण हेतु निर्धारित रूप पत्रः**—शाखा स्तर पर प्रत्येक ऋणी पत्रावली अलग—अलग बनाकर रखी जायेगी तथा फाइल पर ऋणी का नाम, खाता क्रमांक तथा अन्य विवरण अंकित किया जाना आवश्यक होगा एवं पत्रावली बैंक में संयुक्त अभिरक्षा में रखी जायेगी। प्रत्येक ऋण पत्रावली में निम्न कागजात अवश्य रखे जायेगें।

- ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र — प्रारूप 1—ए
- पार्टिकुलर सप्लाइड बाइ बौरोअर/गारन्टर — प्रारूप 1—बी
  (ऋणी तथा दोनों गारंटीकर्ताओं द्वारा भरा जाएगा)
- एम्पलायर सर्टीफिकेट — प्रारूप 1—सी
  (ऋणी तथा दोनों गारंटीकर्ताओं द्वारा भरा जाएगा)
- ऋण स्वीकृति हेतु नियोजक की संस्तुति — प्रारूप — 2
- ऋणी द्वारा नियोजक के पक्ष में इस आशय का सहमति पत्र कि वे उसकी मासिक वेतन से ऋण की किस्तों की कटौती कर सकें। — प्रारूप — 3
- दृष्टिबन्धक पत्र — प्रारूप — 4
- प्रनोट जमानत—प्रमाणपत्र सहित — प्रारूप — 5
- उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम 1995 की धारा— 40 (1) (सहपठित उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम 2000) के अर्न्तगत नियोजक से प्राप्त मैमोरेन्डम ऑफ अन्डटेकिंग — प्रारूप — 6
- उपभोग प्रमाण—पत्र — प्रारूप — 7
- नाममात्र सदस्यता फार्म — प्रारूप — 8

(ऋणी तथा दोनों गारंटीकर्ताओं द्वारा भरा जाएगा)

7. **ऋण की स्वीकृतिः**—शाखा स्तर पर ऋण की स्वीकृति शाखा प्रबन्धक द्वारा की जायेंगी।
8. **ऋण देने की प्रकियाः—**

- ऋणी से संलग्न प्रारूप 1ए पर ऋण प्रार्थना—पत्र लिया जायेगा। ऋण प्रार्थना पत्र के साथ वेतन एवं कटौती का विवरण, जन्मतिथि आदि का विवरण नियोजक/आहरण वितरण अधिकारी से प्राप्त किया जाये।
- प्रार्थना—पत्र में अंकित विवरण के आधार पर प्रस्तावित ऋणी की प्रतिदान क्षमता का ठीक—ठीक मूल्यांकन किया जायेगा। पूर्व की कटौतियों को ध्यान में रखते हुए यदि ऋणी की प्रतिदान क्षमता बनती है तो उससे निम्न औपचारिकतायें पूरी करायी जायेगीः—
- ऋणी द्वारा नियोजक के पक्ष में इस आशय का सहमति पत्र कि वे उसकी मासिक वेतन से किस्त की कटौती करें।
- क्रय किये जाने वाली वस्तु का मूल्य विवरण (प्रोफार्मा बिल) तथा वस्तु के मूल्य एवं उसकी प्रतिदान क्षमता के आधार पर ऋण सीमा का आंकलन किया जायेगा।
- सम्मानजनक ग्राहकों को कोटेशन एवं बिल प्राप्त करने की बाध्यता से छूट दिये जाने की स्थिति में ऋणी से इस आशय का प्रमाण—पत्र प्राप्त किया जायेगा कि ऋण राशि से

उपभोक्ता टिकाऊ वस्तु क्रय की जायेगी। इसके अतिरिक्त प्रमाण–पत्र में वस्तु का विवरण भी दिया जायेगा। यह प्रमाण–पत्र पत्रावली में रखा जायेगा तथा साथ ही ऐसे ऋणियों से विगत तीन वर्षो के आयकर रिटर्न/ऐससमैन्ट आर्डर की प्रमाणित प्रति प्राप्त कर पत्रावली में रखी जायेगी। इस तरह प्रमाण–पत्र के आधार पर स्वीकृत ऋणी की स्थिति में ऋण का चैक ऋणी के पक्ष में निर्गत कर उपलब्ध कराया जायेगा। इस तरह के ऋणों के वितरण की स्थिति में शाखा प्रबन्धक का विशेष दायित्व होगा कि ऋण की सुरक्षा के सम्बन्ध में पूर्णरूप से संतुष्ट हो लें तथा ऐसे ऋण खातो की वसूली के प्रति विशेष रूप से सचेत रहें।

9. **एकाउण्ट प्रणालीः–**

- इस ऋण का बैंक स्तर पर सदस्यतावार पृथक–पृथक खाता रखा जाएगा, जिसमें ऋणी सदस्य से हुए लेन–देन के अतिरिक्त निम्नलिखित का विवरण भी ऋणी के खाते में अंकित किया जाएगाः–

  (क) ऋणी का नाम तथा ऋणी के घर व कार्यालय का पता (ख) पिता का नाम (ग) ऋण का प्रयोजन

  (घ) ऋण की मासिक किस्त

- बैंक में नाम मात्रिक सदस्यता रजिस्टर रखा जाएगा, जिसमें निम्न शीर्षक होगाः–

क्रं0	नाम सदस्य	पिता का नाम/पता	कार्यालय का पता	प्रार्थना पत्र की तिथि	सदस्य को नाम मात्रिक सदस्य बनाने का तिथि

- व्यक्तिगत ऋणो से सम्बन्धित एक पृथक रजिस्टर भी रखा जाएगा, जिसमें ऋणीवार वितरित ऋण एवं मासिक डिमाण्ड एवं उसके विरूद्ध वसूली का विवरण अंकित किया जाएगा, ताकि यह ज्ञात हो सके कि मासिक डिमाण्ड के विरूद्ध कितनी वसूली हुयी।
- शाखा प्रबन्धक द्वारा व्यक्तिगत ऋणों के वितरण एवं वसूली का विवरण मुख्यालय को नियमित रूप से प्रषित किया जाएगा।

10. **ऋणी की वसूली का दायित्वः**–ऋण वसूली का मुख्य दायित्व शाखा प्रबन्धक का होगा। जिन मामलों में मासिक किस्तों का भुगतान निर्धारित तिथि को प्राप्त नहीं होता हैं, उनके सम्बन्ध में शाखा प्रबन्धक द्वारा यथा समय ऋणी सदस्य तथा जमानतदारों एवं उसके नियोजन से वसूली हेतु समुचित कार्यवाही की जाएगी और यदि शाखा प्रबन्धक द्वारा निर्धारित तिथि के एक सप्ताह के अन्दर कार्यवाही न की गयी तो यह माना जाएगा कि शाखा प्रबन्धक ने जानबूझकर लापरवाही बरती और बकाया पड़ने का उत्तरदायित्व शाखा प्रबन्धक का होगा।

बैंक मुख्यालय स्तर पर व्यक्तिगत ऋणों के वितरण एवं उनकी मासिक वसूली की समीक्षा प्रतिमाह की जाएगी।

यदि किसी बकायादार से देय तिथि पर किस्त की वसूली नहीं होती है, तो सम्बन्धित शाखा प्रबन्धक इस सम्बन्ध में प्रभावी कार्यवाही करेंगे। यदि फिर भी वसूली नहीं होती है, तो ऋणी सदस्य तथा जमानतदारों एवं उसके नियोजक के विरूद्ध धारा 95 (क) अथवा आर्बीटेशन

की कार्यवाही करने हेतु नोटिस तत्काल निर्गत करते हुए वसूली के लिए प्रयास किया जाएगा, फिर भी वसूली न होने पर नोटिस की अवधि समाप्त होते ही ऋणी सदस्य एवं जमानतकर्ता तथा नियोजक के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाएगी तथा ऋण से क्रय की गयी वस्तु का अधिग्रहण कर ऋण की वसूली की जाएगी इस प्रकार घरेलू सामान हेतु वितरित ऋणों की किस्तों की शत–प्रतिशत मासिक वूसली सुनिश्चित की जायगी।

(6)–कैश क्रेडिट कर्मचारी ऋण योजना प्रक्रिया–

कार्यालय निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड के पत्रांक 32/आर0सी0एस/2002–03 दिनांक 19 अप्रैल 2003 के अनुसार बैकों की मांग पर प्रबन्ध समिति के निर्णय के अधीन जिला सहकारी बैंक/राज्य सहकारी बैंक में कार्यरत अधिकारियों, कर्मचारियों, कैडर सेवा के सदस्यों को वर्तमान में लागू उपभोक्ता ऋण, दो पहिया वाहन, ऋण एंव कम्पयूटर ऋण योजना के स्थान पर 'बेजमानती ओवर ड्राफ्ट योजना' लागू करने का निर्णय लिया गया है। यह योजना कर्मचारी के विकल्प पत्र के आधार पर लागू होगी, जो कर्मचारी इस योजना को चुनने का विकल्प देता है, तथा उसे पूर्व में प्रचलित उपरोक्त ऋण स्वीकृत उपरान्त सर्वप्रथम उस कर्मचारी की ओर लगे उपरोक्त ऋणों की शत प्रतिशत (ब्याज सहित) वसूली कैश क्रेडिट खाते से की जाएगी।

ऋण आवेदन एवं स्वीकृति–ऋण आवेदन पत्र बैंक शाखा से उपलब्ध होगा जिसे पूर्ण रूप से भर कर कर्मचारी (आवेदक) को अपने नियोक्ता से स्वीकृति हेतु अग्रसारित करवाना होगा तथा साथ ही अपने विरूद्ध बेजमानती ओवर ड्राफ्ट खाते में लगे अवशेष ऋण को मय ब्याज के भविष्य निधि ग्रैच्यूटी अन्य योजना से मिलने वाले लाभों से समायोजित करने हेतु बैंक को अपने आप तथा अपने नामित से अधिकृत करना होगा।

इस योजना के नियम व शर्ते निम्नवत होगें:–

- इस योजना के लिए केवल वे कर्मचारी/अधिकारी ही पात्र होगें जिन्होनें न्यूनतम 3 वर्ष की नियमित एंव संतोषजनक सेवा पूर्ण कर ली है तथा उनकी कुल कटौतियां (आयकर सहित) सकल वेतन के 60 प्रतिशत से अधिक नहीं है।
- इस योजना के अंतर्गत अधिकतम ऋण सीमा कर्मचारी के वेतन (मूल वेतन +महंगाई भत्ता) के 25 गुणा या अधिकतम सीमा निम्नानुसार, जो भी कम हो की सीमा तक स्वीकृत की जायेगी। किसी भी दशा में निर्धारित अधिकतम सीमा से अधिक यह खाता आहरित नहीं किया जाएगा।

कर्मचारी कैडर	सेवा अवधि		
	3 वर्ष से 10 वर्ष के बीच	10 वर्षसे अधिक 20 वर्ष तक	20वर्ष से अधिक
अधिकारी वर्ग	2.00 लाख रू	2.50 लाख रू	3.00 लाख रू
वर्ग–3 लिपिकीय	1.50 लाख रू	2.00 लाख रू	2.50 लाख रू
वर्ग–4 सहयोगी वर्ग	1.00 लाख रू	1.25 लाख रू	1.50 लाख रू

- इस खाते पर ब्याज की गणना दैनिक प्रोडक्ट निकालकर मासिक आधार पर की जायेगी, वर्तमान में ब्याज दर 9.50 प्रतिशत होगी, जो भविष्य में कम /अधिक हो सकती है लेकिन

बैंक द्वारा अवधि निक्षेपों पर दी जाने वाली अधिकतम ब्याज दर मे 3.00 प्रतिशत (प्रबन्धकीय व्यय तथा न्यूनतम लोन मार्जिन) सम्मिलित कर निर्धारित की जायेगी। इस खाते में क्रेडिट अवरोध होने की दशा में कोई ब्याज नहीं दिया जायेगा। इस खाते में ब्याज की राशि जोड़ दिये जाने के उपरान्त धन अवशेष (लगा ऋण) निर्धारित सीमा से अधिक हो जाता है तो उसे नियमित करने हेतु कर्मचारी को तीस दिनों का समय दिया जाएगा।

- कर्मचारी को बैंक द्वारा भुगतान की जाने वाली समस्त परिलब्धियॉ इसी खाते में क्रेडिट की जायेगी।
- इस सुविधा का उपभोग करने वालेकर्मचारी/अधिकारी का स्थानान्तरण किसी अन्य सहकारी बैंक में हो जाने की दशा में उसके ओवर ड्राफ्टखाते मे कुल लगी ऋण राशि को ब्याज सहित 60 मासिक किश्त अथवा उसकी सेवानिवृत्ति तक की शेष अवधि (जो भी दोनों मे से हो) में विभाजित कर स्थापना अनुभाग द्वारा उसके अंतिम वेतन प्रमाण पत्र में मासिक वसूली दर्शाया जाएगा।
- किसी कर्मचारी का स्थानान्तरण एक शाखा से दूसरी शाखा पर हो जाने की दशा में इस पर तातारीख ब्याज जोड़कर इसकी कुल अवशेष राशि (बेजमानती ओवर ड्राफ्ट खाता)का उसी शाखा पर ट्रांसफर कर दिया जायेगा।
- किसी कर्मचारी के निलम्बन की दशा में उसका उक्त खाते से परिचालन तत्काल रोक दिया जायेगा तथा उसकी जीवन निर्वाह भत्ता उसके बचत खाते में ट्रांसफर किया जाएगा।
- कर्मचारी द्वारा अपने नामीत्त से अपनी निधियों के समायोजन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जमा करना होगा।
- कर्मचारी की भविष्य निधि तथा ग्रेच्युटी इस खाते के विरूद्ध प्रभार स्वरूप रहेगी।
- कर्मचारियों के बेजमानती ओवर ड्राफ्ट खाते व्यक्तिगत लोन लेजर में शाखा स्तर पर खोलकर सम्बन्धित कर्मचारी/ अधिकारी को चैक बुक जारी की जायेगी, कोई भी आहरण बिना चैक बुक के नही होगा तथा जनरल लेजर में इसे 'कैश क्रेडिट एंव ओवर ड्राफ्ट' शीर्षक के अन्तर्गत ''बेजमानती ओवर ड्राफ्ट योजना''के नाम से अलग से दर्शाया जायेगा।
- ऋण सीमा की स्वीकृति सम्बन्धी कार्य स्थापना अनुभाग द्वारा किया जायेगा अतः जो कर्मचारी इस योजना के अंतर्गत कैश क्रेडिट लिमिट स्वीकृत कराना चाहते है वे सलंग्न प्रारूप पर पूर्ण कर बैंक के स्थापना अनुभाग को प्रेषित करना सुनिश्चित करेगें।

कार्यालय निबन्धक, सहकारी समितियां उत्तराखण्ड के पत्रांक 313/कैशक्रेडिट/2003–04 दिनांक 27 मई 2004 में निम्न सशोधन किये गये है–

- उक्त ऋण योजना का नाम बेजमानती ओवर ड्राफ्ट के स्थान पर कैश क्रेडिट कर्मचारी ऋण योजना होगा।
- उक्त ऋण योजना में जिला सहकारी बैंकों/राज्य सहकारी बैकों में कार्यरत अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ अन्य निम्न कर्मचारी भी सम्मिलित होगें –
  (क) शीर्ष सहकारी संस्थाओं के प्रबन्ध निदेशक, महाप्रबन्धक, मुख्य प्रबन्धक (प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत अधिकारियों सहित) विभाग के निबंधक, अपर निबंधक तथा उपनिबंधक हेतु यह ऋण सीमा पांच लाख रूपये तक होगी।
  (ख) सहकारी विभाग के अन्य कर्मचारियों व अधिकारियों को उनके वेतन आहरण अधिकारी की संस्तुति पर पूर्व परिपत्र 2 के अनुसार ऋण सीमा स्वीकृत की जा सकेगी। उक्त ऋण

सीमा ऐसे सरकारी कर्मचारियों व अधिकारियों को ही देय होगी जिनका वेतन बैंक की शाखा में जमा हो रहा है।

(ग) अन्य विभाग के अधिकारियों एंव कर्मचारियों को भी वेतन आहरण वितरण अधिकारी की संस्तुति पर पूर्व परिपत्र के प्रस्तर –2 के अनुसार ऋण सीमा स्वीकृति की जायेगी।

(घ) जिन अधिकारियों /कर्मचारियों की सेवा निवृति अवधि 3 वर्ष से कम है उनके वेतन से प्रत्येक माह 10 प्रतिशत की कटौती कर अनिवार्य रूप से उक्त कैश क्रेडिट खाते में वसूली में जमा कराई जायेंगी तथा उक्त कैश क्रेडिट ऋण सीमा का उपयोग करने वाले प्रत्येक कर्मचारी/अधिकारी की ब्याज की राशि जमा करानी अनिवार्य होगी।

उक्त कैश क्रेडिट ऋणसीमा स्वीकृत करने का अधिकार बैंक का है यदि बैंक यह समझता है कि किसी कर्मचारी/अधिकारी से वसूली संभव नहीं है तो प्रार्थना पत्र को अस्वीकार कर सकता है। उक्त कैश क्रेडिट ऋण सीमा लेना किसी कर्मचारी/अधिकारी का क्लेम नहीं होगा।

कार्यालय निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड के पत्रांक 6324–62/अधि0–स0का0 /वे0भी0/बैंक ऋण/2009–10, दिनांक 30 नवम्बर 2009 में निम्न संशोधन किये गये है–

- वेतनभोगी सहकारी समिति द्वारा किसी भी सदस्य को उसके 12 माह के वेतन अथवा 3.00 लाख रू जो भी कम हो तक ऋण सीमा निर्धारित की जायेगी।
- वेतनभोगी सहकारी समिति के किसी भी सदस्य को ऋण राशि इस प्रकार निर्धारित की जाय कि किश्तों के भुगतान हेतु उसके वेतन से की जाने वाली कुल कटौती उस प्राप्त होने तक कुल वेतन एंव महंगाई भत्ते के आधे से अधिक न हो।
- संबंधित आहरण वितरण अधिकारी के द्वारा उसके वेतन से कटौती करने एंव कटौती की जाने वाली धनराशि को एक सप्ताह के अंतर्गत संबंधित सहकारी बैंक की शाखा में जमा करने संबंधी प्रमाण पत्र देना होगा।
- बैंक द्वारा मासिक आधार पर ब्याज की गणना की जायेगी।
- परिपत्र की एक प्रति अध्यक्ष, सहकारी बैंक को भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

कार्यालय निबन्धक, सहकारी समितियां उत्तराखण्ड के पत्रांक संख्या 7568–81/बैंक कर्म0/ऋण सीमा/2009–10 दिनांक 10 जनवरी 2010 में निम्न आंशिक संशोधन किये गये है।

कर्मचारी कैडर	सेवा अवधि		
	3 वर्ष से 10 वर्ष के बीच	10 वर्ष से अधिक 20 वर्ष तक	20वर्ष से अधिक
अधिकारी वर्ग	3.50 लाख रू	4.00 लाख रू	5.00 लाख रू
वर्ग–3 लिपिकीय	2.50 लाख रू	3.500 लाख रू	4.00 लाख रू
वर्ग–4 सहयोगी वर्ग	1.50 लाख रू	2.50 लाख रू	3.00 लाख रू

कार्यालय निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड के परिपत्र संख्या सी 8421–24/कर्म0/ऋण सीमा/2009–10, दिनांक 10 मार्च 2010 में निम्न सशोंधन किया गया है–'कैश क्रेडिट कर्मचारी ऋण योजना' में अन्य विभाग के कर्मचारियों की ऋण सीमा मूल वेतन +महंगाई भत्ता के 25 गुना या अधिकतम 5.00 लाख रू0 तक स्वीकृत की जा सकती है। उक्त योजना में ब्याज दरें तत्समय प्रचलित ब्याज दरों के अनुसार होगी।

कार्यालय निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड के पत्रांक सी 198 /अधि0सं0का0/वे0 भो0/बैंक ऋण/2010–11 दिनांक 27 दिसंबर 2010 में निम्न संशोधन किये गये है–

- वेतनभोगी सहकारी समिति द्वारा किसी भी सदस्य को उसके 24 माह के वेतन अथवा 4.00 लाख रू जो भी कम हो तक ऋण सीमा निर्धारित की जायेगी।
- वेतनभोगी सहकारी समिति के किसी भी सदस्य को ऋण राशि इस प्रकार निर्धारित की जाए कि किश्तों के भुगतान हेतु उसके वेतन से की जाने वाली कुल कटौती उसे प्राप्त होने तक कुल वेतन एंव महंगाई भत्ते के आधे से अधिक न हो।
- सदस्य से 1:20 के अनुपात की दर से अंश प्राप्त किया जाएगा।
- संबंधित आहरण वितरण अधिकारी के द्वारा उसके वेतन से कटौती करने एंव कटौती की जाने वाली धनराशि को एक सप्ताह के अंतर्गत संबंधित जिला सहकारी बैंक की शाखा में जमा करनें संबंधी प्रमाण पत्र देना होगा।
- सदस्य से वसूल की गई धनराशि बैंक शाखा में जमा करने का दायित्व नियोक्ता के अतिरिक्त संबंधित समिति सचिव का भी होगा।
- जिन वेतनभोगी सहकारी समितियों द्वारा अपने संशाधनों से सदस्यों को वित्तपोषण किया जा रहा है वह सदस्यों के ऋण पर ब्याज दर निर्धारित करने की स्वतंत्र होगी।
- बैंक द्वारा वेतनभोगी सहकारी समितियों से मासिक आधार पर ब्याज की गणना की जायेगी।
- समिति अपने सदस्यों को दिये जाने वाले ऋणों की वसूली 48 मासिक किस्तों में निर्धारित करते हुए करेगी।
- सभी वेतनभोगी समितियॉ ऋण की सुरक्षा हेतु ऋण देने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करेगी।

(7)–सम्पत्ति के विरूद्ध ऋण प्रकिया–

प्रबन्ध समिति की बैठक दिनॉक 07.11.2009 में पारित प्रस्ताव संख्या –18 के द्वारा बैंक के ऋण व्यवसाय में वृद्धि किये जाने हेतु अचल सम्पत्ति को बन्धक रखकर कैश क्रेडिट लिमिट/टर्म लोन की सुविधा प्रदान किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। इस सम्बन्ध यह भी निर्णय लिया गया कि ऋणी से अन्य सभी औपचारिकताऐं पूर्ण करा ली जाय ताकि वसूली समयान्तर्गत प्राप्त हो सके।

अतः निर्देषित किया जाता है कि निम्नांकित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के तहत अचल सम्पति को बन्धक रखकर ऋण स्वीकृत किया जाना सुनिश्चित करें।

1. ऋण की अवधि अधिकतम 7 वर्ष होगी।
2. अचल सम्पति पर स्पष्ट अधिकार (खेत सं0/प्लाट सं0/बटवारा/कुर्रे/खतौनी सहित) सम्बन्धी विवरण प्राप्त किया जायेगा। शाखा प्रबन्धक स्वंय व अन्य कर्मचारियों से स्थलीय निरीक्षण भी करायेगें।
3. भार मुक्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
4. अचल सम्पति के मूल्यांकन (सर्किल रेट पर)/बैंक द्वारा नियुक्त वैल्युवर की रिपोर्ट के आधार पर आंकलित मूल्य का 60 प्रतिशत अथवा 20.00 लाख रू0 जो भी कम हो, की अधिकतम सीमा तक ऋण दिया जा सकेगा। प्रबन्ध समिति की बैंठक दिनांक 21.02.2014 में पारित प्रस्ताव संख्या 16(4) के अनुसार ऋण की सीमा रू0 20 लाख से बढ़ा कर रू0 40 लाख किये जाने का निर्णय लिया गया है।
5. बैंक द्वारा समय–समय पर निर्धारित दर पर ब्याज लिया जायेगा। व्याज मासिक रूप से आंकलित कर ऋणी के खाते में डेविट किया जायेगा।
6. ऋणी एवं जामिनों को बैंक का नाम मात्रिक सदस्य बनना होगा।

7. अचल सम्पति बैंक के पक्ष में रजिस्टर्ड मौरगेज/इक्वीटेविल मौरगेज करनी होगी।
8. टर्म लोन/कैश क्रेडिट ऋण के सम्बन्ध में वांछित अन्य समस्त औपचारिकताऐं/ डाक्यूमेन्टेशन पूर्ण कराना होगा। जिसका उत्तरदायित्व ऋण प्रभारी/मुख्य प्रबन्धक शाखा का होगा।
9. ऋणी का बीमा भी बैंक क्लाज में कराया जायेगा।
10. **ब्याज दर–**

1. 10 लाख रूपये तक–	12.00
2. 10 लाख रूपये से 20 लाख रू0 तक	12.50
3. 20 लाख रूपये से अधिक	13.00

प्रायः उक्त ऋण चार किश्तों में दिया जायेगा, प्रत्येक किश्तों की उपयोग का निरीक्षण कराकर ही अगली किश्त जारी की जायेगी। इसी प्रकार सी0 सी0 लिमिट का सदुपयोग भी बैंक स्तर से सुनिश्चित किया जायेगा। ऋण देते समय उच्च स्तर की सतर्कता बरती जाये ताकि ऋण की सामायिक वसूली हो सके। शाखा प्रभारी सुनिश्चित करेंगे कि ऋण का उपयोग प्रार्थना पत्र में दर्शित मद में ही हो। ऋणी से उपयोगिता प्रमाण पत्र भी लिया जाये।

(8)–नियमित कर्मचारियों/अधिकारियों के लिए "पुत्री विवाह ऋण'' प्रकिया–

उत्तराखण्ड राज्य सहकारी बैंक लि0, हल्द्वानी में नियमित कर्मचारियों/अधिकारियों में अधिकतर आवंटित/प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मचारी अविभाजित मूल बैंक उ0 प्र0 कोआपरेटिव बैंक लि0 लखनऊ से है। उक्त बैंक द्वारा अपने यहॉ पुत्री विवाह/सगी बहन के विवाह हेतु ऋण उपलब्ध की सुविधा प्रदान की गयी है। बैंक कर्मचारियों/अधिकारियों के अनुरोध पर बैंक की प्रशासकीय बैठक दिनॉक 09.10.2012 में पारित प्रस्ताव संख्या 05 के द्वारा प्रशासक/आयुक्त महोदया, द्वारा बैंक के स्थायी कर्मचारियों/अधिकारियों को अपनी पुत्री तथा सगी बहन हेतु " पुत्री विवाह ऋण " की सुविधा निम्न शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृती दी गयी है।

- पुत्री विवाह ऋण केवल स्थायी कर्मचारियों/अधिकारियों को अपनी पुत्री/सगी बहन के विवाह के लिए केवल वास्तविक उद्देश्य हेतु ही उपलब्ध होगा न कि अन्य किसी उत्सव हेतु जैसे रोक, तिलक, सगाई आदि हेतु।
- उक्त ऋण हेतु दो जमानती, जो बैंक के स्थायी कर्मचारी हो और उसके उपरान्त सेवानिवृत्त हो रहे हो देने होगें। जो उपलब्ध कराये गये ऋण की सुरक्षा हेतु जमानत ले सके।
- उपरोक्त ऋण 20 मास के मूल वेतन अथवा मु0 500000.00/– में जो भी कम हो देय होगा। उक्त ऋण की समयावधि पॉच वर्ष (60 मास) होगी। प्रतिबन्ध यह होगा कि एक वर्ष से कम नौकरी की अवधि में उक्त ऋण देय नही होगा। यदि कोई कर्मचारी निर्धारित अवधि 60 मास से पूर्व सेवानिवृत्त हो रहा है तो शेष मूल ऋण एवं ब्याज उसकी सेवानिवृत्ति से पूर्व बैंक द्वारा वसूल कर लिया जायेगा।
- उक्त ऋण वास्तविक उद्देश्य (शादी) से केवल दो मास पूर्व ही लिया जा सकता है।
- यदि किसी कारण वश उक्त ऋण दो मास में (आहरित तिथि से) प्रयोग नही किया जाता है, तो 15 दिनों के अन्दर उक्त समस्त ऋण बैक को ब्याज सहित वापस जमा कराना होगा। यदि ऋणी ऋण वापसी करने में असमर्थ होता है तो उसे 2 प्रतिशत दण्डनीय बयाज देना होगा।
- उक्त ऋण पर वर्तमान में ब्याज दर 7.50 प्रतिशत वार्षिक होगी तथा बैंक प्रबन्धन द्वारा समय समय पर लागू दर ही मान्य होगी। ब्याज दर किसी भी दशा में कॉस्ट ऑफ फण्ड से कम नही होगी। ब्याज की गणना छमाही की जायेगी, तथा ब्याज की राशि अलग ब्याज खाते में क्रेडिट की जायेगी।
- यदि कोई कर्मचारी उक्त सुविधा हेतु दोबारा आवेदन करता है तो वह केवल उसी स्थिति में स्वीकार होगा जब वह अवशेष पूर्व ऋण को ब्याज सहित चुकता कर देगा।
- सगी बहन कर्मचारी/अधिकारी पर पूर्णतया आश्रित हो। कर्मचारी/बहन के पिता का स्वर्गवास हो चुका हो। बहन और कर्मचारी के पिता एक ही हो तथा कर्मचारी की माता बैंक अथवा राजकीय सेवा में न हो। सगी बहन की शादी हेतु ऋण के अन्य नियम वही होगें, जो पुत्री विवाह ऋण के सम्बन्ध में प्रभावी है।
- कर्मचारी/अधिकारी को अपनी पी0 एफ0 से ऋण समायोजन हेतु स्वयं व अपनी नामिनी (पत्नी) द्वारा अन्डरटेकिंग देनी होगी।

- पुत्री/सगी बहन के विवाह ऋण के आवेदन के साथ जन्मतिथि प्रमाण पत्र तथा शादी हेतु छपवाया गया कार्ड संलग्न करना होगा।
- उपरोक्त ऋण सुविधा को किसी भी समय समाप्त करने या नियम परिवर्तित करने का अधिकार बैंक प्रबन्धन को होगा। बैंक प्रबन्धन अपने विवेकानुसार किसी भी ऋण आवेदन पत्र को विना बताये/बिना कारण अस्वीकार कर सकता है।

चीनी मिलों का वित्तपोषण

नाबार्ड द्वारा निर्धारित सी0एम0ए0 नार्मस के अन्तर्गत बैंक स्वंय अथवा जिला सहकारी बैकों के साथ कन्सोंटियम बनाकर चीनी मिलों को निम्नवत् ऋण सुविधा प्रदान की जाती है:–

- बन्धक ऋण सीमा
- दृष्टिबन्धक ऋण सीमा
- टर्म लोन

बन्धक ऋण सीमा

नाबार्ड द्वारा निर्धारित सी0एम0ए0 नार्मस के अनुसार सहकारी क्षेत्र की चीनी मिलों को बैंक के निजी पूॅजी के 45 प्रतिशत तक तथा निजी क्षेत्रों की चीनी मिलों को निजी पूॅजी के 25 प्रतिशत की सीमा तक वित्तपोषण किये जाने की व्यवस्था है। चीनी मिलों को उनके चीनी स्टाक को बन्धक कर 20 प्रतिशत मार्जिन रखते हुए ऋण सीमा की आहरण क्षमता के अनुसार ऋण उपलब्ध कराया जाता है चीनी का स्टाक बैंक के लॉक एवं की में बैंक की अभिरक्षा में सुरक्षित रहता है जिसको विक्रय करते समय विक्रय की धनराशि बैंक में जमा कराकर स्टाक रिलीज किया जाता है। विशेष परिस्थितियों में मार्जिन 15 प्रतिशत भी हो सकता है लेवी चीनी पर मार्जिन 10 प्रतिशत रहेगा।

दृष्टिबन्धक ऋण सीमा

चीनी मिलों का उनकी इनवन्ट्री के आधार पर 40 प्रतिशत मार्जिन रखते हुए दृष्टिबन्धक ऋण सीमा स्वीकृत की जाती है वर्तमान में यह ऋण सीमा अधिकतम 1 करोड़ रू0 तक दी जाती है।

टर्म लोन

चीनी मिलों द्वारा प्रस्तुत प्रोजेक्ट/आवश्यकता के आधार पर समय–समय पर चीनी मिलो को शीर्ष बैंक द्वारा स्वंय अथवा कन्सोंटियम बनाकर जिला सहकारी बैंको के साथ कन्सोंटियम व्यवस्था के अन्तर्गत टर्म लोन की सुविधा प्रदान की जाती है। ऋण निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के साथ स्वीकृत किया जायेगा।

1. मिल को बैंक का नाम मात्रिक सदस्य बनना होगा।
2. स्वीकृत ऋण की धनराशि पर ब्याज दर समय–समय पर भारतीय रिजर्व बैंक/नाबार्ड/निबन्धक सहकारी समितियाँ, उत्तराखण्ड द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुरुप परिवर्तनीय होगी। वर्तमान मे ब्याज दर .....% वार्षिक होगी तथा ब्याज की गणना दैनिक प्रोडक्ट के आधार पर कर मासिक रुप से मिल के ऋण खाते को डेबिट कर वसूला जायेगा।
3. ऋण की समय पर अदायगी न करने/खाते के अनियमित होने की स्थिति में 2 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज चार्ज किया जायेगा, जो दैनिक प्रोडक्ट के आधार पर होगा।
4. ऋण सीमा पेराई सत्र ..... (अक्तूबर ..... से सितम्बर ..... तक) के लिए स्वीकृत की जाती है।
5. बन्धक स्टाक का बीमा मिल द्वारा बैंक के पक्ष में किया जायेगा तथा इस प्रकार की क्षतिपूर्ति की जिम्मेदारी मिल की होगी। मिल द्वारा बीमा पूर्ण स्टाक की कीमत के बराबर किया जायेगा, जिसमें अग्नि, बाढ़, चोरी, भूकम्प एवं लाइटनिंग आदि के रिस्क कवर किये जायेंगें।

लीडर बैंक शाखा प्रबन्धक का यह भी दायित्व होगा कि बीमा कम्पनी को दिये गये बैंक का भुगतान तुरन्त बीमा कम्पनी को प्राप्त हो जाये, ताकि किसी तरह का कोई जोखिम न रहे।

6. मिल को बन्धक गोदाम मे माल को व्यवस्थित ढंग से लगाना होगा, ताकि माल की आसानी से गणना की जा सके।
7. मिल अपनी प्रभार से सरपल्स अचल सम्पत्ती पर उत्तरांखण्ड राज्य सहकारी बैंक के पक्ष में पारीपाशु प्रभार (द्वितीय/तृतीय प्रभार) अंकित करायेगा।
8. गत तीन माह में चीनी के औसत मूल्य या वर्तमान दर जो भी कम हो को दृष्टिगत रखते हुए नये स्टाक का वैल्यूयेशन किया जाये।
9. मिल को ऋण सीमा के वांछित प्रपत्र यथा– डिमाण्ड प्रनोट, लेटर आफ कन्टीन्यूटी, एग्रीमेंट फार कैश क्रेडिट, प्लेज डीड, ऋण सीमा स्वीकृत की शर्तों को मान्य संबंधी लेटर आफ एक्सेप्टेंस आदि नियमानुसार पूर्ण कर बैंक को उपल्बध कराने होंगे।
10. बैंक खातों के परिचालन के संबंध में मिल को प्राधिकृत अधिकारियों का प्रबन्ध समिति द्वारा पारित प्रस्ताव बैंक को विधिवत देना होगा।
11. मिल को बन्धक माल छः माह के अन्दर निकालना होगा तथा गोदाम पर बैंक के पक्ष में बन्धक स्टाक की प्लेट लगानी होगी।
12. मिल को उत्पादन व अवशेष स्टाक स्टेटमैन्ट दैनिक रुप से, अनिवार्य रुप से बैंक को देना होगा। यह स्टेटमैन्ट अधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होगा।
13. मिल को चीनी बन्धक रखते समय स्टाक प्लैज फार्म एवं चीनी की निकासी के समय स्टाक रिलीज फार्म नियमित रुप से देना होगा और संबंधित फार्म अधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होगा।
14. चीनी मिल को ऋण आहरण करने से पूर्व वर्तमान बिक्री दर अथवा विगत तीन माह की औसत बिक्री दर जो भी कम हो, पर अपने पूर्व स्टाक को रैगुलर करना होगा अर्थात डी0पी0 के शार्टफाल को पूर्ण करना होगा, तदोपरान्त ही उपलब्ध डी0पी0 के अन्तर्गत अनुमन्य होगा।
15. बन्धक माल को रिलीज करने से पूर्व मिल को संबंधित समस्त धनराशि बैंक मे जमा करनी होगी तभी चीनी बन्धक गोदाम से निकाली जा सकेगी।
16. आर0बी0आई0/नाबार्ड/बैंक/विभागीय/आडिट के अधिकारियों द्वारा समय–समय पर किये जाने वाले स्टाक के सत्यापन/निरीक्षण का अधिकार होगा जिके लिये मिल को सहयोग करना होगा।
17. चीनी वर्ष ..... की समाप्ति के एक माह पूर्व ऋण सीमा के नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र बैंक में प्रस्तुत करना होगा। बैंक द्वारा नवीनीकरण न किये जाने की दशा में 30 सितम्बर ..... से पूर्व समस्त ऋण मय ब्याज के बैंक में जमा करना होगा।
18. मिल को एनेक्जर–1 में उल्लेखित टर्म्स एण्ड कन्डीशन मान्य होंगी तथा अन्य शर्तें जो समय–2 पर बैंक, निबन्धक सहकारी समितियाँ, उत्तराखण्ड, नाबार्ड एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लगाई जायेंगी, वह मिल को मान्य होंगी।
19. मिल को अपने खाते शीर्ष बैंक/जिला सहकारी बैंक लि0 में रखने होंगे और समय–2 पर सभी स्रोतों से प्राप्त धनराशि बैंक में जमा करनी होगी ।
20. चीनी की बिक्री की धनराशि से यदि क्रेता द्वारा एक्साईज़ ड्यूटी की धनराशि बैंक में जमा की जाती है, तो एक्साईज़ ड्यूटी जमा करने हेतु बैंक द्वारा संबंधित धनराशि आहरण करने की अनुमति प्रदान की जायेगी।
21. बैंक द्वारा बन्धक चीनी का मूल्यांकन प्रतिमाह विगत तीन माह की औसत बिक्री दर अथवा वर्तमान बाजार दर जो भी कम हो के आधार पर किया जायेगा और तद्नुसार दैनिक आधार पर डी0पी0 का आंकलन निर्धारित डी0पी0 रजिस्टर पर किया जायेगा।
22. गन्ना मूल्य भुगतान के लिये यह आवश्यक होगा कि मिल द्वारा गन्ना मूल्य भुगतान हेतु पृथक से दी गई चैक बुक से डी0पी0 के अन्तर्गत उपलब्ध धनराशि के अन्तर्गत एकाउन्ट पेई चैक गन्ना समितियों/किसानों के नाम काटे जायेंगे और इसी प्रक्रिया से कृषकों के गन्ना मूल्य का भुगतान सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त की सूचना बैंक को देनी होगी।
23. स्वीकृत की जाने वाली ऋण सीमा में पूर्व में लगा ऋण मय ब्याज के सम्मिलित होगा।
24. यदि दोनों पक्षों के मध्य किसी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो विषय निबन्धक, सहकारी समितियाँ, उत्तराखण्ड को सन्दर्भित किया जायेगा और उनका निर्णय अन्तिम होगा तथा दोनों पक्षों को मान्य होगा।

25. मिल को अपने कर्मचारियों की भविष्य निधि व अंशदान की धनराशि को नियमित रुप से संबंधित खातों में जमा करना होगा तथा पुष्टि में प्रमाण देना होगा।
26. कन्सोर्टियम के किसी जिला सहकारी बैंक सदस्य द्वारा यदि निर्धारित ऋण देने में असर्मथता वयक्त की जाती है तो उक्त राशि मिल को उपलब्ध कराया जाना सम्भव नहीं होगा।
27. मिल द्वारा लिये गये टर्म लोन के मूल धन एवं ब्याज की वसूली हेतु निर्धारित टेगिंग राशि सी0सी0 लिमिट से डेबिट कर ली जायेगी।
28. बैंक द्वारा गोदाम की देख रेख हेतु एक गोदाम प्रभारी की तैनाती मिल परिसर में की जायेगी जिसके वेतन, सभी भत्ते, अन्य देय लाभ एवं टी0 ए0 इत्यादि मिल द्वारा वहन किया जायेगा।
29. टर्म लोन साामन्य एवं टर्म लोन को–जेनेरेशन की निर्धारित किश्त मूल व ब्याज सहित ` सामायिक भुगतान करनी होगी अथवा मिल के सी0सी0 से डेबिट कर वसूल की जायेगी।
30. टर्म लोन के ब्याज की राशि नाबार्ड/भारत सरकार को देनी थी, जो वर्ष ..... की प्राप्त हो चुकी है। यदि भविष्य में उक्त राशि प्राप्त न हुई तो मिल से वसूल की जायेगी, तथा ब्याज मासिक बन्धक ऋण सीमा को डेबिट कर वसूल किया जायेगा, आवश्यकता हुई तो इस हेतु टैगिंग भी की जायेगी।

ऋण अनुप्रवर्तन व्यवस्थाएँ(सीएमए)–एक्सपोजर मानदंड और अनुप्रवर्तन तथा रिपोर्टिग प्रकिया में संशोधन

1 एक्सपोजर मानदंड

1 जिस इकाई को वित्पोषण प्रदान किया जा रहा है वह सहकारी क्षेत्र में या सहकारी क्षेत्र के बाहर इस बात को ध्यान में रखे बिना रास बैंकों और जिमस बैंकों के लिए एक्सपोजर मापदंड समान होने चाहिए।

2. ये मानदंड प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) और अन्य ऋण समितियों को मंजूर और उन पर बकाया ऋणों और कृषि अग्रिमों पर लागू नही होगें।

3. इकाई–वार मानदंड पूॅजी निधि से संधित होगें, जबकि क्षेत्रा वार मानदंड बैंकवारी विनियमन अधिकनियम, 1949(ससयला) के अन्तर्गत नाबार्ड द्वारा आयोजित बैंकों के निरीक्षण के पश्चात् बैंकों को दी गई रेटिंग के आधार पर 31 मार्च को बैंक के अ?तन लेखपरीक्षित तुलन–पत्र के अनुसार ऋण देने योग्य संसाधनाां से संबंधित होंगें।

4 पूॅजी निधि में चुकता पूॅजी और र्बिध प्रारक्षित निधियोॅं शामिल होंगी, अचल संपत्तियों के पुनमूॅल्यांकन द्वारा निर्मित प्रारक्षित निधियों यिद कोइ हों को पूॅजी निधि में शामिल नही किया जाए।

5. शेयर पूॅजी, प्रावधानों सहित प्रारक्षित निधियॉ किन्तु कृषि ऋण स्थिरीकरण निधि के अन्तर्गत का शेष नही, अधिकतम तरल आस्तियों (डीटीएल का 35 प्रतिशत) के जोड़ में से जमाराशियों और उधर को घटाकर बची राशि, अचल परिसम्पत्तियॉ, संचित हानियॉ और ऋण तथा अग्रिमकों को छोड़कर कोई अन्य वचनबद्धता इन सबकी गणना के जोड़ को ऋण देने योग्य संसाधन माना जाएगा।

6. व्यक्ति शब्द में साझेदार एकल व्यक्ति , एकल स्वामित्व वाले व्यक्ति, पार्टनरशिप फर्म और अनिगमित निकाय शामिल हैं,।

7. एक्सपोजर में कार्यशील पूॅजी सीमाऐं जैसी क्रेडिट लिमिट, अल्पावधि/अस्थायी ऋण और बैंकों द्वारा या तो अपने संसाधनों या उच्चचतर वित्तपोशक एजेंसियों से प्रापत पुनर्वितत्त सहायता से मंजूर मीयादी ऋण, अंतरिम/ब्रिज ऋण यथा थेक पूॅजी जैसे निधियुक्त सुविधाऐं शामिल होंगी इसमी गारंटी, साखपत्र आदि जैसी गैर निधिवत सहायता भी शामिल होंगी।

8. नकदी ऋण सीमाओं के मामले में एक्सपोजर की राशि निर्धारित करते समय मंजूर सीमा या बकाया ऋण में से जो भी अधिक हो को हिसाब में लिया जाए मीयादी ऋण के मामले में

ऋण सीमा निर्धारित करते समय बकाया राशि को भी गणना की जाए, तथापि, निधि सहायता रहित ऋण सीमाों के मामले में इन सीमाओं में से केवल 50 प्रतिशत या बकाया ऋण राशि में जो भी अधिक हो, के भी गणना में लिया जाएगा।

9. जिन उधारकर्ताओं के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अब ऋण सीमा आदि प्रयोजना के लिए सीधे ऋण सीमाऐं आवंटित की गई है वे एक्सपोजर सीमाओं की परिधि के बाहर होंगें।

10. ऋण सीमाऐं निम्नानुसार होगी।

निरीक्षण रैटिंग	पूॅजी निधि की तुलना में इकाई–वार ऋण सीमा का प्रतिशत	ऋण देने योग्य संसाधनों की तुलना में क्षेत्र–वार ऋण सीमाओं का प्रतिशत
ए	60	50
बी	50	40
सी	45	35
डी	40	30

11. नाबार्ड द्वारा हाल ही में किए गए निरीक्षण के अुसार ए रेटिग वाले बैंकों के लिए अलग–अलग व्यक्तियों को दिये जाने वाले ऋण की सीमा मु0 60.00 लाख बी रेटिंग वाले बैंकों के लिए मु0 40.00 लाख और सी या डी रेटिंग वाले बैंकों के लिए मु0 25.00 लाख होंगी।

12. कुछ विशेष परिस्थितियों के अन्तर्गत रास बैंकों /जिन बैंकों को कभी–कभी कुछ इकाई/सेक्टरों को ऊपर दर्शाई र्ग निर्धारित सीमा से ऊपर वित्तीय सहायता प्रदान करनी पड़ती है, ऐसी मामालों में सम्बंधित ब्यौरों के साथ बैंक नाबार्ड से विनिर्दिष्ट छूट प्राप्त कर सकते है। ऐसी अनवादात्मक मालों में सम्बंधित ब्यौरों के साथ बैंक नाबार्ड से विनिर्दिष्ट दूट प्राप्त कर सकते है। ऐसे अपवादात्मक मामलों में सम्बंधि केस के गुण–दोष के आधार पर नाबार्ड बैंकों को एक्सपोजर सीमा से अधिक वित प्रदान करने की अनुमति दे सकता है।

13. बैंकों को चाहिए ि कवे ऋण जोखिमों का मूल्यांकन करें, विशेषकर जब वे बड़े उधरकर्ताओं को ऋण प्रदान कर रहे हों और व्ययववसायक सूझबूझ और बाजार जानकारी के आधार पर अपने ऋण संम्बन्धी निर्णय स्वयं लें। ऋण जोखिम को रोकन` के प्रयोजन से यह वांछनीय है, यदि बैंक सम्बंधित ईकाई की निवल स्वाधिकृत निधि के अन्दर किसी एकल इकाई तक अपना एक्सपोजर सीमित रखता है तो 3 से 5 वर्षो के अन्दर यह मानदंड पूरा करने के लिए बैंक कदम उठाऐं, विशेषकर जब किसी इकाई को मु0 20 करोडत्र से ज्यादर वित्तीय सहायता प्रदान की जाए।

अनुप्रवर्तन विवरणी/रिपार्ट

वर्तमान अनुदेशों के अनुसार सभी रास बैंकों ओर जिमस बैंकों को तिमाही विवरणियॉं (सी0एमए–1 से 3 नाबार्ड के क्षेत्रीय कायालयों को इस प्रकार प्रेषित करनी है कि वे सम्बंधित तिमाही की समाप्ति से एक महीने के भीतर मिल जाऐं। रास बैंकों और जिमस बैंकों द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता के मामले में बैंक तिमाही विवरणियों के साथ उधारकर्ता के लेखापरीक्षित तुलन पत्र की नवीनतम प्रति और बोर्ड/सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत ज्ञापन/अप्रेजल नोट की प्रति भी प्रेषित करें सिमें कार्यशील पूॅजी उसकी आवश्यकता के मूल्यांकन और ऋण जोक्षिम विश्लेषण का भी उल्लेख हो, यह निर्णय लिया गया है कि उक्त प्रक्रिया समाप्त कर दी जाए और बैंकों द्वारा नाबार्ड को जोखिम अवधारण अनुप्रवर्तन की विद्यमान व्यवस्था एवं व्यावसायिक निर्णय के आधार पर ऋण प्रस्तावों के बारे में कड़ाई से निर्णय लें।

नाबार्ड को प्रेषित की जाने वाली तिमाही विवरीणी में संशोधन किया गया है और दिनॉक 30.006.2008 को समाप्त तिमाही और इससे आगे बैंक संलग्न फार्मेट के अनुसार

सिर्फ 2 विवरणियॉ सीएमए–1 और प्रेषित करें ताक वे प्रत्येक तिमाही की समाप्ति से एक महीने के अंदर नाबार्ड के क्षेत्रीय कार्यालय में पहुॅच जाऐं।

3. **बोर्ड द्वारा बड़े अग्रिमों की समीक्षा**

ऋणेतर सहकारी समितियों/सहकारी क्षेत्र से बाहर वाली इकाईयों को प्रदान किए जाने वाले अपने ऋयों के गुणवत्ता की समीक्षा बैंक तिमाही आधार पर करना जारी रखेंक और इसकी सम्बन्ध में बोर्ड को एक ज्ञापन प्रस्तुत करें इस समीक्षा में अन्य बातों के साथ–साथ क्षेत्रवार/उप क्षेत्रवार ऋण सीमाओं को मंजूर किए गए ऋयों के ब्योंरें, मार्जिन की पर्याप्तता और बड़े खातों के परिचालनों से सम्बंधित टिप्पयों, ऋण सीमा के उपयोग, ऋण के अंतिम उपयोग, इकाई के परिचालन में आनियमिताओं यदि काई हो, अथवा इाकई द्वारा महसूस की जा रही कोई अन्य समस्या आदि और साथ ही बैंक के क्षेत्रवार एक्सपोजर और कोई सम्बंधिम मुदों को शामिल किया जाएगा।

4. **नाबार्ड से पूर्व अनुमोदन**

यद्यपि सार्वजानिक वितरण प्रणाली से बाहर राज्य सरकारों की खदीद/अधिप्राप्ति योजनाओं के मामल में सहकारी विपणन समितियों/उपभोक्त भंडारों/समितियों/राज्य स्तरीय सहकारिता फेडरेशनों को मंजूर ऋणों के मामले में 24 अप्रैल, 2000 से नाबार्ड से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने की जरूरत समाप्त कर दी गयी थी, किन्तु एक निश्चित सीमा के ऊपर के मामलों में बैंकों के अपेक्षित है कि वे नाबार्ड से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करें यह नीति किसी परिवर्तन के बिना जारी रहेगी। नाबार्ड से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने की नीति से सम्बंधित ब्यौरें अनुबन्ध 1 में दिये गये है।

उक्त दिनॉक 23 सितम्बर 200 के हमारे ऊपर निर्दिष्ट परिपत्र में दिए गए अन्य अनुदेश पूर्व की भॉति प्रभावी रहेंगे। संशोधित अनुदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

ब्याज दरें

वर्तमान में बैंक वितरित किये जाने वाले ऋणों पर दिनांक 1–4–2014 से निर्धारित ब्याज दर बैंक परिपत्रांक 1742 दिनांक 29–3–2014 के अनुसार निम्नवत हैः–

क्र0 स0ं	ऋण/ ऋण सीमा का प्रकार	निर्धारित वार्षिक ब्याज दर प्रतिशत में
1	टिकाऊ उपभोहक्ता ऋण (CDL)	12.50
2	एन0एस0सी0/ के0वी0पी0 के विरूद्ध ऋण	11.00
3	व्यापारियों/ फर्मों को दिये गये बन्धक/ दृष्टिबन्धक ऋण सीमा– क– एक लाख रू से 10 लाख रू तक ख–10 लाख रू से अधिक 20 लाख रू तक	 12.00 13.00
4	आटो रिक्शा/ टैक्सी एवं दो पहिया व चार पहिया निजी वाहन हेतु दिये गये वाहन ऋण पर – क– 5 लाख रू तक ख– 5 लाख रू से अधिक पर	 12.00 12.50
5	चैनी मिलों को दिये गये बन्धक/ दृष्टिबन्धक/ क्लीन ऋण सीमा एवं टर्म लोन पर – क–बन्धक ख– दृष्टिबन्धक ऋण सीमा पर ग– क्लीन लोन पर घ– टर्म लोन (भारत सरकार की योजना के तहत) च– टर्म लोन (सामान्य)पर	 12.00 12.50
6 अ	सामान्य भवन ऋण पर– क– 5 लाख रू तक ख– 5 लाख रू से अधिक व 10 लाख रू तक ग– 10 लाख रू से अधिक व 20 लाख रू तक घ– 20 लाख रू से अधिक पर	 10.00 10.50 12.00 12.00
6–ब	व्यवसायिक भवन ऋण पर/ सम्पत्ति के विरूद्ध ऋण– क– व्यवसायिक भवन ऋण 1. लाख रू तक	 12.00

	ख– व्यवसायिक भवन ऋण 10 लाख रू से 20 लाख रू तक ग– व्यवसायिक भवन ऋण 20 लाख रू से अधिक पर	12.50 13.00
7	उच्च व्यवसायिक/ तकनीकी/ प्रबन्धकीय शिक्षा हेतु दिये गये ऋण पर– क– 3 लाख रू तक ख– 3 लाख रू से अधिक पर	 11.00 12.00
8	कम्प्यूटर शिक्षा/ ज्ञानोत्कर्ष योजना के अन्तर्गत दिये जाने वाले ऋणों/ ऋण सीमाओं पर क– 1 लाख रू तक	 11.00
9	वेतनभोगी कर्मचारियों/ अधिकारियों को स्वीकृत कैश क्रेडिट पर	12.00
10	शाखाओं द्वारा व्यक्तिगत सदस्यों को कृषि एवं सहायक कार्यकलापों, बागवानी पुष्पों की खेती हेतु दिये गये अल्पकालीन एवं मध्यकालीन/ दीर्घकालीन ऋणों पर क– 3 लाख रू तक ख– 3 लाख रू से अधिक पर	 11.00 12.00
11	अन्य सभी प्रकार के मध्यकालीन व दीर्घकालीन ऋणों पर क– 1 लाख रू तक ख– 3 लाख रू तक ग– 3 लाख रू से अधिक पर	 11.00 12.00 12.50
नोट	शाखाओ द्वारा सहकारिता सहभागिता योजना के तहत वितरित अल्पकालीन एवं मध्यकालीन ऋणों पर निबन्धक सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड के पत्रांक सी–18/ अधि0–सं0का0/ सह0सह0यो0/ 2009–10 दिनांक 12–8–2009 के द्वारा निर्देशित ब्याज दर निर्धारित प्रकियानुसार लागू की जायेगी तथा ब्याज अनुदान की मांग त्रैमासिक रूप में मुख्यालय को प्रेषित करनी अनिवार्य होगी। बैंक के अधिकारियों/ कर्मचारियों एवं सहकारिता विभाग के अधिकारियों/ कर्मचारियों को ऋण कैश क्रेडिट के अतिरिक्त अन्य ऋणों पर 1 प्रतिशत कम ब्याज दर पर ऋण अनुमन्य होगा । बैंक के अधिकारियों/ कर्मचारियों एवं सहकारिता विभाग के अधिकारियों/ कर्मचारियों को कैश क्रेडिट ऋण 9.50 प्रतिशत ब्याज दर पर अनुमन्य होगा ।	

अन्य प्रोजेक्ट ऋण

जैसे स्टोन क्रेशर पेपर मिल, हिमालय फूड पार्क, रिजोस्ट व अन्य कम्पनियों को बन्धक दृष्टिबन्धक टर्म लोन की ऋण सुविधा शीर्ष बैंक द्वारा स्वंय अथवा जिला सहकारी बैंको का कन्सोर्टियम बनाकर दी जा सकती है। जिसकी स्वीकृति शर्ते निम्नानुसार होगी।

1. टर्म लोन मु0 ..... लाख का भुगतान किस्तों के रूप में भवन बनाने एवं मशीनरी आपूर्ति हेतु आपूर्तिकर्ता फर्मो को किया जायेगा।
2. ऋणी को फैक्ट्री एवं फिक्सड एसैट (प्लाट एण्ड मषीनरी का बैंक क्लाज के अनुसार बीमा कराना अनिवार्य होगा, अगतर समय से ऋणी द्वारा बीमा नही कराया गया तो बैंक को अधिकार होगा कि ऋणी के ऋण खाते को डेविट कर बीमा कम्पनी से बीमा करा लिया जायेगा।
3. ऋण की अवधि 6 वर्ष होगी जिसमें प्रथम वर्ष मोरेटेरियम अवधि होगी।
4. ऋणी को जहॉ फैक्ट्री लगायी जा रही है उस भूमि मालिक से भूमि का एग्रीमेन्ट/लीज डीड न्यूनतम 10 वर्ष कर बैंक को प्रस्तुत करना होगा।
5. ऋणी को बिरला टायर के साथ हुये अनुबन्ध की प्रति उपलब्ध करानी होगी।
6. ऋणी को उद्योग विभाग का रजिस्ट्रेषन/प्रदूषण बोर्ड का अनापत्ति प्रमाण पत्र व अन्य विधिक प्रमाण पत्र बैंक को ऋण भुगतान से पूर्व उपलब्ध कराने होगें।
7. ऋणी को 1.5 गुना अतिरिक्त कोलेटरल सिक्योरिटी बैंक के पक्ष में इक्यूटेविल मौरगेज करना होगा।
8. ऋणी को मषीन एवं फैक्ट्री पर बैंक का चार्ज क्रियेट कराना होगा।
9. उक्त ऋण पर ब्याज दर 12.00 प्रतिशत वार्षिक होगी जोकि समय–समय पर बैंक द्वारा लिये गये निर्णयानुसार परिवर्तनीय है। ब्याज की वसूली मासिक आधार पर मूल खाते को डेविट कर की जायेगी तथा मैरोटेरियम अवधि का ब्याज जमा कराना होगा। समय पर किस्त न देने पर 1 प्रतिषत पैनल ब्याज चार्ज किया जायेगा।
10. फर्म के प्रमोटर्स से व्यक्तिगत गारण्टी देनी होगी।

10 किस्तों का निर्धारण बैंक द्वारा दिये गये ऋण के उपरान्त किया जायेगा।
11. बैंक के अधिकारियों के द्वारा समय–समय पर फर्म के निरीक्षण/भ्रमण के समय ऋणी द्वारा समस्त अभिलेख निरीक्षण अधिकारियों को प्रस्तुत करने होगें।
12. फर्म द्वारा बैंक में चालू खाता खुलवाया जाय एवं फर्म का लेन–देन इस खातें के माध्यम से किया जायेगा।
13 फर्म द्वारा उक्तानुसार निर्धारित औपचारिकतायें पूर्ण न कराये जाने की स्थिति पर ऋण स्वीकृति पत्र स्वतः निस्प्रभावी माना जायेगा।

दीर्घकालीन ऋण शाखाओं के माध्यम से वितरित किये जाने वाले ऋणों का विवरण

बैंक प्रबन्ध निदेशक के पत्रांक 352/दीर्घ0 ऋण वितरण प्रकिया/ 2010–11 दिनांक 28–8–2010 के अनुसार बैंक की दीर्घकालीन शाखाओ की ऋण वितरण प्रकिया निम्नवत निर्धारित की गई है–

1–उद्देश्य–

उत्तराखण्ड राज्य सहकारी बैंक लि0 अपने सदस्यों को कृषि योग्य भूमि जमानत के रूप में बन्धक रखकर निम्न उद्देष्यों के लिए दीर्घकालीन ऋण वितरण करेगा –

1) लघु सिंचाई कार्यो के लिए
2) कृषि यन्त्र क्रय करने के लिए(ट्रैक्टर, ट्राली व अन्य कृषि उपकरणों सहित)
3) डेयरी विकास हेतु
4) पशुधन विकास हेतु
5) औद्योगिक कार्यो हेतु ऋण/ जड़ी बूटी उत्पादन हेतु ऋण
6) फूलों की खेती हेतु ऋण
7) अकृषि क्षेत्रो से सम्बन्धित ऋण
8) कृषि के उन्नत साधनों के लिए ऋण
9) पोली हाउस हेतु ऋण
10) ग्रामीण आवास हेतु ऋण
11) अन्य ऐसे उत्पादक कार्य जो समय समय पर बैंक प्रबन्ध/निबन्धक/नाबार्ड द्वारा स्वीकृत हों ।

2– ऋण के पात्र :–

बैंक केवल अपने सदस्यों को ही ऋण वितरण करेगा। ऋण प्राप्त करने वाले आवेदक को बैंक का नाममात्रिक सदस्य बनना होगा । बैंक की सदस्यता के पात्र निम्नलिखित हैं–

1– व्यक्तिगत कृषक जो उत्तराखण्ड के मूल निवासी हों व उत्तराखण्ड में स्थित भूमि के स्वामी हों और जिन्हें भूमि बन्धक रखने का अधिकार हो, जो प्रवृत्त विधियों के अनुसार प्रसंविदा करने के लिए अनर्ह न हों और उनमुक्त दिवालिया न हो, बैंक के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत रहते हों और जिनकी आयु 18 वर्ष से कम न हो । ऐसे गूंगे, बहरे तथा अनपढ़ जो बन्धक पत्रों की शर्तो को समझ सकें, को सदस्य बनाया जा सकता है।

3– सदस्यता हेतु आवेदन पत्र –

1– सदस्यता हेतु आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप रा0सह0बैंक–1 पर दिया जायेगा, जिस पर बैंक कर्मचारी/अधिकारी में से किसी एक के द्वारा कृषक के हस्ताक्षर/निषानी अंगूठा प्रमाणित किया जायेगा।

2– यदि कोई सदस्य बैंक से ऋण प्राप्त करने की निर्धारित औपचारिकताएं बैंक में उपस्थित होकर पूर्ण करने में असमर्थ हो तो बैंक मुख्यालय की अनुमति के पश्चात ही '' मुख्तारनामा खास'' निष्पादित करके अन्य व्यक्ति को अधिकृत करेगा तथा ऐसे सदस्यता आवेदन पत्र पर आवेदक के हस्ताक्षर किसी मैजिस्ट्रेट/नोटेरी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित होना चाहिए जिस पर अधिकारी की स्पष्ट मोहर सहित हस्ताक्षर हों ।

3– सदस्यता आवेदन पत्र पर स्वयं कृषक के अंगूठा निशानी/ हस्ताक्षर करना होगा ।

4– सदस्यता आवेदन पत्र के साथ आवेदक को बैंक के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके संलग्न करना आवश्यक है, जिस पर बैंक के दो सदस्यों की गवाही होगी । (राज्य सह0बैंक–1)

5– सदस्यता के आवेदन पत्र के साथ दस रू प्रति सदस्य (साधारण सदस्य एवं नाममात्रिक सदस्यों को) प्रवेश शुल्क जमा कराया जायेगा।

6– साधारण सदस्यता के आवेदन पत्र के साथ ''ब'' श्रेणी हेतु अग्रिम एक अंश का मूल्य 1000–00 रू बैंक में जमा करना होगा ।

7– सभी सदस्यता के आवेदन पत्रों पर प्रवेश शुल्क व अग्रिम एक हिस्से का धन जमा करने के प्रमाण स्वरूप कैशियर एवं षाखा प्रबन्धक द्वारा जारी की गई रसीद का नम्बर व दिनांक अंकित किया जायेगा ।

4– ऋण प्रार्थना पत्रों की तैयारी –

1– ऋण प्रार्थना पत्र(राज्य सह0बैंक–1) का मूल्य 50–00 रू होगा , जो बैंक की प्रत्येक शाखा में उपलब्ध रहेगा ।

2– कृषक द्वारा ऋण प्रार्थना पत्र (राज्य सह0बैंक–1) के साथ खसरा व खतौनी की नकल, कृषक की फोटो, सम्बन्धित कर्मचारी/ अधिकारी को दिया जायेगा । कृषक की फोटो का प्रमाणीकरण ऋण प्रार्थना पत्र पर चस्पा होने के पष्चात ही किया जाएगा जिससे कि फोटो प्रमाणितकर्ता के हस्ताक्षर का कुछ अंष फोटो पर तथा अवषेष ऋण प्रार्थना पत्र पर हो जाए । फोटो प्रमाणितकर्ता का नाम व पदनाम (मोहर सहित) स्पष्ट अंकित किया जाएगा ।

3– प्रारम्भिक जांच बैंक सहायक /अधिकारी द्वारा की जाएगी।

4– ऋण प्रार्थना पत्र प्राप्त होते ही कम्प्यूटराइज्ड खतौनी पर निर्गतकर्ता के हस्ताक्षर पत्रावली तैयार कर्ता द्वारा निम्न प्रकार प्रमाणित किये जायेंगे–

5– प्रमाणित किया जाता है कि श्री .....(कृषक का नाम) पुत्र श्री ....के ग्राम ..... की प्राप्त कम्प्यूटराइज्ड खतौनी पर निर्गतकर्ता श्री..... (पदनाम)..... द्वारा हस्ताक्षर किये गये हैं। खसरा पूर्व की भांति कृषको द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा ।

6– षाखा पर ऋण प्रार्थना पत्र का विवरण नियत रजिस्टर में रखा जाएगा।

7– बन्धक हेतु प्रस्तावित भूमि का लगान निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकार किया जाएगा–

क– खाते के कुछ प्लाट बन्धक किये जाने की दषा में लेखपाल द्वारा तैयार एवं तहसीलदार द्वारा प्रमाणित फर्द स्वीकार किया जाएगा।

ख– गैर खेती लायक जमीन को बन्धक रखकर ऋण नहीं दिया जाएगा, ऋण के लिए प्रस्तावित भूमि में यदि खेती एवं गैर खेती लायक दोनों किस्मों की भूमि सम्मिलित है, तो कुछ लगान में से गैर खेती लायक जमीन का लगान घटाकर भूमि का मूल्यांकन निकाला जाएगा ।

8– कृषक द्वारा ऋण प्रार्थना पत्र की औपचारिकतायें पूर्ण करने में असमर्थ होने की दषा में बैंक मुख्यालय की अनुमति से ही मुख्तारनामा खास को मान्यता प्रदान की जाएगी, परन्तु भारतवर्ष के बाहर प्रमाणित मुख्तारनामा खास मान्य नहीं होगा। मुख्तारनामा खास दाखिल करने पर भी कृषक को सदस्यता आवेदन पत्र पर स्वयं हस्ताक्षर करने होंगे।

9– ऋण प्रार्थना पत्रों की तैयारी में कृषक की पहचान तथा उसके द्वारा प्रेषित तथ्यों की सावधानी से जांच एवं पुष्टि की जाएगी । ऋण प्रार्थना पत्र आवष्यक संलग्नकों सहित नियत अधिकारी के माध्यम से प्राप्त किये जाएंगे ।

10– संयुक्त खाते पर ऋण लेने की कार्यवाही में एक को साधारण सदस्य और अन्य को नाम मात्रिक सदस्य बनाना आवष्यक होगा ।

5— भूमि मूल्यांकन –

प्रस्तावित योजना के पष्चात शुद्ध आय (पोस्ट डवलपमैन्ट नैट इन्कम) का 8 गुना मूल्यांकन सूत्र अपनाया जाएगा, परन्तु निम्न प्रकार से भूमि बन्धक करना अनिवार्य होगा ।

1— लघु सिंचाई कार्यो एवं ट्रैक्टर हेतु जितनी न्यूनतम भूमि की सीमा निर्धारित है उतनी भूमि बन्धक की जाए । वर्तमान में लघुसिंचाई हेतु 1.50 एकड़ भूमि व ट्रैक्टर हेतु न्यूनतम भूमि 3 एकड़ होना आवष्यक है।

2— जिन कार्यो के लिए कोई भूमि की सीमा निर्धारित नहीं है उनमें सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित किये गये भूमि के सर्किल रेट को आधार मानकर भूमि बन्धक की जायेगी तथा सर्किल रेट के अनुसार आंकलित कीमत का 85 प्रतिषत तक ऋण देय होगा ।

6— ऋण भुगतान क्षमता –

नाबार्ड के आदेषों के अनुसार कृषक को उसकी ऋण भुगतान क्षमता के आधार पर ऋण वितरित किया जाता है। यह क्षमता राज्य सहकारी बैंक एल–7 पर निकाली जाती है जो वृद्धोन्मुख आय पर आधारित है। ऋण भुगतान क्षमता निकालने के लिए निम्न मुख्य बातों की जानकारी आवष्यक है।

क— लाभान्वित क्षेत्रः—

लाभान्वित क्षेत्र से ऋणी सदस्य के उस प्रक्षेत्र से तात्पर्य है जिस पर प्रस्तावित योजना द्वारा सिंचाई हो सकेगी । किसी लाभान्वित भूमि पर प्रस्तावित योजना से पूर्व तथा प्रस्तावित योजना के पष्चात कापिंग पैटर्न के आधार पर पहले से ही उपलब्ध कराये गये मापदण्ड (फसलों के आय एवं व्यय प्रति एकड़ नार्मस) के अनुसार शुद्ध आय वृद्धोन्मुख आय तथा ऋण भुगतान क्षमता निकालनी होगी ।

ख— कापिंग पैटर्न –

प्रस्तावित योजना से पूर्व की षुद्ध आय निकालने के लिए यह आवष्यक है कि जांच अधिकारी/ कर्मचारी ऋणी सदस्य के लाभान्वित क्षेत्र पर पिछले एक वर्ष में खरीफ, रबी तथा जायद में बोई गई फसलों को कृषक से पूछकर लिखे । प्रस्तावित योजना के निर्माण के पष्चात विभिन्न फसलों का क्षेत्रफल बैंक द्वारा उपलब्ध कराये गये मार्गदर्षन के आधार पर लिखा जाएगा।

ग— वृद्धोन्मुख आय –

वृद्धोन्मुख आय प्रस्तावित योजना के पष्चात की षुद्ध आय में से प्रस्तावित योजना के पूर्व की षुद्ध आय घटाकर निकाली जाती है। आय लाभान्वित क्षेत्र एवं कापिंग पैटर्न पर आधारित है। ऋण भुगतान क्षमता राज्य सह0बैंक एल–7 पर स्थानीय जांच करके निकाली जानी चाहिए । वृद्धोन्मुख आय का 70 प्रतिषत ऋण भुगतान क्षमता होती है। यही कृषक की वार्षिक ऋण भुगतान क्षमता लिखी जानी चाहिए। जांच अधिकारी को यह देखना होगा कि ऋणी सदस्य द्वारा प्रार्थित ऋण की वार्षिक किष्त कितनी आती है, यदि वार्षिक किष्त, वार्षिक ऋण भुगतान क्षमता से कम आती है तो वांछित ऋण की संस्तुति कर दी जायेगी । यदि वार्षिक किष्त ,वार्षिक ऋण भुगतान क्षमता से अधिक आती है तो उतने ही ऋण की संस्तुति करनी होगी जिसे कृषक अपनी वार्षिक आय से चुका सकता है।

7—ऋण प्रार्थना पत्रों की जांच –

सभी प्रकार से पूर्ण ऋण प्रार्थना पत्र को प्रार्थना पत्र प्राप्ति रजिस्टर (राज्य सह0बैंक एल–27) में दर्ज किया जायेगा, भौमिक अधिकार की पुष्टि में यह देखा जाएगा कि खतौनी व खसरा विधिक ढंग से प्राप्त करके प्रार्थना पत्र के साथ लगा दिये गये हैं।

1— सदस्यता आवेदन पत्र (राज्य सह0बैंक एल–1) बैंक के सहायक/ अधिकारी द्वारा प्रमाणित होना चाहिए ।
2— घोषणा पत्र दो व्यक्तियों द्वारा प्रमाणित होना चाहिए , जो बैंक के सदस्य हों ।
3— योजना का पूर्ण विवरण व तकनीकी शर्तो की पूर्ति का उल्लेख ऋण प्रार्थना पत्र व इन्सपैक्षन रिपोर्ट में होना चाहिए ।

4– दस रूपये प्रति सदस्य प्रवेष षुल्क तथा एक अग्रिम अंष मूल्य 1000रू बैंक में अवष्य जमा होने चाहिएं ।

5– राज्य सह0बैंक एल–4 के परिषिष्ट ''अ'' पर पर्याप्त भूमि एवं इंजन/ ट्रैक्टर/ पम्पसैट का बन्धक रखना अंकित होना चाहिए जो 100रू के स्टाम्प पेपर पर होगा ।

6– जांच रिपोर्ट, जांच करने वाले अधिकारी द्वारा स्वयं लिखित एवं प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षरित होनी चाहिए ।

7– ऋण प्रार्थना पत्र पर सम्बन्धित व्यक्ति के हस्ताक्षर/ निषानी अंगूठा अवष्य होना चाहिए तथा फोटो नियत अधिकारी द्वारा प्रमाणित होनी चाहिए ।

8– प्रार्थी की ऋण भुगतान क्षमता ठीक प्रकार से उल्लिखित होनी चाहिए।

9– संयुक्त योजना के ऋण प्रार्थनापत्रों पर सभी प्रार्थियों के ऋण प्रार्थनापत्रों का संदर्भ लिखा होना चाहिए ।

10– शपथ पत्र लिये जाने की दषा में षपथ पत्र पर दस रूपये के स्टाम्प पेपर पर नोटेरी द्वारा प्रमाणित होना चाहिए जिस पर उचित मूल्य के नोटोरियल स्टाम्प लगे होने चाहिएं।

8– विधिक जांच एवं शाखा प्रबन्ध समिति :–

षाखा ऋण समिति की बैठक से तीन दिन पूर्व तक प्राप्त समस्त ऋण प्रार्थना पत्रों की विधिक जांच होनी चाहिए। जॉचोपरान्त संस्तुत किये गये सभी ऋण प्रार्थना पत्रों को बैठक में प्रस्तुत किया जायेगा । षाखा ऋण समिति की बैठक के पष्चात बैठक की कार्यवाही तथा स्वीकृत ऋण प्रार्थना पत्रों का उद्धरण एक रजिस्टर में रखा जायेगा । ऋण स्वीकृति पत्र अविलम्ब कृषक को प्रारूप एल–15 पर भेजा जायेगा । षाखा ऋण समिति को 7.00 लाख रू तक के ऋण पत्रावली स्वीकृत करने का अधिकार होगा। इससे अधिक के ऋण पत्रावलियां शाखा ऋण समिति द्वारा संस्तुति कर मुख्यालय कमेटी कोप्रेषित की जायेंगी जो मुख्यालय स्तर पर गठित ऋण कमेटी द्वारा स्वीकृत किये जायेंगें । ऋण स्वीकृत होने के पश्चात निर्धारित सभी औपचारिकताएं पूर्ण कराने का दायित्व शाखा प्रभारी का होगा ।

गढ़वाल मण्डल की ाखाओं हेतु ऋण कमेटी निम्नानुसार होगी –
क्षेत्रीय प्रबन्धक
मुख्य प्रबन्धक
शाखा प्रभारी/ फील्ड आफिसर/ सहायक फील्ड आफिसर–
कुमाऊं मण्डल की शाखाओं हेतु ऋण कमेटी निम्नानुसार होगी–
महाप्रबन्धक/ विशेष कार्याधिकारी
मुख्य प्रबन्धक
शाखा प्रबन्धक/ पटल ऋण प्रभारी मुख्यालय ।
मुख्यालय स्तर पर ऋण कमेटी निम्नवत होगी–
प्रबन्ध निदेशक
महाप्रबन्धक
विशेष कार्याधिकारी
मुख्य प्रबन्धक

9– ऋण सीमा व यूनिट कास्ट एवं सीजनैल्टी–

ऋण की न्यूनतम सीमा तथा अधिकतम सीमा नाबार्ड द्वारा समय समय पर निर्धारित यूनिट कास्ट पर आधारित होगी। बैंक द्वारा ग्रामीणा क्षेत्र में भूमि आधारित (फार्म सैक्टर) तथा गैर भूमि आधारित (नानफार्म सैक्टर) उद्देश्यों के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाता है। विभिन्न प्रकार की योजनाओं में अलग अलग समय पर ऋण वितरण करने की आवश्यकता है क्यों कि परियोजनाओं के क्रियान्वयन का समय भी अलग अलग होता है। अतः योजनाओं की सीजनल्टी के अनुसार प्रोजैक्ट को स्थापित करने पर लाभार्थी को प्रोजैक्ट से उचित आय प्राप्त होगी तथा ऋण की वसूली भी सुनिष्चित होगी। बैंक द्वारा विभिन्न उद्देश्यों हेतु सीजनैल्टी, इकाई लागत, वसूली की किष्त, ग्रेस पीरियड एवं अदायगी अवधि निम्न प्रकार है, जिनमें समय समय पर आवष्यकतानुसार बैंक प्रबन्ध/ निबन्धक/ नाबार्ड द्वारा संषोधित की जा सकती हैं।

1–बोरिंग–

क्र0 सं0	विवरण	अन्य विवरण	ईकाई लागत	अदायगी अवधि	वसूली किष्त	ग्रेस पीरियड	सीजनैल्टी
ए	बेरिंग कैविटी	पीसीसी पाइप	300रू प्रति मीटर	7 वर्ष	अर्द्धवार्षिक	11माह	सम्पूर्ण वर्ष

बी	जालीदार बोरिंग	पीसीसी पाइप	400 रू प्रतिमीटर	7 वर्ष	अर्द्धवार्षिक	11माह	सम्पूर्ण वर्ष
सी	क्वैटी बोरिंग	लोहे का पाइप	450रू प्रतिमीटर	7 वर्ष	अर्द्धवार्षिक	11माह	सम्पूर्ण वर्ष
डी	जालीदार बोरिंग	लोहे का पाइप	500रू प्रतिमीटर	7 वर्ष	अर्द्धवार्षिक	11माह	सम्पूर्ण वर्ष

2–कम्पलीट पम्पिंग सिस्टम सेटी फूगल डी पी सैट सहित–

क्र0 सं0	विवरण	अन्य विवरण	ईकाई लागत	अदायगी अवधि	वसूली किष्त	ग्रेस पीरियड	सीजनैल्टी
ए	3 हार्सपावर	पम्पिंगसैट	15000रू	7 वर्ष	वार्षिक	11 माह	सम्पूर्ण वर्ष
बी	5 हार्सपावर	पम्पिंगसैट	18000रू	7 वर्ष	वार्षिक	11 माह	सम्पूर्ण वर्ष
सी	6.5 हार्सपावर	पम्पिंगसैट	21000रू	7 वर्ष	वार्षिक	11 माह	सम्पूर्ण वर्ष
डी	8 हार्सपावर	पम्पिंगसैट	24000रू	7 वर्ष	वार्षिक	11 माह	सम्पूर्ण वर्ष
ई	10 हार्सपावर	पम्पिंगसैट	30000रू	7 वर्ष	वार्षिक	11 माह	सम्पूर्ण वर्ष

3–कम्पलीट विद्युत पम्प सैट–

क्र0 सं0	विवरण	अन्य विवरण	ईकाई लागत	अदायगी अवधि	वसूली किष्त	ग्रेस पीरियड	सीजनैल्टी
ए	3 हार्सपावर	कम्पलीट विद्युत पम्पसैट	20000रू	7 वर्ष	वार्षिक	11 माह	सम्पूर्ण वर्ष
बी	5 हार्सपावर	कम्पलीट विद्युत पम्पसैट	25000रू	7 वर्ष	वार्षिक	11 माह	सम्पूर्ण वर्ष
सी	7.5 हार्सपावर	कम्पलीट विद्युत पम्पसैट	30000रू	7 वर्ष	वार्षिक	11 माह	सम्पूर्ण वर्ष

4–सबमर्सिबल पम्प सैट–

क्र0 सं0	विवरण	अन्य विवरण	ईकाई लागत	अदायगी अवधि	वसूली किष्त	ग्रेस पीरियड	सीजनैल्टी
ए	3 हार्सपावर	कम्पलीट पम्पसैट	25000रू	7 वर्ष	वार्षिक	11 माह	सम्पूर्ण वर्ष
बी	5 हार्सपावर	कम्पलीट पम्पसैट	30000रू	7 वर्ष	वार्षिक	11 माह	सम्पूर्ण वर्ष
सी	7.5 हार्सपावर	कम्पलीट पम्पसैट	35000रू	7 वर्ष	वार्षिक	11 माह	सम्पूर्ण वर्ष
डी	10 हार्सपावर	कम्पलीट पम्पसैट	40000रू	7 वर्ष	वार्षिक	11 माह	सम्पूर्ण वर्ष

5–स्प्रिकलर सैट–

क्र0 सं0	विवरण	अन्य विवरण	ईकाई लागत	अदायगी अवधि	वसूली किष्त	ग्रेस पीरियड	सीजनैल्टी
ए	एल्म्यूनियम पाइप	1 हैक्टेयर	20000रू	10 वर्ष	वार्षिक	11 माह	सम्पूर्ण वर्ष
बी	एच डी पी ई पाइप	1 हैक्टेयर	18000रू	10 वर्ष	वार्षिक	11 माह	सम्पूर्ण वर्ष
सी	अल्म्यूनियिम पाइप	1.5 हैक्टेयर	25000रू	10 वर्ष	वार्षिक	11 माह	सम्पूर्ण वर्ष
डी	एच डी पी ई पाइप	1.5 हैक्टेयर	22000रू	10 वर्ष	वार्षिक	11 माह	सम्पूर्ण वर्ष
ई	अल्म्यूनियिम पाइप	2.5 हैक्टेयर	35000रू	10 वर्ष	वार्षिक	11 माह	सम्पूर्ण वर्ष
एफ	एच डी पी ई पाइप	2.5 हैक्टेयर	32000रू	10 वर्ष	वार्षिक	11 माह	सम्पूर्ण वर्ष

6–आम और आंवला बाग के लिए–

क्र0 सं0	विवरण	अन्य विवरण	ईकाई लागत	अदायगी अवधि	वसूली किष्त	ग्रेस पीरियड	सीजनैल्टी
ए	आम और आंवला बाग के लिए	0.40 है0 हेतु	30000रू	9 वर्ष	वार्षिक	48 माह	आम– जनवरी से फरवरी
बी	तदैव	1 है0 हेतु	60000रू	9 वर्ष	वार्षिक	48 माह	आंवला–जून से जुलाई
सी	तदैव	2 है0 हेतु	100000रू	9 वर्ष	वार्षिक	48 माह	

7–सेव,नींबू, अमरूद बाग के लिए–

क्र0 सं0	विवरण	अन्य विवरण	ईकाई लागत	अदायगी अवधि	वसूली किष्त	ग्रेस पीरियड	सीजनैल्टी
ए	सेव बाग के लिए	0.40 है0 हेतु	40000रू	9 वर्ष	वार्षिक	48 माह	सेव– जनवरी से मार्चग
बी	नींबू, बाग के लिए	0.40 है0 हेतु	30000रू	7 वर्ष	वार्षिक	36 माह	नींबू–जून से जुलाई, फरवरी से मार्च
सी	अमरूद बाग के लिए	0.40 है0 हेतु	25000रू	7 वर्ष	वार्षिक	36 माह	अमरूद–

8–पपीता,लीची,पुलम व आडू के बाग के लिए–

क्र0 सं0	विवरण	अन्य विवरण	ईकाई लागत	अदायगी अवधि	वसूली किष्त	ग्रेस पीरियड	सीजनैल्टी
ए	पपीता बाग के लिए	0.40 है0 हेतु	25000रू	3 वर्ष	वार्षिक	12 माह	
बी	लीची बाग के लिए	0.40 है0 हेतु		9 वर्ष	वार्षिक	48माह	

			35000रू				
सी	पुलम बाग	0.40 है0 हेतु	30000रू	9 वर्ष	वार्षिक	48माह	
डी	आड़ू बाग के लिए		25000रू	7 वर्ष	वर्षिक	36 माह	

9–फूलों की खेती के लिए–

क्र0 सं0	विवरण	अन्य विवरण	ईकाई लागत	अदायगी अवधि	वसूली किष्त	ग्रेस पीरियड	सीजनैल्टी
ए	गुलाब	0.40 है0 हेतु	65000रू	5 वर्ष	वार्षिक	6 माह	जुलाई से सितम्बर
बी	Gladiolus	0.40 है0 हेतु	250000रू	7 वर्ष	वार्षिक	6 माह	जुलाई से सितम्बर
सी	गेंदा	0.40 है0 हेतु	40000रू	5 वर्ष	वार्षिक	6 माह	जुलाई से सितम्बर

10–जड़ी बूटी खेती के लिए–

क्र0 सं0	विवरण	अन्य विवरण	ईकाई लागत	अदायगी अवधि	वसूली किश्त	ग्रेस पीरियड	सीजनैल्टी
ए	अतीश	1 हैक्टेयर	90000रू	6 वर्ष	अर्द्धवार्षिक	24 माह	सम्पूर्ण वर्ष
बी	कूट	1 हैक्टेयर	45000रू	3 वर्ष	अर्द्धवार्षिक	24 माह	सम्पूर्ण वर्ष
सी	कुटकी	1 हैक्टेयर	45000रू	6 वर्ष	अर्द्धवार्षिक	24 माह	सम्पूर्ण वर्ष
डी	जटामासी	1 हैक्टेयर	115000रू	3 वर्ष	अर्द्धवार्षिक	24 माह	सम्पूर्ण वर्ष
ई	वन ककड़ी	1 हैक्टेयर	110000रू	6वर्ष	अर्द्धवार्षिक	24 माह	सम्पूर्ण वर्ष
एफ	सर्पगंधा	1 हैक्टेयर	58000रू	3 वर्ष	अर्द्धवार्षिक	24 माह	सम्पूर्ण वर्ष
जी	जरेनियम	0.40 है0	50000रू	5 वर्ष	अर्द्धवार्षिक	24 माह	सम्पूर्ण वर्ष
एच	लैमनग्रास	0.40 है0	20000रू	5वर्ष	अर्द्धवार्षिक	24 माह	सम्पूर्ण वर्ष

11–कृषि यंत्रीकरण –

क्र0 सं0	विवरण	अन्य विवरण	ईकाई लागत	अदायगी अवधि	वसूली किष्त	ग्रेस पीरियड	सीजनैल्टी
ए	ट्रैक्टर,पावर टिलर एवं सह0 यंत्र	विभिन्न अश्व शक्ति	कोटेशन के आधार पर	5 वर्ष	छमाही	एक माह	वर्षभर
बी	ट्राली	दो पहिया	150000	5वर्ष	छमाही	शून्य	वर्षभर
सी	ट्राली	चार पहिया	200000	5 वर्ष	छमाही	शून्य	वर्षभर

12–डेरी एवं विविधीकरण योजनाएं –

क्र0 सं0	विवरण	अन्य विवरण	ईकाई लागत	अदायगी अवधि	वसूली किश्त	ग्रेस पीरियड	सीजनैल्टी
ए	डेयरी 2 मुर्रा	भैंस/शंकरगाय	60000 रू	5 वर्ष	मासिक/ त्रैमासिक	शून्य	भैंस–जुलाई से दिसम्बर गाय–जनवरी से अप्रैल
बी	मिनी डेयरी 4 मुर्रा	शंकर गाय	120000	5 वर्ष	मासिक/ त्रैमासिक	शून्य	भैंस–जुलाई से दिसम्बर गाय–जनवरी से अप्रैल
सी	वृहद डेयरी 10 मुर्रा	भैंस/शंकरगाय	300000	5 वर्ष	मासिक/ त्रैमासिक	शून्य	भैंस–जुलाई से दिसम्बर गाय–जनवरी से अप्रैल
डी–	सघन मिनी डेयरी 2 मुर्रा	भैंस/ शंकरगाय	60000	5वर्ष	मासिक/ त्रैमासिक	शून्य	भैंस–जुलाई से दिसम्बर गाय–जनवरी से अप्रैल

13–डेरी विविधीकरण योजनाएं –

क्र0 सं0	विवरण	अन्य विवरण	ईकाई लागत	अदायगी अवधि	वसूली किश्त	ग्रेस पीरियड	सीजनैल्टी
ए	उच्च गुणवत्ता वाले शंकर गाय एवं भैंस पालन योजना		15000	4वर्ष	मासिक/ त्रैमासिक	शून्य	सम्पूर्ण वर्षभर
बी	लूसर्न (हराचारा) उत्पादन योजना	.	5000प्रति एकड़	3 वर्ष	मासिक/ त्रैमासिक	शून्य	सम्पूर्ण वर्षभर
सी	नरबछड़ा पालन योजना 5 से 6 महीने के 2 नर बछड़े	.	5000	6 वर्ष	मासिक/ त्रैमासिक	36 माह	सम्पूर्ण वर्षभर
डी–	शुष्क गामिन गाय/ भैंस पालन योजना	.	6000	4 वर्ष	मासिक/ त्रैमासिक	शून्य	सम्पूर्ण वर्षभर

14–पशु चालित गाड़ी/खच्चर –

क्र0 सं0	विवरण	अन्य विवरण	ईकाई लागत	अदायगी अवधि	वसूली किश्त	ग्रेस पीरियड	सीजनैल्टी
ए	गाड़ी 5"-19"		10000	5 वर्ष	छमाही	शून्य	वर्षभर
बी	गाड़ी 6"-19"	.	12000	5 वर्ष	छमाही	शून्य	वर्षभर
सी	गाड़ी 7"-19"	.	15000	5 वर्ष	छमाही	शून्य	वर्षभर
डी–	गाड़ी 8"-19"	.	18000	5 वर्ष	छमाही	शून्य	वर्षभर
ई	पशु– 2 पशु		20000	5 वर्ष	छमाही	शून्य	वर्षभर
एफ	खच्चर 2 पशु		80000	5 वर्ष	मासिक/ त्रैमासिक	शून्य	वर्षभर

15–पशुपालन योजना –

क्र0 सं0	विवरण	अन्य विवरण	ईकाई लागत	अदायगी अवधि	वसूली किश्त	ग्रेस पीरियड	सीजनैल्टी
ए	बकरीपालन जमुनापारी 20+1		70000	5 वर्ष	छमाही	9माह	वर्ष भर
बी	10बकरी +1 बकरा	.	35000	5 वर्ष	छमाही	9माह	वर्षभर
सी	सुअर पालन 4 सूअरी+ 1 सुअर	.	50000	5 वर्ष	वर्षिक	9माह	वर्षभर
डी–	भेड़पालन 1 भेड़+ 20 भेड़ा	.	70000	5 वर्ष	वर्षिक	9माह	वर्षभर

16–अकृषि क्षेत्र की योजनाएं –

क्र0 सं0	विवरण	अन्य विवरण	ईकाई लागत	अदायगी अवधि	वसूली किश्त	ग्रेस पीरियड	सीजनैल्टी
ए	आटा चक्की		60000	5 वर्ष	मासिक	2 माह	वर्ष भर
बी	विद्युत सजावट एवं जैनरेटर सैट	.	55000	5वर्ष	मासिक	2माह	वर्षभर
सी	थ्सलेसिलाए वस्त्रों की योजना	.	50000	5 वर्ष	मासिक	2 माह	वर्षभर
डी–	टैन्ट हाउस	.	200000	5 वर्ष	मासिक	2 माह	वर्षभर
ई	ग्रामीण आवास		100000	7 वर्ष	मासिक	3 माह	वर्षभर

ग्रामीण आवास हेतु नक्शा व एस्टीमेट तथा ग्राम प्रधान/ ग्राम विकास अधिकारी से भवन निर्माण की अनुमति प्राप्त करनी अनिवार्य होगी । अन्य अकृषि योजनाओं हेतु सदस्यों से योजना का पूर्ण आंकलन लेना होगा ।

10– ब्याज दर :–

बैंक द्वारा क्रियान्वित विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत कृषकों को निम्न ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जायेगा ।मेरीटोरियम अवधि का ब्याज कृषक को प्रत्येक वर्ष जमा ष्करने हेतु प्रेरित किया जाएगा अन्यथा ब्याज बकाया पड़ने की सम्भावना है। वर्तमान में लिये जाने वाले ब्याज दर निम्नवत् हैं–

क्र0स0	ऋण का प्रयोजन	ऋण का आकार	बैंक की ब्याज दर
1	स्हकारी सहभागिता योजनान्तर्गत आच्छादित समस्त ऋण	50000रू तक 50000रू से अधिक	5.00 प्रतिशत 5.50 प्रतिशत
2	अन्य समस्त योजना में वितरित ऋण	एक लाख रू तक	10.00 प्रतिशत
		एक लाख रू से अधिक व 5 7लाख रू तक	11.00 प्रतिशत
		5 लाख से अधिक पर	12.00 प्रतिशत

11–प्रशासनिक शुल्क :–

ऋण प्रार्थना पत्र स्वीकृत होने के उपरान्त कृषक द्वारा प्रशासनिक शुल्क जमा किया जायेगा। लघु एवं सीमान्त कृषकों से 0.5 प्रतिषत तथा अन्य कृषकों से 1.00 प्रतिशत की दर से प्रशासकीय शुल्क लिया जाएगा परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि लघु/ सीमान्त कृषकों से इस प्रशासनिक शुल्क का अधिकतम् 2500.00 रू एवं अन्य श्रेणी के कृषकों से अधिकतम् राशि 500.00 रू0 लिया जायेगा ।

12—अंशधन :—

ऋणाभिलाषी द्वारा लिये गये ऋण के सापेक्ष निम्नवत अंशधन प्राप्त किया जायेगा—

1— लघु/ सीमान्त कृषक— स्वीकृत ऋण राशि का 5 प्रतिषत

2— अन्य कृषक स्वीकृत ऋण राशि का 6 प्रतिषत

उक्तानुसार ऋणाभिलाषी को स्वीकृत धनराषि के सापेक्ष अंषधन की गणना की जायेगी और उक्त अशधन में से 1000 रू जो प्रार्थना पत्र के साथ जमा किया गया था, का समायोजन करते हुए अवष्शेष अंशधन की राषि जमा कराई जाएगी ।

13— स्टाम्प डयूटीः—

बैंक द्वारा ऋण वितरण में साधारण बन्धक की प्रक्रिया अपनाई जाती है। कृषि क्रियाकलापों हेतु मु0 5.00 लाख ऋण के सापेक्ष होने वाले बन्धक पत्र स्टाम्प शुल्क से मुक्त हैं । आकृषि क्षेत्र में यह सीमा मु0 20000रू तक है।

14— बन्धक पत्र निष्पादन :—

ऋण स्वीकृति पत्र की शर्तो की पूर्ति किये जाने के पश्चात बन्धक पत्र का निष्पादन किया जाएगा। बैंक के पक्ष में लिखे गये बन्धक पत्रों का निष्पादन प्रारूप एल—20(1) व 20(2) पर शाखा कार्यालय में शाखा प्रबन्धक के समक्ष किया जाएगा । लाभार्थी द्वारा शाखा पर आकर अपनी भूमि बन्धक करने की कार्यवाही की जायेगी, जिसके लिए उसके दो गवाहों की आवष्यकता होती है जिसमें प्रथम गवाह पत्रावली तैयारकर्ता होगा तथा दूसरा गवाह उसी गांव का ही व्यक्ति होगा जिसकी भी पत्रावली तैयारकर्ता द्वारा पहचान की जायेगी । बन्धक पत्र का प्रत्येक कालम अत्यन्त ही सावधानी पूर्वक भरा जायेगा तथा निर्धारित स्थानों पर शाखा प्रबन्धक द्वारा भूमि बन्धककर्ता एवं गवाहों के हस्ताक्षर अथवा निषानी अंगूठा प्रमाणित किया जायेगा । बन्धक पत्र के फार्म को भरने के पश्चात निष्पादन कर्ता को बन्धक पत्र के अन्तिम पृष्ठ के अलावा प्रत्येक पृष्ठ के बांयी ओर हाषिये पर अपने हस्ताक्षर व नि0अंगूठा अंकित करेगा । शाखा प्रबन्धक बन्धक पत्र के प्रत्येक पृष्ठ के पीछे बैंक द्वारा निर्धारित गोल सील लगायेगे । बन्धक पत्र के प्रस्तुतीकरण व निष्पादनकर्ता कृषक की पहचान के सम्बन्ध में निर्धारित मोहरों को पृष्ठ 1 के पीछे यथास्थान पर लगाकर रिक्त स्थान की पूर्ति शाखा प्रबन्धक स्वयं करेंगे व हस्ताक्षर करेंगे । बन्धक पत्र रजिस्टर प्रारूप—एल—23 पर यथास्थान निष्पादनकर्ता तथा उसकी पहचान करने वाले साक्षियों के हतस्ताक्षर भी प्राप्त करेंगे। इसके अतिरिक्त कोई व्यक्ति अपनी चल सम्पत्ति को गिरवी रखकर वित्तीय सहायता प्राप्त करने का इच्छुक हो तो सम्यक रूप से स्टाम्पित पत्र पर लिखित घोषणा कर सकता है कि वह उसके द्वारा ऐसे बैंक में ऐसी सम्पत्ति को बन्धक रख सकता है । कृषक को जिस प्रोजैक्ट हेतु ऋण दिया जा रहा है, विषेषकर मषीनरी उपकरण को भी बन्धक किया जायेगा जिसके लिये बन्धक पत्र पर स्थान भी निर्दिष्ट किया गया है। शाखा प्रबन्धक द्वारा बन्धक पत्र निष्पादित किये जाने के उपरान्त बन्धक पत्र सब रजिस्ट्रार (रजि0) एवं तहसील को एक माह के अन्दर प्रेषित किया जायेगा ।

15— भारमुक्त प्रमाण पत्र—

बन्धक पत्र निष्पादन की कार्यवाही के उपरान्त प्रत्येक शाखा पर गठित भारमुक्त प्रमाण पत्र बैंक के पैनल के वकील के माध्यम से बन्धक पत्र निष्पादन की तिथि के अगले दिन से पिछले 12 वर्षो तक का बन्धक पत्र के निष्पादन के अगले तिथि का भारमुक्त प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा । सब रजिस्ट्रार कार्यालय के 12 वर्षो के अभिलेख में दर्ज भार की जांच सहकारी समिति के अधिकारी अथवा उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति निशुल्क किये जाने हेतु अधिकृत हैं। 'ाखा प्रबन्धक पैनल के अधिवक्ता को निर्धारित प्रारूप पर उक्त आषय का अधिकार पत्र देंगे जिससे अभिलेखों की निषुल्क जांच की जा सके । भारमुक्त प्रमाण पत्र हेतु पैनल के अधिवक्ताओं को एक तहसील की स्थिति में 400रू तथा दो तहसील की स्थिति में 700 रू शुल्क का भुगतान किया जायेगा ।

16—ऋण वितरणः—

उपरोक्त समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करने के उपरान्त ऋणी सदस्य द्वारा निर्धारित प्रारूप पर डिमान्ड प्रोनोट भरा जायेगा एवं ऋण पत्रावली तैयारकर्ता द्वारा ऋणी सदस्य का हस्ताक्षर प्रमाणित किया जायेगा । डेयरी, पशुपालन, मुर्गीपालन, मत्सयपालन एवं अकृषि क्षेत्र योजनाओं में कृषक को एक आर्डर चैक जारी किया जायेगा जिस पर अहस्तान्तरणीय या अविनिमियसाध्य की मोहर लगाई जायेगी । मुर्गी पालन, मत्स्यपालन आदि में मत्स्य बीज,चूजे आदि की धनराशि के चैक राजकीय अथवा किसी ख्याति प्राप्त रजिस्टर्ड हैचरी (कृषक द्वारा चिन्हित) के नाम एकाउन्ट पेयी चैक द्वारा भुगतान किया जायेगा । बागवानी में केवल सरकारी प्रतिष्ठित नर्सरी को ही एकाउन्ट पेयी चैक द्वारा भुगतान किया जायेगा जिस पर Non transferable/Not Negotiable की मोहर **अवष्य लगाई जायेगी । इस प्रकार चैक कृषक से सहमति पत्र प्राप्त होने के बाद ही निर्गत किये जायेंगे । ट्रैक्टर ऋण की दशा में लाभार्थी द्वारा वांछित**

ट्रैक्टर जो कि बैंक द्वारा अधिकृत हो, को ट्रैक्टर एवं सहयंत्रो की ऋण राषि का चैक/ड्राफट शाखा प्रबन्धक द्वारा अपने समक्ष कृषक को ट्रैक्टर एवं सहयंत्रों की आपूर्ति कराये जाने के उपरान्त ही उपलब्ध कराया जायेगा । ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन एवं बीमा कराया जाना भी शाखा प्रबन्धक का दायित्व है।

17–पास बुक :–

ऋण वितरण के उपरान्त कृषक को अनिवार्य रूप से पासबुक निम्न निर्देषों के अनुसार उपलब्ध कराई जायेगी ।

1– पासबुक के प्रथम पृष्ठ पर ऋणी सदस्य के फोटो के प्रमाणीकरण के साथ साथ वांछित सभी विवरण स्पष्ट रूप से भरे जायेंगे ।

2– वितरित ऋण की धनराशि व तिथि, चैक संख्या एवं तिथि एवं उद्देष्य का स्पष्ट विवरण निर्धारित स्तम्भ में अंकित किया जाएगा ।

3– लाभार्थी की अंषपूॅजी व .....सम्बन्धी विवरण निर्धारित स्थान पर पूर्ण रूप से भरा जाएगा।

4– सभी सदस्यों के किश्तो की लेनदेन की स्पष्ट प्रविष्टि निर्धारित स्तम्भों में की जाएगी ।

शाखा प्रबन्धक ऋण स्वीकृत करते समय उपरोक्त ऋण वितरण प्रकिया के अनुसार ऋण स्वीकृत कर ऋण वितरण की कार्यवाही सुनिष्चित करें ।

योजनावार लाभार्थी की पत्रावली में संलग्न किये जाने वाले अभिलेखो का उल्लेखः–

बैंक द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनायें संचालित की जाती हैं जिनमें सरकार के लाइन विभाग द्वारा भी कुछ प्रमाण पत्र आदि निर्गत किये जाते हैं जैसे पषु चिकित्सा का प्रमाण पत्र, रवन्ना, बीमा की पालिसी आदि का मूल अभिलेख को भी लाभार्थी की पत्रावली मे संलग्न किया जाना आवष्यक होता है जिसका विस्तृत योजनावार विवरण निम्नवत है–

क– लघु सिंचाई :– लघु सिंचाई हेतु कृषक द्वारा सुझाये गये डीलर के नाम मषीनरी आपूर्ति करने सम्बन्धी अधिकार पत्र की प्रति, सरकारी योजनान्तर्गत बोरिंग पूर्ण होने का प्रमाण पत्र तथा मषीनरी की टैस्टिंग रिपोर्ट की प्रति भी लाभार्थी की पत्रावली में संलग्न की जायेगी ।

ख–औद्यानिक योजनाएं– औद्यानिक योजना सम्बन्धी पत्रावली में लाभार्थी द्वारा इंगित विक्रेता द्वारा प्लाटिंग मैटेरियल व अन्य सामान हेतु प्राप्त कराये गये कोटेषन तथा इंगित विक्रेता (जैसी स्थिति है) के नाम चैक जारी करने सम्बन्धी घोषणा पत्र व रसीद व डिमान्ड प्रोनोट लाभार्थी की पत्रावली में संलग्न किया जाता है।

ग–यंत्रीकरण– कृषि यंत्रीकरण हेतु उपरोक्त इंगित अभिलेखों/प्रपत्रों के साथ साथ निम्न अभिलेख भी उपलब्ध कराये जाने आवष्यक हैं–

1– कृषि यंत्र आपूर्तिकर्ता से प्राप्त कोटेषन की मूल प्रति

2– लाभार्थी को आपूर्ति किये जाने विषयक प्रमाण पत्र जिस पर लाभार्थी व गवाह के हस्ताक्षर हों

3– कृषियंत्र के बीमा सम्बन्धी मूल प्रमाण पत्र/ पालिसी।

4– वाहन के रजिस्ट्रेषन सम्बन्धी प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि ।

घ– डेयरी योजनान्तर्गत निम्न अभिलेखों को लाभार्थी की पत्रावली में संलग्न किया जाना आवश्यक है–

1– पषु चिकित्सक द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र, जिस पर पषु का स्पष्ट वर्णन उल्लिखित हो, की मूल प्रति ।

2– पषु क्रय सम्बन्धित रवन्ना तथा पषु मेले से सम्बन्धित रसीद की मूलप्रति अथवा प्रमाणित प्रति ।

3– पषुधन सम्बन्धित बीमा के प्रपत्रो की मूल प्रति,जिस पर पशु टैग नम्बर स्पष्ट रूप से अंकित हो ।

च–डनपलप कार्ट –

डनलपकार्ट हेतु निम्न अभिलेखों को भी आवेदन पत्र में उपलब्ध कराया जायेगा –

1– जिन एजेन्सी, एग्रीसैन्टर, पंयाचत उद्योग अथवा निजी मैन्यूफैक्चर्स/बढ़ई द्वारा आपूर्ति की जाती है, से कोटेषन प्राप्त कर गाड़ी की नाप व प्रयुक्त होने वाले टायरों के विषय में जानकारी के साथ अभिलेख उपलब्ध कराये जाने चाहिएं ।

2– पषु चिकित्सा अधिकारी द्वारा पषु के स्वास्थ्य एवं रोग रहित होने का प्रमाण पत्र तथा टीकाकरण सम्बन्धी प्रमाण पत्र का वर्णन भी पत्रावली में संलग्न किया जाना चाहिए ।

3– पषुओं के बीमा सम्बन्धी मूल अभिलेख भी लाभार्थी की पत्रावली में संलग्न की जानी चाहिए ।

छ– अकृषि क्षेत्र –

अकृषि क्षेत्र योजनान्तर्गत लाभार्थी की पत्रावली में योजना में प्रयुक्त होने वाली मषीनों का कोटेषन तथा अधिकार पत्र सम्बन्धी अभिलेख संलग्न किये जायेंगे ।

1– कच्चे माल की आपूर्ति करने वाले आपूर्तिकर्ता से भी कोटेषन प्राप्त किया जायेगा जिसे लाभार्थी की पत्रावली में संलग्न किया जाएगा ।

2– यदि लाभार्थी द्वारा किसी ऐसे उद्योग को लगाया जा रहा है जिससे पर्यावरण को हानि पहुंचना सम्भावित है तो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का संस्तुति/सहमति प्रमाण पत्र सलग्न किया जाएगा।

3– यदि लाभार्थी द्वारा किसी ऐसे उत्पाद का निर्माण किया जाता है जिसमें पूर्व परीक्षण की आवष्यकता हो तो इस दषा में लाभार्थी के पास उपलब्ध परीक्षण प्रयोगषाला के सम्बन्ध में भी अभिलेख उपलब्ध कराना होगा ।

4– लाभार्थी की पत्रावली में बीमा सम्बन्धी समस्त अभिलेखो की मूल प्रति भी संलग्न की जायेगी ।

उपरोक्त के अतिरिक्त योजनाओं में लगायी जानेवाली एप्रेजल रिपोर्ट जिसमें तकनीकी,आर्थिक, वाणिज्यिक, प्रबन्धकीय तथा संगठनात्मक तथा वित्तीय विषय का समावेष होता है वो भी स्थानीय सर्वेक्षण के आधार पर आंकलित कर लाभार्थी की पत्रावली में संलग्न करना अति आवश्यक है । भविष्य में नाबार्ड बैंक/सरकार द्वारा यूनिट कॉस्ट में वृद्धि होने पर ऋण सीमा में वृद्धि हो जायेगी।

UTTARAKHAND

STATE CO-OPERATIVE BANK LTD.

HALDWANI

Loan manual 2015

बैंक की ऋण नीति एवं प्रक्रिया